

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**दूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क0	पंजी. क0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
----	-------------	--	---------------	--	---	--	------------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार : 1 सर्वेक्षण त्रुटि (नवीन जो सम्पूर्ण छूट गये)**

1 AKH-468	बलीराम / चंपालाल / एखंड	मेरे घर का भू अर्जन करने बाबत।	आवेदक को आबादी एफआरएल मुआवजा ग.प.क्र. 117 पर मकान भूखंड की मुआवजा राषि रु. 60759/- का भुगतान किया गया है। तथा पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 104 पर कृषि व्यवसाय के मान से राषि 34350/- स्वीकृत की गई है।	आवेदक को आबादी एफआरएल मुआवजा ग.प.क्र. 228 पर मकान भूखंड की मुआवजा राषि रु. 81870/- का भुगतान किया गया है तथा पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 221 पर कृषि व्यवसाय के मान से राषि 43700/- स्वीकृत की गई है।	--	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री न.वि.सं.क्र.32 बड़वाह द्वारा प्रस्तुत भू—अर्जन प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं होने से अर्जन नहीं किया गयज्ञं	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री न.वि.सं.क्र.32 बड़वाह द्वारा प्रस्तुत भू—अर्जन प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं होने से अर्जन नहीं किया गयज्ञं
2 AKH-469	मुंशी / बन्या / एखंड	मेरे घर का भू अर्जन करने बाबत।	आवेदक को आबादी एफआरएल मुआवजा ग.प.क्र. 228 पर मकान भूखंड की मुआवजा राषि रु. 81870/- का भुगतान किया गया है तथा पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 221 पर कृषि व्यवसाय के मान से राषि 43700/- स्वीकृत की गई है।	--			

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
----	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार : 1 सर्वेक्षण त्रुटि (नवीन जो सम्पूर्ण छूट गये)**

3 AKH-470 वासुदेव / तोताराम / एखंड	मेरे घर का भू अर्जन करने बाबत।	आवेदक को आबादी एफआरएल मुआवजा ग.प.क्र. 298 पर मकान भूखंड की मुआवजा राषि रु. 92807/- का भुगतान किया गया है तथा पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 76 पर कृषि व्यवसाय के मान से राषि 34350/- स्वीकृत की गई है।	—	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री न.वि.सं.क्र.32 बड़वाह द्वारा प्रस्तुत भू-अर्जन प्रस्ताव में समिलित नहीं होने से अर्जन नहीं किया गयज्ञ।
------------------------------------	--------------------------------	---	---	---

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**दूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
----	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** **1 सर्वेक्षण त्रुटि (नवीन जो सम्पूर्ण छूट गये)**

4 AKH-473 जीवन / कमलचंद / एखंड

मेरे घर का भू अर्जन करने बाबत।

आवेदक की माता यशोदा को आबादी एफआरएल मुआवजा ग.प.क्र. 101 पर मकान भूखंड की मुआवजा राषि रु. 145889/- का भुगतान किया गया है।

जीआरए प्रकरण क्र. 21820 आदेश दिनांक 20.04.2009 के अनुसार प्रकरण श्रीमान कलेक्टर खण्डवा की ओर निराकरण हेतु भेजा गया। अमान्य।

जी.आर.ए. प्रकरण क्र.21820 आदेश दिनांक 20.04.2009 के अनुसार प्रकरण श्रीमान कलेक्टर खण्डवा की ओर निराकरण हेतु भेजा गया। श्रीमान कलेक्टर महोदय खंडवा के पत्र क्र. 286 / 09 / एलए / 11039 खंडवा दिनांक 21.08.09 द्वारा निराकरण किया गया, कि धारा-4 की अधिसूचना प्रकाशन दिनांक को अस्तित्व में नहीं था। प्रस्तावक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर दि.18. 02.06 को अवार्ड पारित किया जा चुका है। अवार्ड पारित किये जाने के प्लान अवार्ड अंतिम हो जाता है। इससे किसी व्यक्ति के पीड़ित होने पर उसके द्वारा सक्षम न्यायालय में रिफ्रेन्स आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। न्यायालय में रिफ्रेन्स आवेदन लगाना या नहीं लगाना आवेदक के विवेक पर निर्भर करता है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
----	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : एखण्ड

आवेदन पत्र का प्रकार : 1 सर्वेक्षण त्रुटि (नवीन जो सम्पूर्ण छूट गये)

अवार्ड पारित हो जाने के पश्चात प्रकरण पुनर्विलोकन अथवा कतिपय संशोधन भी अधोहस्ताक्षर द्वारा नहीं किया जा सकता है।

5 AKH-472	चंपाबाई / भुवानीराम /	मेरे घर का भू एखंड अर्जन करने बाबत।	आवेदक को आबादी एफआरएल मुआवजा ग.प.क्र. 153 पर मकान भूखंड की मुआवजा राषि रु. 145198/- का भुगतान किया गया है। तथा पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 137 पर कृषि व्यवसाय के मान से राषि 14350/- स्वीकृत की गई है तथा भूखंड दिया गया है।	—	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री न.वि.सं.क्र.32 बड़वाह द्वारा प्रस्तुत भू-अर्जन प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं होने से अर्जन नहीं किया गया।
-----------	--------------------------	--	--	---	--

6 AKH-474	रतनसिंह / देवसिंह /	मेरे घर का भू एखंड अर्जन करने बाबत।	—	—	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री न.वि.सं.क्र.32 बड़वाह द्वारा प्रस्तुत भू-अर्जन प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं होने से अर्जन नहीं किया गयज्ञ।
-----------	------------------------	--	---	---	--

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**दूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** **1 सर्वेक्षण त्रुटि (नवीन जो सम्पूर्ण छूट गये)**

7	AKH-437/1	सलतईबाई / बाबू / एखंड	मेरे घर का भू अर्जन करने बाबत।	आवेदिका के पुत्र के नाम को कृषि एफआरएल मुआवजा ग.प.क्र. 56 पर भूमि की मुआवजा राषि रु. 5529/- तथा आबादी ग.प.क्र. 200 पर भूखंड की राषि 19042/- का भुगतान किया गया है।	--	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री न.वि.सं.क्र.32 बड़वाह द्वारा प्रस्तुत भू-अर्जन प्रस्ताव में समिलित नहीं होने से अर्जन नहीं किया गया।
8	AKH-467	तेजबाई / गंगाराम / एखंड	जमीन ढूब में आने के बाद बचे घर को अधिग्रहित करने बाबत।	आवेदक को कृषि एफआरएल मुआवजा ग.प.क्र. 135 पर भूमि एवं अन्य की मुआवजा राषि रु. 57985/- का भुगतान किया गया है।	--	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री न.वि.सं.क्र.32 बड़वाह द्वारा प्रस्तुत भू-अर्जन प्रस्ताव में समिलित नहीं होने से अर्जन नहीं किया गयज्ञ।
9	AKH-471	सुरेन्द्र / तिलोकचंद / एखंड	मेरे घर का भू अर्जन करने बाबत।	आवेदक को कृषि एफआरएल मुआवजा ग.प.क्र. 192 पर भूमि व मकान की मुआवजा राषि रु. 90388/- का भुगतान किया गया है।	--	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री न.वि.सं.क्र.32 बड़वाह द्वारा प्रस्तुत भू-अर्जन प्रस्ताव में समिलित नहीं होने से अर्जन नहीं किया गयज्ञ।
10	AKH-226	सुरेश / पंढरी / एखंड	मेरे घर का भू अर्जन करने बाबत।	--	--	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री न.वि.सं.क्र.32 बड़वाह द्वारा प्रस्तुत भू-अर्जन प्रस्ताव में समिलित नहीं होने से अर्जन नहीं किया गया।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क0	पंजी. क0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
----	-------------	--	---------------	--	---	--	------------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार : 1 सर्वेक्षण त्रुटि (नवीन जो सम्पूर्ण छूट गये)**

11	AKH-453	खुमसिंह / चमारिया / एखण्ड	मेरे घर का भू अर्जन करने बाबत।	आवेदक को कृषि एफआरएल मुआवजा ग.प.क्र. 226 पर मकान की मुआवजा राषि रु. 57697/- का भुगतान किया गया है।	---	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री न.वि.सं.क्र.32 बड़वाह द्वारा प्रस्तुत भू-अर्जन प्रस्ताव में समिलित नहीं होने से अर्जन नहीं किया गया।
12	AKH-454	अनोखीलाल / जंगल्या / एखण्ड	मेरे घर का भू अर्जन करने बाबत।	---	---	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री न.वि.सं.क्र.32 बड़वाह द्वारा प्रस्तुत भू-अर्जन प्रस्ताव में समिलित नहीं होने से अर्जन नहीं किया गया।
13	AKH-455	मोजीलाल / दल्या / एखण्ड	मेरे घर का भू अर्जन करने बाबत।	आवेदक को आबादी एफआरएल मुआवजा ग.प.क्र. 234 पर मकान भूखंड की मुआवजा राषि रु. 87508/- का भुगतान किया गया है। तथा पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 227 पर अन्य व्यवसाय के मान से राषि 56850/- स्वीकृत की गई है।	---	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री न.वि.सं.क्र.32 बड़वाह द्वारा प्रस्तुत भू-अर्जन प्रस्ताव में समिलित नहीं होने से अर्जन नहीं किया गया।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
----	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** **1 सर्वेक्षण त्रुटि (नवीन जो सम्पूर्ण छूट गये)**

14 AKH-456	भुवानीशंकर / गोविंद / एखण्ड	मेरे घर का भू अर्जन करने बाबत।	आवेदक को कृषि एफआरएल मुआवजा ग.प.क्र. 65 पर भूमि एवं अन्य की मुआवजा राष्ट्र रु. 558344/- का भुगतान किया गया है तथा पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 112 पर कृषि व्यवसाय के मान से राष्ट्र 29350/- स्वीकृत की गई है।	—	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री न.वि.सं.क्र.32 बड़वाह द्वारा प्रस्तुत भू-अर्जन प्रस्ताव में समिलित नहीं होने से अर्जन नहीं किया गया।
------------	-----------------------------	--------------------------------	--	---	---

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**दूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
----	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :**

**1 सर्वेक्षण त्रुटि (नवीन जो सम्पूर्ण छूट गये)**

15 AKH-459 अर्जुन / श्यामा / एखण्ड	मेरे घर का भू अर्जन करने बाबत।	—	जीआरए प्रकरण क्र. 21882 आदेश दिनांक 20.04.2009 द्वारा पुनर्वास अनुदान अमान्य।	जी.आर.ए. प्रकरण क्र.21882 आदेश दिनांक 20.04.2009 के अनुसार प्रकरण श्रीमान कलेक्टर खण्डवा की ओर निराकरण हेतु भेजा गया। श्रीमान कलेक्टर महोदय खण्डवा के पत्र क्र. 286 / 09 / एलए / 11039 खण्डवा दिनांक 21.08.09 द्वारा निराकरण किया गया, कि धारा-4 की अधिसूचना प्रकाशन दिनांक को अस्तित्व में नहीं था। प्रस्तावक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर दि.18. 02.06 को अवार्ड पारित किया जा चुका है। अवार्ड पारित किये जाने के प्लान अवार्ड अंतिम हो जाता है। इससे किसी व्यक्ति के पीड़ित होने पर उसके द्वारा सक्षम न्यायालय में रिफ्रेन्स आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। न्यायालय में रिफ्रेन्स आवेदन लगाना या नहीं लगाना आवेदक के विवेक पर निर्भर करता है।
---------------------------------------	-----------------------------------	---	---	--

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क0	पंजी. क0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
----	-------------	--	---------------	--	---	--	------------------------

ग्राम का नाम : एखण्ड

आवेदन पत्र का प्रकार : 1 सर्वेक्षण त्रुटि (नवीन जो सम्पूर्ण छूट गये)

अवार्ड पारित हो जाने के  
प्रचात प्रकरण पुनर्विलोकन  
अथवा कतिपय संशोधन भी  
अधोहस्ताक्षर द्वारा नहीं  
किया जा सकता है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**दूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
----	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :**

**1 सर्वेक्षण त्रुटि (नवीन जो सम्पूर्ण छूट गये)**

16 AKH-452 भागचंद / लक्ष्मण / एखण्ड	मेरे घर का भू अर्जन करने बाबत।	—	जीआरए प्रकरण क्र. 21825 21825 आदेश दिनांक 20.04.2009 20.04.2009 द्वारा पुनर्वास अनुदान अमान्य।	जी.आर.ए. प्रकरण क्र.21825 आदेश दिनांक 20.04.2009 के अनुसार प्रकरण श्रीमान कलेक्टर खण्डवा की ओर निराकरण हेतु भेजा गया। श्रीमान कलेक्टर महोदय खण्डवा के पत्र क्र. 286 / 09 / एलए / 11039 खण्डवा दिनांक 21.08.09 द्वारा निराकरण किया गया, कि धारा-4 की अधिसूचना प्रकाशन दिनांक को अस्तित्व में नहीं था। प्रस्तावक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर दि.18. 02.06 को अवार्ड पारित किया जा चुका है। अवार्ड पारित किये जाने के प्लान अवार्ड अंतिम हो जाता है। इससे किसी व्यक्ति के पीड़ित होने पर उसके द्वारा सक्षम न्यायालय में रिफ्रेन्स आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। न्यायालय में रिफ्रेन्स आवेदन लगाना या नहीं लगाना आवेदक के विवेक पर निर्भर करता है।
-------------------------------------	--------------------------------	---	--	--

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क0	पंजी. क0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
----	-------------	--	---------------	--	---	--	------------------------

ग्राम का नाम : एखण्ड

आवेदन पत्र का प्रकार : **1 सर्वेक्षण त्रुटि (नवीन जो सम्पूर्ण छूट गये)**

अवार्ड पारित हो जाने के  
प्रचात प्रकरण पुनर्विलोकन  
अथवा कतिपय संशोधन भी  
अधोहस्ताक्षर द्वारा नहीं  
किया जा सकता है।

## ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा उच्च स्तरीय जॉच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

## ग्राम का नाम : एखण्ड

## आवेदन पत्र का प्रकार :

## 1 सर्वेक्षण त्रुटि (नवीन जो सम्पूर्ण छूट गये)

17 AKH-451 राजलबाई / मेरे घर का भू  
शोभाराम / एखुंड अर्जन करने बाबत।

— —

जीआरए प्रकरण क्र. 21824 आदेश दिनांक 20.04.2009 द्वारा पुनर्वास अनुदान अमान्य। जी.आर.ए. प्रकरण क्र.21824 आदेश दिनांक 20.04.2009 के अनुसार प्रकरण श्रीमान कलेक्टर खण्डवा की ओर निराकरण हेतु भेजा गया।

286 / 09 / एलए / 11039  
खंडवा दिनांक 21.08.09  
द्वारा निराकरण किया गया,  
कि धारा-4 की अधिसूचना  
प्रकाशन दिनांक को  
अस्तित्व में नहीं था।  
प्रस्तावक विभाग से प्राप्त  
प्रस्ताव के आधार पर दि. 18.  
02.06 को अवार्ड परित  
किया जा चुका है। अवार्ड  
परित किये जाने के प्लचात  
अवार्ड अंतिम हो जाता है।  
इससे किसी व्यक्ति के  
पीड़ित होने पर उसके द्वारा  
सक्षम न्यायालय में रिफ्रेन्स  
आवेदन प्रस्तुत किया जा  
सकता है। न्यायालय में  
रिफ्रेन्स आवेदन लगाना या  
नहीं लगाना आवेदक के  
विवेक पर निर्भर करता है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**दूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
----	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : एखण्ड

आवेदन पत्र का प्रकार : 1 सर्वेक्षण त्रुटि (नवीन जो सम्पूर्ण छूट गये)

अवार्ड पारित हो जाने के पश्चात प्रकरण पुनर्विलोकन अथवा कतिपय संशोधन भी अधोहस्ताक्षर द्वारा नहीं किया जा सकता है।

18 AKH-461 बिरोजबाई / चैन्या मेरे घर का भू / एखंड अर्जन करने बाबत। — — प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री न.वि.सं.क्र.32 बड़वाह द्वारा प्रस्तुत भू—अर्जन प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं होने से अर्जन नहीं किया गया।

19 AKH-449 अनिल / पूनाजी मेरे घर का भू / एखंड अर्जन करने बाबत। आवेदक को आबादी एफआरएल मुआवजा ग.प.क्र. 215 पर मकान भूखंड की मुआवजा राषि रु. 39336/- का भुगतान किया गया है तथा पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 248 पर कृषि व्यवसाय के मान से राषि 38700/- स्वीकृत की गई है

— — प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री न.वि.सं.क्र.32 बड़वाह द्वारा प्रस्तुत भू—अर्जन प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं होने से अर्जन नहीं किया गया।

20 AKH-227 सुमनबाई / मेरे घर का अर्जन मांगीलाल / एखंड करने बाबत। — — प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री न.वि.सं.क्र.32 बड़वाह द्वारा प्रस्तुत भू—अर्जन प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं होने से अर्जन नहीं किया गया।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
----	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : एखण्ड

आवेदन पत्र का प्रकार : 1 सर्वेक्षण त्रुटि (नवीन जो सम्पूर्ण छूट गये)

21 AKH-466 फूलबाई / बाबूजी / एखंड	मेरे घर का भू अर्जन करने बाबत।	—	—	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री न.वि.सं.क्र.32 बड़वाह द्वारा प्रस्तुत भू-अर्जन प्रस्ताव में समिलित नहीं होने से अर्जन नहीं किया गया।
--------------------------------------	-----------------------------------	---	---	--

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
----	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** **1 सर्वेक्षण त्रुटि (नवीन जो सम्पूर्ण छूट गये)**

22 AKH-441 बिसन / बन्धा / एखण्ड	मेरे घर का भू अर्जन करने बाबत।	आवेदक को कृषि एफआरएल मुआवजा ग.प.क्र. 227 पर मकान की मुआवजा राषि रु. 34035/- का भुगतान किया गया है तथा पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 344 पर अन्य व्यवसाय के मान से राषि 76850/- स्वीकृत की गई है।	जीआरए प्रकरण क्र. 21839 आदेश दिनांक 17.04.2009 17.04.2009 द्वारा पुनर्वास अनुदान अमान्य।	जी.आर.ए. प्रकरण क्र.21839 आदेश दिनांक 17.04.2009 के अनुसार प्रकरण श्रीमान कलेक्टर खण्डवा की ओर निराकरण हेतु भेजा गया। श्रीमान कलेक्टर महोदय खण्डवा के पत्र क्र. 286 / 09 / एलए / 11039 खंडवा दिनांक 21.08.09 द्वारा निराकरण किया गया, कि धारा-4 की अधिसूचना प्रकाशन दिनांक को अस्तित्व में नहीं था। प्रस्तावक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर दि.18. 02.06 को अवार्ड पारित किया जा चुका है। अवार्ड पारित किये जाने के प्लान अवार्ड अंतिम हो जाता है। इससे किसी व्यक्ति के पीड़ित होने पर उसके द्वारा सक्षम न्यायालय में रिफ्रेन्स आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। न्यायालय में रिफ्रेन्स आवेदन लगाना या नहीं लगाना आवेदक के विवेक पर निर्भर करता है।
---------------------------------	--------------------------------	---	--	---

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
----	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : एखण्ड

आवेदन पत्र का प्रकार : 1 सर्वेक्षण त्रुटि (नवीन जो सम्पूर्ण छूट गये)

अवार्ड पारित हो जाने के पश्चात प्रकरण पुनर्विलोकन अथवा कतिपय संशोधन भी अधोहस्ताक्षर द्वारा नहीं किया जा सकता है।

23 AKH-442	लालसिंह / फूलसिंह /	जमीन झूब में आने के बाद बचे घर को अधिग्रहित करने बाबत	—	—	आवेदक के नाम से कोई भी संपत्ति का अधिग्रहण नहीं किया गया है। अतः अमान्य है।
------------	---------------------	---	---	---	---

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
----	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 1 सर्वेक्षण त्रुटि (नवीन जो सम्पूर्ण छूट गये)

24 AKH-443 महेश / प्रताप / एखण्ड	मेरे घर का भू अर्जन करने बाबत। एफआरएल मुआवजा ग.प.क्र. 77 पर संयुक्त खाते में मकान भूखंड की मुआवजा राषि रु. 176431/- का भुगतान किया गया है तथा पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 70 पर अन्य व्यवसाय के मान से राषि 67500/- स्वीकृत की गई है।	आवेदक को आबादी पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 21834 आदेश दिनांक 17.04.2009 पर संयुक्त खाते में कलेक्टर खण्डवा की ओर निराकरण हेतु भेजा गया। श्रीमान कलेक्टर महोदय खण्डवा के पत्र क्र. 286 / 09 / एलए / 11039 खण्डवा दिनांक 21.08.09 द्वारा निराकरण किया गया, कि धारा-4 की अधिसूचना प्रकाशन दिनांक को अस्तित्व में नहीं था। प्रस्तावक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर दि. 18.02.06 को अवार्ड पारित किया जा चुका है। अवार्ड पारित किये जाने के प्लान अवार्ड अंतिम हो जाता है। इससे किसी व्यक्ति के पीड़ित होने पर उसके द्वारा सक्षम न्यायालय में रिफ्रेन्स आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। न्यायालय में रिफ्रेन्स आवेदन लगाना या नहीं लगाना आवेदक के विवेक पर निर्भर करता है।
----------------------------------	--	---

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क0	पंजी. क0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
----	-------------	--	---------------	--	---	--	------------------------

ग्राम का नाम : एखण्ड

आवेदन पत्र का प्रकार : **1 सर्वेक्षण त्रुटि (नवीन जो सम्पूर्ण छूट गये)**

अवार्ड पारित हो जाने के  
प्रचात प्रकरण पुनर्विलोकन  
अथवा कतिपय संशोधन भी  
अधोहस्ताक्षर द्वारा नहीं  
किया जा सकता है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**दूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
----	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** **1 सर्वेक्षण त्रुटि (नवीन जो सम्पूर्ण छूट गये)**

25 AKH-445 कैलाश / लक्ष्मण / एखण्ड

मेरे घर का भू अर्जन करने बाबत। एफआरएल मुआवजा ग.प.क्र. 332 पर मकान भूखंड की मुआवजा राष्टि रु. 118923/- का भुगतान किया गया है तथा पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 300 पर अन्य व्यवसाय के मान से राष्टि 76850/- स्वीकृत की गई है।

जीआरए प्रकरण क्र. 21842 आदेश दिनांक 17.04.2009 17.04.2009 द्वारा पुनर्वास अनुदान अमान्य।

जी.आर.ए. प्रकरण क्र.21842 आदेश दिनांक 17.04.2009 के अनुसार प्रकरण श्रीमान कलेक्टर खण्डवा की ओर निराकरण हेतु भेजा गया। श्रीमान कलेक्टर महोदय खंडवा के पत्र क्र. 286 / 09 / एलए / 11039 खंडवा दिनांक 21.08.09 द्वारा निराकरण किया गया, कि धारा-4 की अधिसूचना प्रकाशन दिनांक को अस्तित्व में नहीं था। प्रस्तावक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर दि.18. 02.06 को अवार्ड पारित किया जा चुका है। अवार्ड पारित किये जाने के प्लान अवार्ड अंतिम हो जाता है। इससे किसी व्यक्ति के पीड़ित होने पर उसके द्वारा सक्षम न्यायालय में रिफ्रेन्स आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। न्यायालय में रिफ्रेन्स आवेदन लगाना या नहीं लगाना आवेदक के विवेक पर निर्भर करता है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**दूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : एखण्ड

आवेदन पत्र का प्रकार : 1 सर्वेक्षण त्रुटि (नवीन जो सम्पूर्ण छूट गये)

अवार्ड पारित हो जाने के पश्चात प्रकरण पुनर्विलोकन अथवा कतिपय संशोधन भी अधोहस्ताक्षर द्वारा नहीं किया जा सकता है।

26 AKH-446	रामसिंह / हरेसिंह / एखंड	मेरे घर का भू अर्जन करने बाबत।	—	—	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री न.वि.सं.क्र.32 बड़वाह द्वारा प्रस्तुत भू-अर्जन प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं होने से अर्जन नहीं किया गया।
27 AKH-460	पूनाबाई / हीरालाल / एखंड	मेरे घर का भू अर्जन करने बाबत।	आवेदक को कृषि एफआरएल मुआवजा ग.प.क्र. 95 पर भूमि एवं अन्य की मुआवजा राष्ट्री रु. 1005110/- का भुगतान किया गया है।	—	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री न.वि.सं.क्र.32 बड़वाह द्वारा प्रस्तुत भू-अर्जन प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं होने से अर्जन नहीं किया गया।
28 AKH-450	शिवराम / चैन्या / एखंड	मेरे घर का भू अर्जन करने बाबत।	आवेदक को आबादी एफआरएल मुआवजा ग.प.क्र. 243 पर मकान भूखंड की मुआवजा राष्ट्री रु. 32458/- का भुगतान किया गया है तथा पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 238 पर अन्य व्यवसाय के मान से राष्ट्री 76850/- स्वीकृत की गई है।	—	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री न.वि.सं.क्र.32 बड़वाह द्वारा प्रस्तुत भू-अर्जन प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं होने से अर्जन नहीं किया गया।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क0	पंजी. क0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
----	-------------	--	---------------	--	---	--	------------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** **1 सर्वेक्षण त्रुटि (नवीन जो सम्पूर्ण छूट गये)**

29 AKH-463 मोहन / हरचंद / मेरे घर का भू --- --- प्रस्तावक विभाग कार्यपालन  
यंत्री न.वि.सं.क्र.32 बड़वाह  
द्वारा प्रस्तुत भू-अर्जन  
प्रस्ताव में समिलित नहीं  
होने से अर्जन नहीं किया  
गया।

30 AKH-462 रमेश / देवराम / मेरे घर का भू आवेदक को आबादी --- प्रस्तावक विभाग कार्यपालन  
यंत्री न.वि.सं.क्र.32 बड़वाह  
द्वारा प्रस्तुत भू-अर्जन  
प्रस्ताव में समिलित नहीं  
होने से अर्जन नहीं किया  
गया।

एक्षंड अर्जन करने बाबत। एफआरएल मुआवजा ग.प.क्र.  
10 पर मकान भूखंड की  
मुआवजा राषि रु.  
138685/- का भुगतान  
किया गया है  
तथा पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र.  
13 पर कृषि व्यवसाय के मान  
से राषि 34350/- स्वीकृत  
की गई है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**दूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
----	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : एखण्ड

आवेदन पत्र का प्रकार : **1 सर्वेक्षण त्रुटि (नवीन जो सम्पूर्ण छूट गये)**

31 AKH-482 कालू / राजाराम / एखण्ड	मेरे घर का भू अर्जन करने बाबत।	आवेदक को कृषि एफआरएल मुआवजा ग.प.क्र. 104 पर भूमि, मकान व अन्य की मुआवजा राषि रु. 691782/- का भुगतान किया गया है। आवेदक को आबादी एफआरएल मुआवजा ग.प.क्र. 87 पर मकान, भूखंड की मुआवजा राषि रु. 264503/- का भुगतान किया गया है तथा पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 73 पर कृषि व्यवसाय के मान से राषि 34350/- स्वीकृत की गई है	—	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री न.वि.सं.क्र.32 बड़वाह द्वारा प्रस्तुत भू-अर्जन प्रस्ताव के आधार पर किया गया है, अवार्ड गणना पत्रक में उन्हीं परिसम्पत्तियों को शामिल किया गया है, जो प्रस्ताव में दर्ज थी।
-----------------------------------	--------------------------------	--	---	---

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**दूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
----	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :**

**1 सर्वेक्षण त्रुटि (नवीन जो सम्पूर्ण छूट गये)**

32 AKH-29 चेनसिंह / मुआवजा राशि  
शोभाराम / एखण्ड दिलाने बाबत

---

जी.आर.ए. प्रकरण क्र. 21829 आदेश दि. 17. 04.09 के अनुसार प्रकरण श्रीमान कलेक्टर खण्डवा की ओर निराकरण हेतु भेजा गया। श्रीमान कलेक्टर महोदय खण्डवा के पत्र क्र. 286 / 09 / एलए / 11039 खण्डवा दिनांक 21.08.09 द्वारा निराकरण किया गया, कि धारा-4 की अधिसूचना प्रकाशन दिनांक को अस्तित्व में नहीं था। प्रस्तावक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर दि. 18.02.06 को अवार्ड पारित किया जा चुका है। अवार्ड पारित किये जाने के पश्चात अवार्ड अंतिम हो जाता है। इससे किसी व्यक्ति के पीड़ित होने पर उसके द्वारा सक्षम न्यायालय

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
----	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : एखण्ड

आवेदन पत्र का प्रकार : **1 सर्वेक्षण त्रुटि (नवीन जो सम्पूर्ण छूट गये)**

में रिफ्रेन्स आवेदन  
प्रस्तुत किया जा  
सकता है। न्यायालय  
में रिफ्रेन्स आवेदन  
लगाना या नहीं लगाना  
आवेदक के विवेक पर  
निर्भर करता है। अवार्ड  
पारित हो जाने के  
पश्चात प्रकरण  
पुनर्विलोकन अथवा  
कतिपय संशोधन भी  
अधोहस्ताक्षर द्वारा नहीं  
किया जा सकता है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**दूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
----	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :**

**1 सर्वेक्षण त्रुटि (नवीन जो सम्पूर्ण छूट गये)**

33 AKH-30 रामा / हीरा / मकान का मुआवजा  
एखण्ड दिलाने बाबत

----

जी.आर.ए. प्रकरण क्र. 21853 आदेश दि. 20. 04.09 के अनुसार प्रकरण श्रीमान कलेक्टर खण्डवा की ओर निराकरण हेतु भेजा गया। श्रीमान कलेक्टर महोदय खण्डवा के पत्र क्र. 286 / 09 / एलए / 11039 खण्डवा दिनांक 21.08.09 द्वारा निराकरण किया गया, कि धारा-4 की अधिसूचना प्रकाशन दिनांक को अस्तित्व में नहीं था। प्रस्तावक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर दि. 18.02.06 को अवार्ड पारित किया जा चुका है। अवार्ड पारित किये जाने के पश्चात अवार्ड अंतिम हो जाता है। इससे किसी व्यक्ति के पीड़ित होने पर उसके द्वारा सक्षम न्यायालय

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
----	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : एखण्ड

आवेदन पत्र का प्रकार : **1 सर्वेक्षण त्रुटि (नवीन जो सम्पूर्ण छूट गये)**

में रिफ्रेन्स आवेदन  
प्रस्तुत किया जा  
सकता है। न्यायालय  
में रिफ्रेन्स आवेदन  
लगाना या नहीं लगाना  
आवेदक के विवेक पर  
निर्भर करता है। अवार्ड  
पारित हो जाने के  
पश्चात प्रकरण  
पुनर्विलोकन अथवा  
कतिपय संशोधन भी  
अधोहस्ताक्षर द्वारा नहीं  
किया जा सकता है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**दूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
----	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :**

**1 सर्वेक्षण त्रुटि (नवीन जो सम्पूर्ण छूट गये)**

34 AKH-432 नन्हू / सीताराम  
/ एखंड

मेरे घर का भू  
अर्जन करने बाबत।

—

जीआरए प्रकरण क्र.  
21833 आदेश दिनांक  
20.04.2009 द्वारा  
पुनर्वास अनुदान  
अमान्य।

जी.आर.ए. प्रकरण क्र.21833  
आदेश दिनांक 20.04.2009  
के अनुसार प्रकरण श्रीमान  
कलेक्टर खण्डवा की ओर  
निराकरण हेतु भेजा गया।  
श्रीमान कलेक्टर महोदय  
खण्डवा के पत्र क्र.  
286 / 09 / एलए / 11039  
खण्डवा दिनांक 21.08.09  
द्वारा निराकरण किया गया,  
कि धारा-4 की अधिसूचना  
प्रकाशन दिनांक को  
अस्तित्व में नहीं था।  
प्रस्तावक विभाग से प्राप्त  
प्रस्ताव के आधार पर दि.18.  
02.06 को अवार्ड पारित  
किया जा चुका है। अवार्ड  
पारित किये जाने के प्लान  
अवार्ड अंतिम हो जाता है।  
इससे किसी व्यक्ति के  
पीड़ित होने पर उसके द्वारा  
सक्षम न्यायालय में रिफ्रेन्स  
आवेदन प्रस्तुत किया जा  
सकता है। न्यायालय में  
रिफ्रेन्स आवेदन लगाना या  
नहीं लगाना आवेदक के  
विवेक पर निर्भर करता है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क0	पंजी. क0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
----	-------------	--	---------------	--	---	--	------------------------

ग्राम का नाम : एखण्ड

आवेदन पत्र का प्रकार : **1 सर्वेक्षण त्रुटि (नवीन जो सम्पूर्ण छूट गये)**

अवार्ड पारित हो जाने के  
प्रचात प्रकरण पुनर्विलोकन  
अथवा कतिपय संशोधन भी  
अधोहस्ताक्षर द्वारा नहीं  
किया जा सकता है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**दूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
----	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :**

**1 सर्वेक्षण त्रुटि (नवीन जो सम्पूर्ण छूट गये)**

35 AKH-439 बिनाबाई / रामसिंह / एखण्ड	मेरे घर का भू अर्जन करने बाबत।	—	जीआरए प्रकरण क्र. 21823 21823 आदेश दिनांक 17.04.2009 17.04.2009 द्वारा पुनर्वास अनुदान अमान्य।	जी.आर.ए. प्रकरण क्र.21823 आदेश दिनांक 17.04.2009 के अनुसार प्रकरण श्रीमान कलेक्टर खण्डवा की ओर निराकरण हेतु भेजा गया। श्रीमान कलेक्टर महोदय खण्डवा के पत्र क्र. 286 / 09 / एलए / 11039 खण्डवा दिनांक 21.08.09 द्वारा निराकरण किया गया, कि धारा-4 की अधिसूचना प्रकाशन दिनांक को अस्तित्व में नहीं था। प्रस्तावक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर दि.18. 02.06 को अवार्ड पारित किया जा चुका है। अवार्ड पारित किये जाने के प्लान अवार्ड अंतिम हो जाता है। इससे किसी व्यक्ति के पीड़ित होने पर उसके द्वारा सक्षम न्यायालय में रिफ्रेन्स आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। न्यायालय में रिफ्रेन्स आवेदन लगाना या नहीं लगाना आवेदक के विवेक पर निर्भर करता है।
--------------------------------------	--------------------------------	---	---	---

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
----	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : एखण्ड

आवेदन पत्र का प्रकार : 1 सर्वेक्षण त्रुटि (नवीन जो सम्पूर्ण छूट गये)

अवार्ड पारित हो जाने के पश्चात प्रकरण पुनर्विलोकन अथवा कतिपय संशोधन भी अधोहस्ताक्षर द्वारा नहीं किया जा सकता है।

36 AKH-458 सुखराम / दयाराम मेरे घर का भू  
/ एखंड अर्जन करने बाबत।

— —

प्रश्नाधीन मकान कार्यपालन यंत्री न.वि.सं.क्र. 32 से प्राप्त प्रस्ताव में शामिल नहीं होने से अर्जित नहीं किया गया। कलेक्टर, खण्डवा के पत्र क्र. 11039 दि. 21.08.2009 द्वारा मकान धारा-4 के उपरांत निर्मित होने से अमान्य।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**दूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :**

**1 सर्वेक्षण त्रुटि (नवीन जो सम्पूर्ण छूट गये)**

37 AKH-38 नन्हू / सीताराम / एखण्ड	मकान मुआवजा व अनुदान बाबत	—	जी.आर.ए. प्रकरण क्र. 21833 आदेश दि. 20. 04.09 के अनुसार प्रकरण श्रीमान कलेक्टर खण्डवा की ओर निराकरण हेतु भेजा गया। श्रीमान कलेक्टर महोदय खण्डवा के पत्र क्र. 286 / 09 / एलए / 11039 खण्डवा दिनांक 21.08.09 द्वारा निराकरण किया गया, कि धारा-4 की अधिसूचना प्रकाशन दिनांक को अस्तित्व में नहीं था। प्रस्तावक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर दि. 18.02. 06 को अवार्ड पारित किया जा चुका है। अवार्ड पारित किये जाने के पश्चात अवार्ड अंतिम हो जाता है। इससे किसी व्यक्ति के पीड़ित होने पर उसके द्वारा सक्षम न्यायालय	आवेदक का मकान प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री न.वि.सं.क्र.32 बड़वाह द्वारा प्रस्तुत भू-अर्जन प्रस्ताव में समिलित नहीं किया गया था, तथा मकान भूअर्जन अधिनियम की धारा-4(1) की अधिसूचना प्रकाशन के पश्चात् बना होने के कारण समिलित नहीं किया गया है। अतः प्रस्तुत आवेदन निरस्त योग्य है।
-----------------------------------	------------------------------	---	--	--

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा  
**दूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
----	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : एखण्ड

आवेदन पत्र का प्रकार : **1 सर्वेक्षण त्रुटि (नवीन जो सम्पूर्ण छूट गये)**

में रिफ्रेन्स आवेदन  
 प्रस्तुत किया जा  
 सकता है। न्यायालय  
 में रिफ्रेन्स आवेदन  
 लगाना या नहीं लगाना  
 आवेदक के विवेक पर  
 निर्भर करता है। अवार्ड  
 पारित हो जाने के  
 पश्चात प्रकरण  
 पुनर्विलोकन अथवा  
 कतिपय संशोधन भी  
 अधोहस्ताक्षर द्वारा नहीं  
 किया जा सकता है।

38 AKH-478 गुलाबबाई / बाबू  
 / एखण्ड मेरे घर का भू  
 अर्जन करने बाबत।

--

प्रस्तावक विभाग कार्यपालन  
 यंत्री न.वि.सं.क्र.32 बड़वाह  
 द्वारा प्रस्तुत भू-अर्जन  
 प्रस्ताव में समिलित नहीं  
 होने से अर्जन नहीं किया  
 गयज़ः

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**दूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
----	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** **1 सर्वेक्षण त्रुटि (नवीन जो सम्पूर्ण छूट गये)**

39 AKH-440 राजेश / प्रताप / एखण्ड	मेरे घर का भू अर्जन करने बाबत।	आवेदक के पिता को संयुक्त खाते में आबादी एफआरएल मुआवजा ग.प.क्र. 77 पर मकान की मुआवजा राषि रु. 176431/- का भुगतान किया गया है तथा आवेदक को पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 71 पर अन्य व्यवसाय के मान से राषि 62500/- स्वीकृत की गई है।	जीआरए प्रकरण क्र. 21832 आदेश दिनांक 20.04.2009 के अनुसार प्रकरण श्रीमान कलेक्टर खण्डवा की ओर निराकरण हेतु भेजा गया। श्रीमान कलेक्टर महोदय खण्डवा के पत्र क्र. 286 / 09 / एलए / 11039 खण्डवा दिनांक 21.08.09 द्वारा निराकरण किया गया, कि धारा-4 की अधिसूचना प्रकाशन दिनांक को अस्तित्व में नहीं था। प्रस्तावक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर दि. 18. 02.06 को अवार्ड पारित किया जा चुका है। अवार्ड पारित किये जाने के प्लान अवार्ड अंतिम हो जाता है। इससे किसी व्यक्ति के पीड़ित होने पर उसके द्वारा सक्षम न्यायालय में रिफ्रेन्स आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। न्यायालय में रिफ्रेन्स आवेदन लगाना या नहीं लगाना आवेदक के विवेक पर निर्भर करता है।
-----------------------------------	--------------------------------	---	---

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
----	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : एखण्ड

आवेदन पत्र का प्रकार : 1 सर्वेक्षण त्रुटि (नवीन जो सम्पूर्ण छूट गये)

अवार्ड पारित हो जाने के पश्चात प्रकरण पुनर्विलोकन अथवा कतिपय संशोधन भी अधोहस्ताक्षर द्वारा नहीं किया जा सकता है।

40 AKH-480 रूपसिंह / गोविंद मेरे घर का भू  
/ एखंड अर्जन करने बाबत।

—

—

प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री न.वि.सं.क्र.32 बड़वाह द्वारा प्रस्तुत भू-अर्जन प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं होने से अर्जन नहीं किया गयज्ञः

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :**

**1 सर्वेक्षण त्रुटि (नवीन जो सम्पूर्ण छूट गये)**

41 AKH-28 भागचंद / लक्ष्मण मकान छूटने बाबत  
 / मकान छूटने  
 बाबत।

----

जी.आर.ए. प्रकरण क्र. 21825 आदेश दि. 20. 04.09 के अनुसार प्रकरण श्रीमान कलेक्टर खण्डवा की ओर निराकरण हेतु भेजा गया। श्रीमान कलेक्टर महोदय खण्डवा के पत्र क्र. 286 / 09 / एलए / 11039 खण्डवा दिनांक 21.08.09 द्वारा निराकरण किया गया, कि धारा-4 की अधिसूचना प्रकाशन दिनांक को अस्तित्व में नहीं था। प्रस्तावक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर दि. 18.02. 06 को अवार्ड पारित किया जा चुका है। अवार्ड पारित किये जाने के पश्चात अवार्ड अंतिम हो जाता है। इससे किसी व्यक्ति के पीड़ित होने पर उसके द्वारा सक्षम न्यायालय

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
----	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : एखण्ड

आवेदन पत्र का प्रकार : 1 सर्वेक्षण त्रुटि (नवीन जो सम्पूर्ण छूट गये)

में रिफ्रेन्स आवेदन  
प्रस्तुत किया जा  
सकता है। न्यायालय  
में रिफ्रेन्स आवेदन  
लगाना या नहीं लगाना  
आवेदक के विवेक पर  
निर्भर करता है। अवार्ड  
पारित हो जाने के  
पश्चात प्रकरण  
पुनर्विलोकन अथवा  
कतिपय संशोधन भी  
अधोहस्ताक्षर द्वारा नहीं  
किया जा सकता है।

42 AKH-481	भागवतीबाई / ददू / एखंड	मेरे घर का भू अर्जन करने बाबत।	आवेदिका के पति को आबादी एफआरएल मुआवजा ग.प.क्र. 80 पर मकान भूखंड की मुआवजा राषि रु. 51643/- का भुगतान किया गया है तथा पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 67 पर अन्य व्यवसाय के मान से राषि 67500/- स्वीकृत की गई है।	--	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री न.वि.सं.क्रं.32 बड़वाह द्वारा प्रस्तुत भू-अर्जन प्रस्ताव के आधार पर किया गया है, अवार्ड गणना पत्रक में उन्हीं परिसम्पत्तियों को शामिल किया गया है, जो प्रस्ताव में दर्ज थी।
------------	---------------------------	-----------------------------------	---	----	---

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**दूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
----	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :**

**1 सर्वेक्षण त्रुटि (नवीन जो सम्पूर्ण छूट गये)**

43 AKH-479 रामा / हीरा / एखण्ड	मेरे घर का भू अर्जन करने बाबत।	—	जीआरए प्रकरण क्र. 21853 आदेश दिनांक 20.04.2009 के अनुसार प्रकरण श्रीमान कलेक्टर खण्डवा की ओर निराकरण हेतु भेजा गया। श्रीमान कलेक्टर महोदय खण्डवा के पत्र क्र. 286 / 09 / एलए / 11039 खण्डवा दिनांक 21.08.09 द्वारा निराकरण किया गया, कि धारा-4 की अधिसूचना प्रकाशन दिनांक को अस्तित्व में नहीं था। प्रस्तावक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर दि. 18. 02.06 को अवार्ड पारित किया जा चुका है। अवार्ड पारित किये जाने के प्लान अवार्ड अंतिम हो जाता है। इससे किसी व्यक्ति के पीड़ित होने पर उसके द्वारा सक्षम न्यायालय में रिफ्रेन्स आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। न्यायालय में रिफ्रेन्स आवेदन लगाना या नहीं लगाना आवेदक के विवेक पर निर्भर करता है।
--------------------------------	--------------------------------	---	---

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**दूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
----	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : एखण्ड

आवेदन पत्र का प्रकार : 1 सर्वेक्षण त्रुटि (नवीन जो सम्पूर्ण छूट गये)

अवार्ड पारित हो जाने के पश्चात प्रकरण पुनर्विलोकन अथवा कतिपय संशोधन भी अधोहस्ताक्षर द्वारा नहीं किया जा सकता है।

44 AKH-483	भीमसिंह / कलसिंह /	मेरे घर का भू अर्जन करने बाबत।	—	—	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री न.वि.सं.क्र.32 बड़वाह द्वारा प्रस्तुत भू-अर्जन प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं होने से अर्जन नहीं किया गयज्ञं
------------	-----------------------	-----------------------------------	---	---	--

45 AKH-485	लक्ष्मण / / अमरसिंह / एखंड	मेरे घर का भू अर्जन करने बाबत।	आवेदक के पिता को कृषि एफआरएल मुआवजा ग.प.क्र. 205 पर मकान की मुआवजा राषि रु. 34389/- का भुगतान किया गया है तथा आवेदक को पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 332 पर अन्य व्यवसाय के मान से राषि 71850/- स्वीकृत की गई है।	—	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री न.वि.सं.क्र.32 बड़वाह द्वारा प्रस्तुत भू-अर्जन प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं होने से अर्जन नहीं किया गया।
------------	----------------------------------	-----------------------------------	---	---	--

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क0	पंजी. क0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
----	-------------	--	---------------	--	---	--	------------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार : 1 सर्वेक्षण त्रुटि (नवीन जो सम्पूर्ण छूट गये)**

46 AKH-486	दिनेश / दुष्यंतराव / एखंड	मेरे घर का भू अर्जन करने बाबत।	आवेदक को आबादी एफआरएल मुआवजा ग.प.क्र. 70 पर भूखंड की मुआवजा राषि रु. 50778/- का भुगतान किया गया है तथा पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 146 पर कृषि व्यवसाय के मान से राषि 34350/- स्वीकृत की गई है।	—	—	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री न.वि.सं.क्र.32 बड़वाह द्वारा प्रस्तुत भू—अर्जन प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं होने से अर्जन नहीं किया गया।
47 AKH-487	शोभाराम / गेंदालाल / एखंड	मेरे घर का भू अर्जन करने बाबत।	—	—	—	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री न.वि.सं.क्र.32 बड़वाह द्वारा प्रस्तुत भू—अर्जन प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं होने से अर्जन नहीं किया गया।
48 AKH-488	नानसिंह / जयमाल / एखंड	मेरे घर का भू अर्जन करने बाबत।	आवेदक को कृषि एफआरएल मुआवजा ग.प.क्र. 229 पर मकान की मुआवजा राषि रु. 40068/- का भुगतान किया गया है।	—	—	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री न.वि.सं.क्र.32 बड़वाह द्वारा प्रस्तुत भू—अर्जन प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं होने से अर्जन नहीं किया गया।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**दूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
----	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :**

**1 सर्वेक्षण त्रुटि (नवीन जो सम्पूर्ण छूट गये)**

49 AKH-492	रेशमाबाई / सीताराम / एखण्ड	मेरे घर का भू अर्जन करने बाबत।	--	जीआरए प्रकरण क्र. 21851 21851 आदेश दिनांक 20.04.2009 20.04.2009 द्वारा पुनर्वास अनुदान अमान्य।	जी.आर.ए. प्रकरण क्र.21851 आदेश दिनांक 20.04.2009 के अनुसार प्रकरण श्रीमान कलेक्टर खण्डवा की ओर निराकरण हेतु भेजा गया। श्रीमान कलेक्टर महोदय खण्डवा के पत्र क्र. 286 / 09 / एलए / 11039 खण्डवा दिनांक 21.08.09 द्वारा निराकरण किया गया, कि धारा-4 की अधिसूचना प्रकाशन दिनांक को अस्तित्व में नहीं था। प्रस्तावक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर दि.18. 02.06 को अवार्ड पारित किया जा चुका है। अवार्ड पारित किये जाने के प्लान अवार्ड अंतिम हो जाता है। इससे किसी व्यक्ति के पीड़ित होने पर उसके द्वारा सक्षम न्यायालय में रिफ्रेन्स आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। न्यायालय में रिफ्रेन्स आवेदन लगाना या नहीं लगाना आवेदक के विवेक पर निर्भर करता है।
------------	----------------------------	--------------------------------	----	--	---

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क0	पंजी. क0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
----	-------------	--	---------------	--	---	--	------------------------

ग्राम का नाम : एखण्ड

आवेदन पत्र का प्रकार : **1 सर्वेक्षण त्रुटि (नवीन जो सम्पूर्ण छूट गये)**

अवार्ड पारित हो जाने के  
प्रचात प्रकरण पुनर्विलोकन  
अथवा कतिपय संशोधन भी  
अधोहस्ताक्षर द्वारा नहीं  
किया जा सकता है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**दूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :**

**1 सर्वेक्षण त्रुटि (नवीन जो सम्पूर्ण छूट गये)**

50 AKH-4 गेंदालाल / भोलू मकान छूटने बाबत  
/ एखण्ड

--

जी.आर.ए. प्रकरण क्र. 21845 दि. 20.04.09 के अनुसार प्रकरण श्रीमान कलेक्टर खण्डवा की ओर निराकरण हेतु भेजा गया। श्रीमान कलेक्टर महोदय खण्डवा के पत्र क्र.286 / 09 / एलए / 11039 खण्डवा दिनांक 21.08.09 द्वारा निराकरण किया गया, कि धारा-4 की अधिसूचना प्रकाशन दिनांक को अस्तित्व में नहीं था। प्रस्तावक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर दि.18.02.06 को अवार्ड पारित किया जा चुका है। अवार्ड पारित किये जाने के पश्चात अवार्ड अंतिम हो जाता है। इससे किसी व्यक्ति के पीड़ित होने पर उसके द्वारा सक्षम न्यायालय में रिफ्रेन्स आवेदन

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
----	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : एखण्ड

आवेदन पत्र का प्रकार : 1 सर्वेक्षण त्रुटि (नवीन जो सम्पूर्ण छूट गये)

प्रस्तुत किया जा सकता है। न्यायालय में रिफ्रेन्स आवेदन लगाना या नहीं लगाना आवेदक के विवेक पर निर्भर करता है। अवार्ड पारित हो जाने के पश्चात प्रकरण पुनर्विलोकन अथवा कतिपय संशोधन भी अधोहस्ताक्षर द्वारा नहीं किया जा सकता है।

51 AKH-10 ओमप्रकाश / मकान झूब से छूटने पंडरीराव / एखण्ड बाबत्।

----

जी.आर.ए. प्रकरण क्र. 21733 आदेश दि. 06. 12.08 द्वारा अमान्य।

आवेदक का मकान प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री न.वि.सं.क्र.32 बड़वाह द्वारा प्रस्तुत भू-अर्जन प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं किया गया था, तथा मकान भूअर्जन अधिनियम की धारा-4(1) की अधिसूचना प्रकाशन के पश्चात् बना होने के कारण सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः प्रस्तुत आवेदन निरस्त योग्य है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
----	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : एखण्ड

आवेदन पत्र का प्रकार : **1 सर्वेक्षण त्रुटि (नवीन जो सम्पूर्ण छूट गये)**

52 AKH-437 अनिल / तापीराम / एखण्ड मेरे घर का भू अर्जन करने बाबत। आवेदक के पिता को आबादी एफआरएल मुआवजा ग.प.क्र. 84 पर मकान भूखंड की मुआवजा राषि रु. 66601/- का भुगतान किया गया है। --- प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री न.वि.सं.क्र.32 बड़वाह द्वारा प्रस्तुत भू-अर्जन प्रस्ताव में समिलित नहीं होने से अर्जन नहीं किया गया।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**द्वूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
----	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :**

**1 सर्वेक्षण त्रुटि (नवीन जो सम्पूर्ण छूट गये)**

53 AkH-14 मोहन / हरचंद / मकान छूटने बाबत्।  
एखण्ड

----

जी.आर.ए. प्रकरण क्र. 21453 आदेश दि. 06. 12.08 के अनुसार प्रकरण श्रीमान कलेक्टर खण्डवा की ओर निराकरण हेतु भेजा गया। श्रीमान कलेक्टर महोदय खण्डवा के पत्र क्र. 286 / 09 / एलए / 11039 खण्डवा दिनांक 21.08.09 द्वारा निराकरण किया गया, कि धारा-4 की अधिसूचना प्रकाशन दिनांक को अस्तित्व में नहीं था। प्रस्तावक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर दि. 18.02. 06 को अवार्ड पारित किया जा चुका है। अवार्ड पारित किये जाने के पश्चात अवार्ड अंतिम हो जाता है। इससे किसी व्यक्ति के पीड़ित होने पर उसके द्वारा सक्षम न्यायालय

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
----	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : एखण्ड

आवेदन पत्र का प्रकार : 1 सर्वेक्षण त्रुटि (नवीन जो सम्पूर्ण छूट गये)

में रिफ्रेन्स आवेदन  
प्रस्तुत किया जा  
सकता है। न्यायालय  
में रिफ्रेन्स आवेदन  
लगाना या नहीं लगाना  
आवेदक के विवेक पर  
निर्भर करता है। अवार्ड  
पारित हो जाने के  
पश्चात प्रकरण  
पुनर्विलोकन अथवा  
कतिपय संशोधन भी  
अधोहस्ताक्षर द्वारा नहीं  
किया जा सकता है।

54 AKH-436 बहादर / श्रवण / एखंड	मेरे घर का भू अर्जन करने बाबत।	आवेदक को कृषि एफआरएल मुआवजा ग.प.क्र. 10 पर संयुक्त खाते में भूमि की मुआवजा राषि रु. 115798/-, आबादी ग.प.क्र. 244 पर संयुक्त खाते में मकान भूखंड की राशि 108232/-तथा पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 239 पर कृषि व्यवसाय के मान से राषि 43700/- स्वीकृत की गई है।	--	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री न.वि.सं.क्र.32 बड़वाह द्वारा प्रस्तुत भू-अर्जन प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं होने से अर्जन नहीं किया गया।
------------------------------------	-----------------------------------	--	----	--

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**दूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
----	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : एखण्ड

आवेदन पत्र का प्रकार : 1 सर्वेक्षण त्रुटि (नवीन जो सम्पूर्ण छूट गये)

55 AKH-435	गुंदाबाई / भैरवसिंह / एखण्ड	मेरे घर का भू अर्जन करने बाबत।	आवेदक को कृषि एफआरएल मुआवजा ग.प.क्र. 226 पर संयुक्त खाते में भूमि, मकान अन्य की मुआवजा राषि रु. 175706/- तथा ग.प.क्र. 225 पर आवेदिका के पति के नाम मकान की राशि रु. 40790/- का भुगतान किया गया है।	--	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री, न.वि.सं.क्र.32 बड़वाह द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में प्राप्त संपत्ति का अर्जन कर मुआवजा राषि का भुगतान किया गया है। शेष छूटी हुई संपत्ति के सर्वेक्षण उपरांत प्रस्तावक विभाग द्वारा दिये गये प्रस्ताव अनुसार अर्जन किया जा सकता है।
------------	--------------------------------	-----------------------------------	--	----	---

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
----	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :**

**1 सर्वेक्षण त्रुटि (नवीन जो सम्पूर्ण छूट गये)**

56 AKH-24 नानीबाई / मकान का मुआवजा  
तोताराम / एखण्ड अनुदान एवं प्लाट  
आवंटित करने बाबत

—

जी.आर.ए. प्रकरण क्र. 21838 आदेश दि. 20. 04.09 के अनुसार प्रकरण श्रीमान कलेक्टर खण्डवा की ओर निराकरण हेतु भेजा गया। श्रीमान कलेक्टर महोदय खण्डवा के पत्र क्र. 286 / 09 / एलए / 11039 खण्डवा दिनांक 21.08.09 द्वारा निराकरण किया गया, कि धारा-4 की अधिसूचना प्रकाशन दिनांक को अस्तित्व में नहीं था। प्रस्तावक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर दि. 18.02.06 को अवार्ड पारित किया जा चुका है। अवार्ड पारित किये जाने के पश्चात अवार्ड अंतिम हो जाता है। इससे किसी व्यक्ति के पीड़ित होने पर उसके द्वारा सक्षम न्यायालय

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
----	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : एखण्ड

आवेदन पत्र का प्रकार : **1 सर्वेक्षण त्रुटि (नवीन जो सम्पूर्ण छूट गये)**

में रिफ्रेन्स आवेदन  
प्रस्तुत किया जा  
सकता है। न्यायालय  
में रिफ्रेन्स आवेदन  
लगाना या नहीं लगाना  
आवेदक के विवेक पर  
निर्भर करता है। अवार्ड  
पारित हो जाने के  
पश्चात प्रकरण  
पुनर्विलोकन अथवा  
कतिपय संशोधन भी  
अधोहस्ताक्षर द्वारा नहीं  
किया जा सकता है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
----	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :**

**1 सर्वेक्षण त्रुटि (नवीन जो सम्पूर्ण छूट गये)**

57 AKH-23 सीताराम / मकान का मुआवजा  
खुश्याल / एखण्ड अनुदान एवं प्लाट  
आवंटित करने बाबत

जी.आर.ए. प्रकरण क्र. 21851 आदेश दि. 20. 04.09 के अनुसार प्रकरण श्रीमान कलेक्टर खण्डवा की ओर निराकरण हेतु भेजा गया। श्रीमान कलेक्टर महोदय खण्डवा के पत्र क्र. 286/09/एलए/11039 खण्डवा दिनांक 21.08.09 द्वारा निराकरण किया गया, कि धारा-4 की अधिसूचना प्रकाशन दिनांक को अस्तित्व में नहीं था। प्रस्तावक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर दि. 18.02.06 को अवार्ड पारित किया जा चुका है। अवार्ड पारित किये जाने के पश्चात अवार्ड अंतिम हो जाता है। इससे किसी व्यक्ति के पीड़ित होने पर उसके द्वारा सक्षम न्यायालय

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
----	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : एखण्ड

आवेदन पत्र का प्रकार : **1 सर्वेक्षण त्रुटि (नवीन जो सम्पूर्ण छूट गये)**

में रिफ्रेन्स आवेदन  
प्रस्तुत किया जा  
सकता है। न्यायालय  
में रिफ्रेन्स आवेदन  
लगाना या नहीं लगाना  
आवेदक के विवेक पर  
निर्भर करता है। अवार्ड  
पारित हो जाने के  
पश्चात प्रकरण  
पुनर्विलोकन अथवा  
कतिपय संशोधन भी  
अधोहस्ताक्षर द्वारा नहीं  
किया जा सकता है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**दूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :**

**1 सर्वेक्षण त्रुटि (नवीन जो सम्पूर्ण छूट गये)**

58 AKH-22 कंचनबाई / मकान का मुआवजा  
तुलसीराम / एखण्ड अनुदान एवं प्लाट  
आवंटित करने बाबत

—

जी.आर.ए. प्रकरण क्र. 21656 दि. 20.04.09 के अनुसार प्रकरण श्रीमान कलेक्टर खण्डवा की ओर निराकरण हेतु भेजा गया। श्रीमान कलेक्टर महोदय खण्डवा के पत्र क्र.286/09/एलए/11039 खण्डवा दिनांक 21.08.09 द्वारा निराकरण किया गया, कि धारा-4 की अधिसूचना प्रकाशन दिनांक को अस्तित्व में नहीं था। प्रस्तावक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर दि.18.02.06 को अवार्ड पारित किया जा चुका है। अवार्ड पारित किये जाने के पश्चात अवार्ड अंतिम हो जाता है। इससे किसी व्यक्ति के पीड़ित होने पर उसके द्वारा सक्षम न्यायालय में रिफ्रेन्स आवेदन

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
----	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : एखण्ड

आवेदन पत्र का प्रकार : **1 सर्वेक्षण त्रुटि (नवीन जो सम्पूर्ण छूट गये)**

प्रस्तुत किया जा  
सकता है। न्यायालय  
में रिफ्रेन्स आवेदन  
लगाना या नहीं लगाना  
आवेदक के विवेक पर  
निर्भर करता है। अवार्ड  
पारित हो जाने के  
पश्चात प्रकरण  
पुनर्विलोकन अथवा  
कतिपय संशोधन भी  
अधोहस्ताक्षर द्वारा नहीं  
किया जा सकता है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**दूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
----	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 1 सर्वेक्षण त्रुटि (नवीन जो सम्पूर्ण छूट गये)

59 AKH-476	भूरसिंह / अनारसिंह / एखण्ड	मेरे घर का भू अर्जन करने बाबत।	आवेदक के पिता को कृषि एफआरएल मुआवजा ग.प.क्र. 232 पर मकान की मुआवजा राषि रु. 57769/- का भुगतान किया गया है।	जीआरए प्रकरण क्र. 21840 आदेश दिनांक 17.04.2009 17.04.2009 द्वारा पुनर्वास अनुदान अमान्य।	जी.आर.ए. प्रकरण क्र.21840 आदेश दिनांक 17.04.2009 के अनुसार प्रकरण श्रीमान कलेक्टर खण्डवा की ओर निराकरण हेतु भेजा गया। श्रीमान कलेक्टर महोदय खण्डवा के पत्र क्र. 286 / 09 / एलए / 11039 खण्डवा दिनांक 21.08.09 द्वारा निराकरण किया गया, कि धारा-4 की अधिसूचना प्रकाशन दिनांक को अस्तित्व में नहीं था। प्रस्तावक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर दि.18. 02.06 को अवार्ड पारित किया जा चुका है। अवार्ड पारित किये जाने के प्लान अवार्ड अंतिम हो जाता है। इससे किसी व्यक्ति के पीड़ित होने पर उसके द्वारा सक्षम न्यायालय में रिफ्रेन्स आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। न्यायालय में रिफ्रेन्स आवेदन लगाना या नहीं लगाना आवेदक के विवेक पर निर्भर करता है।
------------	-------------------------------	-----------------------------------	--	---	---

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
----	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : एखण्ड

आवेदन पत्र का प्रकार : 1 सर्वेक्षण त्रुटि (नवीन जो सम्पूर्ण छूट गये)

अवार्ड पारित हो जाने के पश्चात प्रकरण पुनर्विलोकन अथवा कतिपय संशोधन भी अधोहस्ताक्षर द्वारा नहीं किया जा सकता है।

60 AKH-434 हुकुम / गंगाराम / एखण्ड	मेरे घर का भू अर्जन करने बाबत।	आवेदक को आबादी एफआरएल मुआवजा ग.प.क्र. 237 पर मकान भूखंड की मुआवजा राषि रु. 146427/- तथा पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 230 पर कृषि व्यवसाय के मान से राषि 43700/- स्वीकृत की गई है।	—	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री न.वि.सं.क्र.32 बड़वाह द्वारा प्रस्तुत भू-अर्जन प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं होने से अर्जन नहीं किया गया।
------------------------------------	--------------------------------	---	---	---

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**दूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
----	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :**

**1 सर्वेक्षण त्रुटि (नवीन जो सम्पूर्ण छूट गये)**

61 AKH-475 काशीराम / जीवन / एखण्ड	मेरे घर का भू अर्जन करने बाबत।	—	जीआरए प्रकरण क्र. 21881 21881 आदेश दिनांक 20.04.2009 20.04.2009 द्वारा पुनर्वास अनुदान अमान्य।	जी.आर.ए. प्रकरण क्र.21881 आदेश दिनांक 20.04.2009 के अनुसार प्रकरण श्रीमान कलेक्टर खण्डवा की ओर निराकरण हेतु भेजा गया। श्रीमान कलेक्टर महोदय खण्डवा के पत्र क्र. 286 / 09 / एलए / 11039 खण्डवा दिनांक 21.08.09 द्वारा निराकरण किया गया, कि धारा-4 की अधिसूचना प्रकाशन दिनांक को अस्तित्व में नहीं था। प्रस्तावक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर दि.18. 02.06 को अवार्ड पारित किया जा चुका है। अवार्ड पारित किये जाने के प्लान अवार्ड अंतिम हो जाता है। इससे किसी व्यक्ति के पीड़ित होने पर उसके द्वारा सक्षम न्यायालय में रिफ्रेन्स आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। न्यायालय में रिफ्रेन्स आवेदन लगाना या नहीं लगाना आवेदक के विवेक पर निर्भर करता है।
-----------------------------------	--------------------------------	---	---	---

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
----	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : एखण्ड

आवेदन पत्र का प्रकार : 1 सर्वेक्षण त्रुटि (नवीन जो सम्पूर्ण छूट गये)

अवार्ड पारित हो जाने के पश्चात प्रकरण पुनर्विलोकन अथवा कतिपय संशोधन भी अधोहस्ताक्षर द्वारा नहीं किया जा सकता है।

62 AKH-484 सवेकराम / नहारू / एखण्ड	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत	आवेदक को एफआरएल कृषि ग.प.क्र. 256 पर मकान की मुआवजा राशि रु. 18604/- भुगतान की गई है।	जीआरए प्रकरण क्रमोंक 21712 आदेश दिनांक 16.06.09 एवं 27.10.09 के पालन में अमान्य	जीआरए द्वारा अमान्य
63 AKH-444 चंपाबाई / शंकर / एखण्ड	मेरे घर का भू अर्जन करने बाबत।	—	जीआरए प्रकरण क्र. 17250 आ.दि. 12.06.09 द्वारा पुनर्वास अनुदान हेतु अमान्य।	यदि आवेदिका का मकान छूटा है तो सर्वेक्षण उपरांत प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री, न.वि.सं.क्र.32 बड़वाह द्वारा दिये गये प्रस्ताव अनुसार अर्जन किया जा सकता है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क0	पंजी. क0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
----	-------------	--	---------------	--	---	--	------------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** **1 सर्वेक्षण त्रुटि (नवीन जो सम्पूर्ण छूट गये)**

64 AKH-362 गजानंद / देवराम /	मेरा प्लाट छूटने बाबत व घर का अर्जन।	आवेदक को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 59 पर मकान भूखंड की मुआवजा राषि रु. 77157/- तथा पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 49 पर राषि रु. 34350/- स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	--	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री, न.वि.सं.क्र.32 बड़वाह द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में प्राप्त संपत्ति का अर्जन कर मुआवजा राषि का भुगतान किया गया है। शेष छूटी हुई संपत्ति के सर्वेक्षण उपरांत प्रस्तावक विभाग द्वारा दिये गये प्रस्ताव अनुसार अर्जन किया जा सकता है।
65 AKH-351 रमू / काशीराम / ऐखंड	पुनवास नीति की धारा 2.3 के अंतर्गत टापू के अंतर्गत आने बाबत	आवेदक को कृषि संघोधित एफआरएल मुआवजा ग.प.क्र. 28 पर मुआवजा राषि रु. 161599/- का भुगतान किया गया है तथा तथा आबादी गणना पत्रक क्र. 168 पर राषि 252653 एवं विषेष पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 28 पर 79344/- तथा पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 162 पर 14350/- प्रदान किया गया है।	--	सर्वेक्षण उपरांत प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री, न.वि.सं.क्र.32 बड़वाह द्वारा दिये गये प्रस्ताव अनुसार अर्जन किया जा सकता है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
----	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 1 सर्वेक्षण त्रुटि (नवीन जो सम्पूर्ण छूट गये)

66 AKH-491 उमाशंकर / झूब क्षेत्र मे आने के  
 मोतीराम / एखण्ड बाद मकान --- ---  
 अधिग्रहण न किये  
 जाने पर मकान के  
 अधिग्रहण करवाये  
 जाने बाबत | प्रस्तावक विभाग कार्यपालन  
 यंत्री न.वि.सं.क्र.32 बड़वाह  
 द्वारा प्रस्तुत भू-अर्जन  
 प्रस्ताव में समिलित नहीं  
 होने से अर्जन नहीं किया  
 गया |

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क0	पंजी. क0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
----	-------------	--	---------------	--	---	--	------------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार : 2 सम्पत्ति आंशिक छूटी पाईप इत्यादि (पूरक अनुदान हेतु)**

1 AKH-209	विनायक / राधाकिशन / एखंड के बाद कुआं छोड़ने बाबत।	जमीन झूब में आने कृषि एफआरएल मुआवजा ग. प.क्र. 163 पर भूमि, टप्पर की मुआवजा राषि रु. 752232/- का भुगतान किया गया है।	आवेदक को संयुक्त खाते में कृषि एफआरएल मुआवजा ग. प.क्र. 163 पर भूमि, टप्पर की मुआवजा राषि रु.	---	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री न.वि.सं.क्र.32 बड़वाह द्वारा प्रस्तुत भू-अर्जन प्रस्ताव के आधार पर किया गया है, अवार्ड गणना पत्रक में उन्हीं परिसम्पत्तियों को शामिल किया गया है, जो प्रस्ताव में दर्ज थी।
2 AKH- 557/1	केशव / सदाशिव / एखंड	सर्वे सूची में छूट गई संपत्तियों का मुआवजा प्रदान करने बाबत।	आवेदक को कृषि एफआरएल मुआवजा ग.प.क्र. 162 पर भूमि व पाईपलाईन की मुआवजा राषि रु. 751425/- तथा आबादी ग. प.क्र. 27 पर मकान व भूखंड की राषि 46433/-का भुगतान किया गया है।	---	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री न.वि.सं.क्र.32 बड़वाह द्वारा प्रस्तुत भू-अर्जन प्रस्ताव के आधार पर किया गया है, अवार्ड गणना पत्रक में उन्हीं परिसम्पत्तियों को शामिल किया गया है, जो प्रस्ताव में दर्ज थी।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**दूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार : 3 मुआवजे की राशि कम प्राप्त हुई**

1 AKH-145 संगीता / श्रीराम / एखण्ड	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक के पिता के नाम से आबादी गणना पत्रक क्र. -140 पर मुआवजा राशि रु. 106557 एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र.-122 पर राषि रु.14350 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।	—	—	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में दर्ज नहीं है।
2 AKH-37 मनोज / रमेश / एखण्ड	अनुदान बाबत	—	—	—	अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में नाम नहीं है, और नाहीं मतदाता सूची 2003 में भी नाम नहीं है। आवेदन निरस्ती योग्य है।
3 AKH-35 रानीबाई / रमेश / एखण्ड	मकान का मुआवजा बढ़ाने बाबत (कंडिका 7.2 के अनुसार शेष राशि देन बाबत)	आबादी गणना पत्रक 337 में मकान की मुआवजा राशि रु. 10,881/- भुगतान की गई।	जी.आर.ए. प्रकरण क्र. 17879 आदेश दिनांक 21.07.08 द्वारा अमान्य।	जीआरए द्वारा प्रकरण अमान्य किये जाने के कारण 21.07.08 द्वारा अमान्य।	प्रकरण निरस्ती योग्य है।
4 AKH-46 संजय / शंकर / एखण्ड	घर का मुआवजा कम मिला है।	आवेदक को आबादी एफआरएल ग.प.क्र. 338 पर मात्र भूखंड की मुआवजा राशि रु. 10881/- का भुगतान किया गया है।	—	—	आवेदक का केवल भूखंड अधिग्रहित किया गया है। मकान का अधिग्रहण नहीं किया गया है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** **3 मुआवजे की राशि कम प्राप्त हुई**

5 AKH-36 राजकुमार / रमेश  
/ एखण्ड

अनुदान बाबत्।

----

जी.आर.ए. प्रकरण क्र.  
21773 दि. 11.08.08

द्वारा अमान्य।

अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में नाम नहीं है, और नाहीं मतदाता सूची 2003 में भी नाम नहीं है। आवेदन निरस्त योग्य है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** **4 परिवार सूची में नाम शामिल नहीं**

1	AKH-242 राजेश / शारदाबाई / एखंड	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक की माता के पिता को कृषि गणना पत्रक क्र. -61 पर मुआवजा राशि रु. 137358 एवं वि.पु.अ. गणना पत्रक क्र.-61 पर राषि रु. 52514 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।	--	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में दर्ज नहीं है।
2	AKH-142 कैलाश / बावरिया / एखंड	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक के पिता के नाम से आबादी गणना पत्रक क्र. -223 पर मुआवजा राशि रु. 30084 एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र.-215 पर राषि रु.76850 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।	--	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में परिवार क्र.-133 पर दर्ज है।
3	AKH-11 0 महेश / ताराचंद / एखंड	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक के पिता के नाम से मुआवजा राशि रु.78509 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।	जीआरए के प्रकरण क्र. -21466 आदेश दिनांक 18.08.09 / 26.10.09 के तहत पुनर्वास अनुदान प्रकरण अमान्य किया गया है।	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में दर्ज नहीं है।
4	AKH-144 श्रीराम / जीवन / एखंड	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक को आबादी गणना पत्रक क्र.-243 पर मुआवजा राशि रु.87160 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।	जीआरए के प्रकरण क्र. -15864 आदेश दिनांक 20.04.07 के तहत पुनर्वास अनुदान प्रकरण अमान्य किया गया है।	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में दर्ज नहीं है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार : 4 परिवार सूची में नाम शामिल नहीं**

5 AKH-143 भगवान / नाना / ऐखंड परिवार सूची में शामिल करने बाबत आवेदक को आबादी गणना पत्रक क्र.-246 पर मुआवजा राशि रु.19449 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है। जीआरए के प्रकरण क्र. -21752 आदेश दिनांक 03.09.08 / 29.10.09 के तहत पुनर्वास अनुदान प्रकरण अमान्य किया गया है।

6 AKH-109 रुखमणी / गणेश / ऐखंड परिवार सूची में शामिल करने बाबत आवेदिका को पूर्व में मुआवजा राशि रु.20898 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है। जीआरए के प्रकरण क्र. -21691 आदेश दिनांक 12.06.09 के तहत पुनर्वास अनुदान प्रकरण अमान्य किया गया है।

7 AKH-125 गोदावरीबाई / आनंदराम / ऐखंड परिवार सूची में शामिल करने बाबत आवेदिका को मुआवजा राशि रु.105509 एवं वि.पु.अ. राषि रु.18620 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है। — आवेदिका का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में दर्ज नहीं है।

8 AKH-111 महेन्द्र / विक्रम / ऐखंड परिवार सूची में शामिल करने बाबत आवेदक के पिता के नाम से मुआवजा राशि रु.123319 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है। — आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में परिवार क्र.-98 पर दर्ज है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	---------------	--	---------------	--	---	--	------------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** **4 परिवार सूची में नाम शामिल नहीं**

9 AKH-112 ममता / दिलीप / परिवार सूची में आवेदिका को मुआवजा राशि जीआरए के प्रकरण क्र. 21658 आदेश दिनांक आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में दर्ज नहीं है।  
 ऐखंड शामिल करने बाबत रु.5520 निर्धारित कर प्रदान किया जा चुका है। 21.07.08 / 12.06.09 के तहत पुनर्वास अनुदान प्रकरण अमान्य किया गया है।

10 AKH-240 जितेन्द्र / परिवार सूची में आवेदक की माता के पिता जी— आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में दर्ज नहीं है।  
 शारदाबाई / ऐखंड शामिल करने बाबत को कृषि गणना पत्रक क्र. —61 पर मुआवजा राशि रु. 137358 एवं वि.पु.अ. गणना पत्रक क्र.—61 पर राषि रु. 52514 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।

11 AKH-187/1 मुबारिक / परिवार सूची में आवेदक के पिता को आबादी जीआरए के प्रकरण क्र. 21695 आदेश दिनांक आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में परिवार क्र.—13 पर दर्ज होकर उम्र 16 वर्ष है।  
 गुलामरसूक / ऐखंड शामिल करने बाबत गणना पत्रक क्र.—29 पर मुआवजा राशि रु.177931 एवं कृषि गणना पत्रक क्र.—80 पर मुआवजा राशि रु.721363 तथा वि.पु.अ. राषि रु.549286 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** **4 परिवार सूची में नाम शामिल नहीं**

12 AKH-113 शेरीबाई / चेन्या / एखंड	परिवार सूची में शामिल करने बाबत रु.14821 निर्धारित कर प्रदान किया जा चुका है।	आवेदिका को मुआवजा राशि जीआरए के प्रकरण क्र. आवेदिका का नाम ग्राम की 21804 / 21508 / 2180 अंतिम प्रकाशित परिवार 4 आदेश दिनांक 16.07. सूची में दर्ज नहीं है। 08 / 01.12.08 / 16.06. 09 के तहत कंडिका 7. 2 / पुनर्वास अनुदान प्रकरण अमान्य किया गया है। जीआरए के प्रकरण क्र.-21804 आदेश दिनांक 16.06. 09 / 16.07.08 के तहत रु.5179 चेक क्र. -72099 दिनांक 21.01. 10 राशि प्रदान की जा चुकी है।	
13 AKH-146 राम / राजाराम / एखंड	परिवार सूची में शामिल करने बाबत आवेदक के पिता के नाम से एफआरएल-बीडब्ल्यूएल पर शासकीय भूमि प्रकरण गणना पत्रक क्र.-12 पर मुआवजा राशि रु.29626 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।	--	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में दर्ज नहीं है।
14 AKH-123 नर्मदाबाई / आनंदराम / एखंड	परिवार सूची में शामिल करने बाबत आवेदिका के पिता को मुआवजा राशि रु.262301 प्रदान की जा चुकी है।	--	आवेदिका का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में दर्ज नहीं है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**दूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र	पंजी. क्र	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
-----	--------------	--	---------------	--	---	--	------------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** **4 परिवार सूची में नाम शामिल नहीं**

15 AKH-147	राजू / देवराम / ऐखंड	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक के पिता के नाम से आबादी गणना पत्रक क्र. -206 पर मुआवजा राशि रु. 63260 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।	—	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में दर्ज नहीं है।
16 AKH-148	चिड़ईबाई / चुन्नीलाल / ऐखंड	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदिका को कृषि गणना पत्रक क्र.-109 पर मुआवजा राशि रु.95627 एवं विषेष पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र.-109 पर राषि रु.185424 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।	—	आवेदिका का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में दर्ज नहीं है।
17 AKH-149	गेंदालाल / ऐडू / ऐखंड	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक के पिता के नाम से आबादी गणना पत्रक क्र. -207 पर मुआवजा राशि रु. 47279 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।	—	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में दर्ज नहीं है।
18 AKH-150	जितेन्द्र उर्फ ताराचंद / जगदीश / ऐखंड	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदिका के पति के नाम से आबादी गणना पत्रक क्र. -169 पर मुआवजा राशि रु. 419998 एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र.-163 पर राषि रु.14350 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।	जीआरए के प्रकरण क्र. -27970 आदेश दिनांक 10.06.09 के तहत कंडिका 7.2 का प्रकरण अमान्य किया गया है।	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में परिवार क्र.-97 पर दर्ज होकर उम्र 17 वर्ष है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**दूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र	पंजी. क्र	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
-----	--------------	--	---------------	--	---	--	------------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार : 4 परिवार सूची में नाम शामिल नहीं**

19 AKH-161	कडवा / हीरा / ऐखंड	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक को ग्राम ऐखंड से गणना पत्रक क्र.-5 पर मुआवजा राशि रु.42758 एवं विषेष पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र.-3 पर अंतर की राषि रु.140 निर्धारित कर प्रदान किया जा चुका है।	—	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में दर्ज नहीं है।
20 AKH-172	मुरार / कालू / ऐखंड	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक को कृषि गणना पत्रक क्र.-4 पर मुआवजा राशि रु.154500 एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र.-4 पर विषेष पुनर्वास अनुदान राषि रु.361505 निर्धारित कर प्रदान किया जा चुका है।	—	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में दर्ज नहीं है।
21 AKH-195	नानकराम / बाबू / ऐखंड	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक को आबादी गणना पत्रक क्र.-200 पर मुआवजा राशि रु.19042 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।	जीआरए के प्रकरण क्र. —21809 / 21682 आदेश दिनांक 25.07. 08 के तहत कंडिका 7. 2 प्रकरण अमान्य किया गया है।	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में दर्ज नहीं है।
22 AKH-119	सेवंतीबाई / कडवाजी / ऐखंड	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदिका के पति को मुआवजा राशि रु.105509 एवं 596996 एवं 190992 प्रदान किया जा चुका है।	—	आवेदिका का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में दर्ज नहीं है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**दूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र	पंजी. क्र	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
-----	-----------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार : 4 परिवार सूची में नाम शामिल नहीं**

23 AKH-136	बाबू / टुकड़िया / ऐखंड	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक को आबादी गणना पत्र क्र.-262 पर मुआवजा राशि रु.51221 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।	जीआरए के प्रकरण क्र. -21570 आदेश दिनांक 16.06.09 के तहत पुनर्वास अनुदान प्रकरण अमान्य किया गया है।	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में दर्ज नहीं है।
------------	------------------------	---------------------------------	--	--	--

24 AKH-137	दुर्गाराम / हीरालाल / ऐखंड	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक को आबादी गणना पत्र क्र.-320 पर मुआवजा राशि रु.66247 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।	जीआरए के प्रकरण क्र. -21774 आदेश दिनांक 03.09.08 के तहत पुनर्वास अनुदान प्रकरण अमान्य किया गया है।	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में दर्ज नहीं है।
------------	----------------------------	---------------------------------	--	--	--

25 AKH-134	राजेश / बाबू / ऐखंड	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक के पिता के नाम से आबादी गणना पत्र क्र.-264 पर मुआवजा राशि रु.58006 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।	जीआरए के प्रकरण क्र. -21703 आदेश दिनांक 15.09.08 / 26.10.09 के तहत पुनर्वास अनुदान प्रकरण अमान्य किया गया है।	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में दर्ज नहीं है।
------------	---------------------	---------------------------------	---	---	--

26 AKH-133	सीमा उर्फ फुन्दा / राजाराम / ऐखंड	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदिका के पिता को आबादी गणना पत्रक क्र. -129 पर मुआवजा राशि रु. 73624 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है एवं पुनर्वास अनुदान गणना क्र.-110 पर राशि रु.43700 प्रदान की जा चुकी है।	--	आवेदिका का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची क्रमांक 6 पर उम्र 17 वर्ष पुत्री के रूप में दर्ज है, अवयस्क होने के कारण पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया।
------------	-----------------------------------	---------------------------------	---	----	---

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**दूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** **4 परिवार सूची में नाम शामिल नहीं**

27	AKH-138	गंगाबाई / श्रीराम / ऐखंड	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदिका के पिता को कृषि गणना पत्रक क्र.-243 पर मुआवजा राशि रु.87160 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।	--	आवेदिका का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में दर्ज नहीं है।
28	AKH-333	सेवतीबाई / गिरवरसिंह / ऐखंड	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदिका को आबादी गणना पत्रक क्र.-333 पर मुआवजा राशि रु.29553 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।	--	आवेदिका का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में दर्ज नहीं है।
29	AKH-131	रमेश / लक्ष्मण / ऐखंड	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक को आबादी गणना पत्रक क्र.-263 पर मुआवजा राशि रु.42734 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।	जीआए द्वारा प्रकरण क्र. 21665 दिनांक 21.07.08 पुनर्वास अनुदान हेतु प्रकरण अमान्य किया गया है।	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में दर्ज नहीं है।
30	AKH-130	बनारसबाई / श्रवण / ऐखंड	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदिका को एफआरएल आबादी ग.प.क्र.-10 पर संयुक्त रूप से मुआवजा राशि रु. 115798/- भुगतान की गई है एवं वि.पु.अ. गणना क्र.-10 पर राशि रु. 270949 प्रदान की जा चुकी है तथा पुनर्वास अनुदान गणना क्र.-217 पर राशि रु. 43700 प्रदान की जा चुकी है।	जाआरए द्वारा प्रकरण क्र.-21622 दिनांक 21.09.07 पुनर्वास अनुदान अमान्य किया गया है।	आवेदिका का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में परिवार क्र.-136 में दर्ज है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**दूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** **4 परिवार सूची में नाम शामिल नहीं**

31	AKH-129	लक्ष्मण, शंकर, राधेश्याम / रघुनाथ / ऐखंड	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक के पिता को आबादी गणना पत्रक क्र.-171 पर मुआवजा राशि रु.174846 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है तथा पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र.-166 पर प्लाट सहित 14350 राशि प्रदान की जा चुकी है।	आवेदकगण के क्रमशः प्रकरण क्र. -21510, 21507, 21511 दिनांक 13.06.19 / 27. 10.09 / 17.06.09 / 16. 06.09 के द्वारा पुनर्वास अनुदान हेतु प्रकरण अमान्य किया गया है।	आवेदिका के पिता का नाम अंतिम परिवार सूची में परिवार क्र.99 पर अंकित है, परन्तु आवेदक का नाम परिवार सूची में दर्ज नहीं है। अतः अपात्र है।
32	AKH-124	सरवन / सकाराम / ऐखंड	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक के पिता को मुआवजा राशि रु.105529 प्रदान किया जा चुका है।	जीआरए के प्रकरण क्र. -21572 दिनांक 03.09. 08 अमान्य किया गया है।	आवेदिका का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में दर्ज नहीं है।
33	AKH-127	मायाबाई / जयराम / ऐखंड	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदिका के पिता को मुआवजा राशि रु.55619 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।	जीआरए के प्रकरण क्र. -17026 दिनांक 18.05. 07 के तहत पुनर्वास अनुदान हेतु अमान्य किया गया है।	आवेदिका का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में दर्ज नहीं है।
34	AKH-114	केशरीलाल / ठाकुर / ऐखंड	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक को कृषि भूमि का मुआवजा राशि रु.267629 एवं आबादी भूमि राशि रु.91068 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	जीआरए के प्रकरण क्र. -28580 / 21583 आदेश दिनांक 14.05. 09 / 10.06.09 के तहत पुनर्वास अनुदान प्रकरण अमान्य किया गया है।	आवेदिका का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में दर्ज नहीं है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र	पंजी. क्र	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
-----	--------------	--	---------------	--	---	--	------------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** **4 परिवार सूची में नाम शामिल नहीं**

35 AKH-120	मनोहर / दयाराम / ऐखंड	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक के पिता को मुआवजा राशि रु.48660 एवं पुनर्वास अनुदान राषि रु. 14350 निर्धारित कर प्रदान किया जा चुका है।	जीआरए के प्रकरण क्र. —15816 / 26.10.06 आदेश दिनांक 01.06. 09 के तहत पुनर्वास अनुदान प्रकरण अमान्य किया गया है।	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में दर्ज नहीं है।
36 AKH-121	कलाबाई / तापीराम / ऐखंड	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदिका को मुआवजा राशि रु.564249 प्रदान की जा चुकी है।	--	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में दर्ज नहीं है।
37 AKH-122	छायाबाई / आनंदराम / ऐखंड	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदिका के पिता को मुआवजा राशि रु.217837 एवं वि.पु.अ. राषि रु.201409 पुनर्वास अनुदान राषि रु. 14350 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।	--	आवेदिका का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में दर्ज नहीं है।
38 AKH-141	लोकेन्द्र / दयाराम / ऐखंड	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक के पिता के नाम से आबादी गणना पत्रक क्र. —157 पर मुआवजा राशि रु. 143476 एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र.—142 पर राषि रु.14350 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।	--	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में परिवार क्र.—87 पर दर्ज है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**दूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र	पंजी. क्र	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
-----	--------------	--	---------------	--	---	--	------------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार : 4 परिवार सूची में नाम शामिल नहीं**

39	AKH-135 संजू / बाबू / ऐखंड	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक को आबादी गणना पत्र क्र.-268 पर मुआवजा राशि रु.29609 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।	—	आवेदक के मकान का अर्जन न करने के कारण परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया है।
40	AKH-140 द्वारकीबाई / लक्ष्मण / ऐखंड	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदिका के पति के नाम से आबादी गणना पत्रक क्र. —332 पर मुआवजा राशि रु. 118923 एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र.—300 पर राशि रु.76850 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।	जीआरए के प्रकरण क्र. —27988 आदेश दिनांक 19.05.09 के तहत कंडिका 7.2 प्रकरण अमान्य किया गया है।	आवेदिका का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में परिवार क्र.—197 पर दर्ज है।
41	AKH-118 बंशीबाई / कैलाश / ऐखंड	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदिका के पिता को मुआवजा राशि रु.146605 एवं वि.पु.आ. राशि रु.56522 पुनर्वास अनुदान राशि रु. 76850 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।	जीआरए के प्रकरण क्र. —21499 आदेश दिनांक 18.08.08 / 27.10.09 के तहत पुनर्वास अनुदान प्रकरण अमान्य किया गया है।	आवेदिका की उम्र ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में 12 वर्ष दर्ज है।
42	AKH-117 नथीबाई / चंपालाल / ऐखंड	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदिका के पिता को मुआवजा राशि 2256	जीआरए के प्रकरण क्र. —21783 / 21595 आदेश दिनांक 16.06. 09 / 27.10.09 के तहत पुनर्वास अनुदान प्रकरण अमान्य किया गया है।	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में दर्ज नहीं है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**दूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र	पंजी. क्र	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
-----	--------------	--	---------------	--	---	--	------------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार : 4 परिवार सूची में नाम शामिल नहीं**

43 AKH-116	निर्भयसिंह / श्यामा / ऐखंड	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक के पिता के नाम से मुआवजा राशि रु.46149 प्रदान की जा चुकी है।	—	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में दर्ज नहीं है।
44 AKH-115	श्रीराम / देवराम / ऐखंड	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक के पिता के नाम से मुआवजा राशि रु.97884 प्रदान की जा चुकी है।	—	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में दर्ज नहीं है।
45 AKH-128	सुंदरबाई / डोमर / ऐखंड	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदिका को आबादी गणना पत्रक क्र.-257 पर मुआवजा राशि रु.34385 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।	जीआरए के प्रकरण क्र. —27518 आदेश दिनांक 13.05.09 के तहत पुनर्वास अनुदान प्रकरण अमान्य किया गया है।	आवेदिका का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में दर्ज नहीं है।
46 AKH-229	देवलीबाई / देवराम / ऐखंड	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक को आबादी गणना पत्रक क्र.—143 पर मुआवजा राशि रु.26417 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।	जीआरए के प्रकरण क्र. —27519 आदेश दिनांक 01.06.09 के तहत पुनर्वास अनुदान प्रकरण अमान्य किया गया है।	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में दर्ज नहीं है।
47 AKH- 176/1	रमेश / देवराम / ऐखंड	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक के संलग्न दस्तावेज के अनुसार आबादी गणना पत्रक क्र.—253 पर मुआवजा राशि रु.60840 निर्धारित कर प्रदान की गई है।	जीआरए द्वारा प्रकरण क्र.—21506 / 21857 दिनांक 24.04.09 पुनर्वास अनुदान के तहत प्रकरण अमान्य किया गया है।	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में दर्ज नहीं है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**दूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र	पंजी. क्र	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
-----	--------------	--	---------------	--	---	--	------------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** **4 परिवार सूची में नाम शामिल नहीं**

48 AKH-206	विजय / भुवानीशंकर /	परिवार सूची में ऐखंड शामिल करने बाबत	आवेदिका के पिता को कृषि गणना पत्रक क्र.-65 पर मुआवजा राशि रु.558344 एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र.-112 पर राषि रु. 29350 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।	जीआरए के प्रकरण क्र. —21525 / 15861 आदेश दिनांक 24.0.09 के तहत पुनर्वास अनुदान प्रकरण अमान्य किया गया है।	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में परिवार क्र.—68 पर दर्ज होकर उम्र 17 वर्ष है।
49 AKH-207	सुरजबाई / भगवान /	परिवार सूची में ऐखंड शामिल करने बाबत	आवेदिका को संयुक्त खाते में कृषि गणना पत्रक क्र.-174 मुआवजा राशि रु.2256 एवं वि.पु.अ. गणना पत्रक क्र. —174 पर राषि रु.4239 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।	—	आवेदिका का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में परिवार क्र.—8 पर दर्ज है।
50 AKH-211	तुलसीराम / देवचंद /	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक को आबादी गणना पत्रक क्र.—125 पर मुआवजा राशि रु.57671 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।	जीआरए के प्रकरण क्र. —21684 आदेश दिनांक 04.12.08 / 16.11.09 के तहत पुनर्वास अनुदान प्रकरण अमान्य किया गया है।	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में दर्ज नहीं है।
51 AKH-234	चेतराम / रमेशचंद /	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक को आबादी गणना पत्रक क्र.—83 पर मुआवजा राशि रु.36270 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।	जीआरए के प्रकरण क्र. —15872 आदेश दिनांक 20.04.07 के तहत पुनर्वास अनुदान प्रकरण अमान्य किया गया है।	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में दर्ज नहीं है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**दूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क0	पंजी. क0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
----	-------------	--	---------------	--	---	--	------------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** **4 परिवार सूची में नाम शामिल नहीं**

52 AKH-233	दगडईया / गंजी / ऐखंड	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदिका के भाई को कृषि गणना पत्रक क्र.-198 पर मुआवजा राशि रु.7296 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।	जीआरए के प्रकरण क्र. -21579 आदेश दिनांक 06.08.08 के तहत पुनर्वास अनुदान प्रकरण अमान्य किया गया है।	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में दर्ज नहीं है।
53 AKH-203	गंगाराम / अमरसिंह / ऐखंड	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक को कृषि गणना पत्रक मुआवजा राशि रु. 17780 प्रदान की जा चुकी है।	जीआरए के प्रकरण क्र. -21530 / 15721 आदेश दिनांक 24.04. 09 के तहत पुनर्वास अनुदान प्रकरण अमान्य किया गया है तथा जीआरए के प्रकरण क्र. -21808 आदेश दिनांक 18.06.09 / 16.07.08 के तहत रु.2220 चेक क्र. -72100 दिनांक 21.01. 10 राशि प्रदान की जा चुकी है।	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में दर्ज नहीं है।
54 AKH-230	मुकेश / भगवान / ऐखंड	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक के पिता को आबादी गणना पत्रक क्र.-343 पर मुआवजा राशि रु.37814 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।	--	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में दर्ज नहीं है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**दूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** **4 परिवार सूची में नाम शामिल नहीं**

55	AKH-202 विजय / मांगीलाल / ऐखंड	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक को आबादी गणना पत्रक क्र.-250 पर मुआवजा राशि रु.93662 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।	--	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में दर्ज नहीं है।
56	AKH-225 गुलाबचंद / नथू / ऐखंड	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक को आबादी गणना पत्रक क्र.-270 पर मुआवजा राशि रु.29717 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।	जीआरए के प्रकरण क्र. -27523 आदेश दिनांक 01.06.09 के तहत पुनर्वास अनुदान प्रकरण अमान्य किया गया है।	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में दर्ज नहीं है।
57	AKH-223 राजेश / नथू / ऐखंड	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक के भाई को आबादी गणना पत्रक क्र.-270 पर मुआवजा राशि रु.29717 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।	--	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में दर्ज नहीं है।
58	AKH-224 रामचंद्र / नथू / ऐखंड	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक के भाई को आबादी गणना पत्रक क्र.-270 पर मुआवजा राशि रु.29717 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।	--	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में दर्ज नहीं है।
59	AKH-222 दिनेश / नथू / ऐखंड	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक के पिता को आबादी गणना पत्रक क्र.-270 पर मुआवजा राशि रु.29717 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।	--	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में दर्ज नहीं है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**दूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार : 4 परिवार सूची में नाम शामिल नहीं**

60	AKH-221	मुकेश / देवराम / ऐखंड	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक को आबादी गणना पत्रक क्र.-143 पर मुआवजा राशि रु.26417 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।	जीआरए के प्रकरण क्र. -27519 आदेश दिनांक 01.06.09 के तहत पुनर्वास अनुदान प्रकरण अमान्य किया गया है।	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में दर्ज नहीं है।
61	AKH-108	आनंदराम / छितूजी / ऐखंड	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक के पुत्र को कृषि भूमि का मुआवजा राशि रु. 165200 एवं वि.पु.अ. राषि रु. 6004 एवं पुनर्वास अनुदान राशि रु.34350 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	जीआरए के प्रकरण क्र. -27431 आदेश दिनांक 01.06.09 के तहत प्रकरण अमान्य किया गया है।	आवेदक का नाम ग्राम की परिवार सूची में परिवार क्र. -163 पर अंकित है।
62	AKH-179	रमेश / ओंकारलाल / ऐखंड	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक को आबादी गणना पत्रक क्र.-21 पर मुआवजा राशि रु.89020 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।	जीआरए के प्रकरण क्र. -15814 आदेश दिनांक 26.10.06 के तहत पुनर्वास अनुदान प्रकरण अमान्य किया गया है।	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में दर्ज नहीं है।
63	AKH-231	बिरोजबाई / कालूजी / ऐखंड	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदिका के पति को आबादी गणना पत्रक क्र.-179 पर मुआवजा राशि रु.323952 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।	जीआरए के प्रकरण क्र. -21660 आदेश दिनांक 15.06.09 के तहत पुनर्वास अनुदान प्रकरण अमान्य किया गया है।	आवेदिका का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में दर्ज नहीं है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**दूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र	पंजी. क्र	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
-----	-----------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार : 4 परिवार सूची में नाम शामिल नहीं**

64	AKH-186	आशाबाई / भुवानीशंकर / ऐखंड	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदिका के पिता को कृषि गणना पत्रक क्र.-65 पर मुआवजा राशि रु.558344 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।	--	आवेदिका का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में दर्ज नहीं है।
65	AKH-197	रघुनाथ / बाल्या / ऐखंड	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक को आबादी गणना पत्रक क्र.-218 पर मुआवजा राशि रु.45148 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।	जीआरए के प्रकरण क्र. -21870 आदेश दिनांक 19.08.08 / 10.11.09 के तहत पुनर्वास अनुदान प्रकरण अमान्य किया गया है।	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में दर्ज नहीं है।
66	AKH-194	सुरेश / ओंकारलाल / ऐखंड	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदिका को आबादी गणना पत्रक क्र.-20 पर मुआवजा राशि रु.106071 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।	जीआरए के प्रकरण क्र. -21687 आदेश दिनांक 16.06.09 के तहत पुनर्वास अनुदान प्रकरण अमान्य किया गया है।	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में दर्ज नहीं है।
67	AKH-193	इकबाल / गुलामरसूल / ऐखंड	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदिका के पिता को कृषि गणना पत्रक क्र.-80 पर मुआवजा राशि रु.721363 एवं आबादी गणना पत्रक क्र.-29 पर मुआवजा राशि रु.177931 एवं विषेष पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र.-80 पर राशि रु.549286 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।	जीआरए के प्रकरण क्र. -21771 आदेश दिनांक 22.07.08 के तहत पुनर्वास अनुदान प्रकरण अमान्य किया गया है।	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में परिवार क्र.-13 पर दर्ज होकर उम्र 13 वर्ष है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार : 4 परिवार सूची में नाम शामिल नहीं**

68 AKH-192	बलीराम / जवनसिंह / ऐखंड	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक के पिता को कृषि गणना पत्रक क्र.-231 पर मुआवजा राशि रु.35130 एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र.-340 पर राशि रु.43700 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।	--	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में परिवार क्र.-226 पर दर्ज होकर उम्र 16 वर्ष है।
69 AKH-190	धापूबाई / रणछोड / ऐखंड	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदिका को संयुक्त खाते में एफआरएल पर कृषि गणना पत्रक क्र.-69 मुआवजा राशि रु.105509 वि.पु.अ. राशि रु. 18620 एवं संघोधित एफआरएल पर मुआवजा राशि रु.596996 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।	--	आवेदिका का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में परिवार क्र.-87 पर दर्ज होकर उम्र 17 वर्ष है।
70 AKH-189	जीवन / कमलचंद / ऐखंड	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक की माता को कृषि गणना पत्रक क्र.-143 पर मुआवजा राशि रु.283413 एवं विषेष पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र.-143 पर राशि रु. 72358 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।	जीआरए के प्रकरण क्र. -21820 आदेश दिनांक 20.04.09 / 16.11.09 के तहत पुनर्वास अनुदान प्रकरण अमान्य किया गया है।	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में दर्ज नहीं है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**दूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र	पंजी. क्र	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
-----	--------------	--	---------------	--	---	--	------------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** **4 परिवार सूची में नाम शामिल नहीं**

71	AKH-204	महेश / ओंकारलाल /	परिवार सूची में ऐखंड शामिल करने बाबत	आवेदक को आबादी गणना पत्रक क्र.-19 पर मुआवजा राशि रु.39172 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।	जीआरए के प्रकरण क्र. -15813 आदेश दिनांक 26.10.06 के तहत पुनर्वास अनुदान प्रकरण अमान्य किया गया है।	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में दर्ज नहीं है।
72	AKH-187.	संगीताबाई / हरिकरण /	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदिका के पिता को कृषि गणना पत्रक क्र.-100 पर मुआवजा राशि रु.385444 एवं आबादी गणना पत्रक क्र.-26 पर मुआवजा राशि रु.82412 एवं विषेष पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र.-100 पर राशि रु.14778 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।	--	आवेदिका का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में दर्ज नहीं है।
73	AKH-219	भगवान / प्रेमचंद /	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक को आबादी गणना पत्रक क्र.-343 पर मुआवजा राशि रु.37814 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।	जीआरए के प्रकरण क्र. -15892 आदेश दिनांक 20.04.07 के तहत पुनर्वास अनुदान प्रकरण अमान्य किया गया है।	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में दर्ज नहीं है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**दूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र	पंजी. क्र	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
-----	-----------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार : 4 परिवार सूची में नाम शामिल नहीं**

74	AKH-185	ठाकुर / टीकाराम / ऐखंड	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक के नाम से आबादी गणना पत्रक क्र.-111 पर मुआवजा राशि रु.139882 एवं कृषि गणना पत्रक क्र.-129 पर मुआवजा राशि रु.694906 एवं विषेष पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र.-129 पर राषि रु.258190 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।	जीआरए के प्रकरण क्र. -21584 आदेश दिनांक 12.06.09 के तहत पुनर्वास अनुदान प्रकरण अमान्य किया गया है।	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में दर्ज नहीं है।
75	AKH-184	प्रकाश / रमेश / ऐखंड	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक को आबादी गणना पत्रक क्र.-267 पर मुआवजा राशि रु.20101 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।	जीआरए के प्रकरण क्र. -15824 आदेश दिनांक 22.05.07 के तहत पुनर्वास अनुदान प्रकरण अमान्य किया गया है।	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में दर्ज नहीं है।
76	AKH-198	कलाबाई / आत्माराम / ऐखंड	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदिका के पिता को कृषि गणना पत्रक क्र.-57 पर मुआवजा राशि रु.1917 एवं आबादी गणना पत्रक क्र.-174 पर मुआवजा राशि रु. 170593 एवं विषेष पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र.-57 पर राषि रु.4239 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।	जीआरए के प्रकरण क्र. -21554 आदेश दिनांक 16.07.08 के तहत पुनर्वास अनुदान प्रकरण अमान्य किया गया है।	आवेदिका का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में दर्ज नहीं है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** **4 परिवार सूची में नाम शामिल नहीं**

77	AKH-182	चंपालाल / देवराम / ऐखंड	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक के भाई को आबादी गणना पत्रक क्र.-269 पर मुआवजा राशि रु.49992 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।	जीआरए के प्रकरण क्र. -21504 आदेश दिनांक 02.05.09 के तहत पुनर्वास अनुदान प्रकरण अमान्य किया गया है।	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में दर्ज नहीं है।
78	AKH-199	उमाबाई / जगदीश / ऐखंड	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदिका को संयुक्त खाते में कृषि गणना पत्रक क्र.-187 मुआवजा राशि रु.2488 प्रदान की जा चुकी है।	--	आवेदिका का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में दर्ज नहीं है।
79	AKH-200	शारदाबाई / आत्माराम / ऐखंड	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदिका के पिता को कृषि गणना पत्रक क्र.-57 पर मुआवजा राशि रु.1917 एवं विषेष पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र.-57 पर राशि रु. 4239 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।	जीआरए के प्रकरण क्र. -28576 आदेश दिनांक 11.06.09 के तहत पुनर्वास अनुदान प्रकरण अमान्य किया गया है।	आवेदिका का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में दर्ज नहीं है।
80	AKH-201	बनारसबाई / रामकरण / ऐखंड	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदिका के पति को संयुक्त खाते में मुआवजा राशि रु. 51217 में प्रदान की जा चुकी है।	--	आवेदिका का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में दर्ज नहीं है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** **4 परिवार सूची में नाम शामिल नहीं**

81 AKH-188	भवानीबाई / जगदीश / ऐखंड	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक को संयुक्त खाते में एफआरएल पर कृषि गणना पत्रक क्र.-69 मुआवजा राशि रु.105509 वि.पु.अ. राषि रु. 18620 एवं संघोधित एफआरएल पर मुआवजा राषि रु.596996 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।	—	आवेदिका का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में दर्ज नहीं है।
82 AKH-214	केशरीलाल / आशाराम / ऐखंड	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक को कृषि गणना पत्रक क्र.-136 पर मुआवजा राशि रु.42684 एवं आबादी गणना पत्रक क्र.-175 पर मुआवजा राशि रु.799 एवं विषेष पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र.-175 पर राषि रु. 1766 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।	—	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में दर्ज नहीं है।
83 AKH-220	उमेश / देवराम / ऐखंड	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक को आबादी गणना पत्रक क्र.-143 पर मुआवजा राशि रु.26417 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।	जीआरए के प्रकरण क्र. -21545 आदेश दिनांक 18.08.8 के तहत पुनर्वास अनुदान प्रकरण अमान्य किया गया है।	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में दर्ज नहीं है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**दूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** **4 परिवार सूची में नाम शामिल नहीं**

84	AKH-177	नरसिंह / देवराम / ऐखंड	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक के पिता के नाम से आबादी गणना पत्रक क्र. -206 पर मुआवजा राशि रु. 63260 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।	जीआरए के प्रकरण क्र. -21698 आदेश दिनांक 18.07.08 के तहत पुनर्वास अनुदान प्रकरण अमान्य किया गया है।	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में दर्ज नहीं है।
85	AKH-173	राधाबाई / बलिराम / ऐखंड	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक को ग्राम बिलाया से एफआरएल-एमडब्ल्यूएल के गणना पत्रक क्र.-7 पर मुआवजा राशि रु.24397 निर्धारित प्रदान की गई है।	--	आवेदिका का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में दर्ज नहीं है।
86	AKH-174	उमेनसिंह / भगवतसिंह / ऐखंड	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक को कृषि गणना पत्रक क्र.-33 पर मुआवजा राशि रु.346493 एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र.-33 पर विषेष पुनर्वास अनुदान राशि रु.149533 निर्धारित कर प्रदान किया जा चुका है।	--	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में दर्ज नहीं है।
87	AKH-218	कैलाश / भगवान / ऐखंड	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक को आबादी गणना पत्रक क्र.-343 पर मुआवजा राशि रु.37814 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।	जीआरए के प्रकरण क्र. -21544 आदेश दिनांक 15.06.09 / 27.10.09 के तहत पुनर्वास अनुदान प्रकरण अमान्य किया गया है।	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में दर्ज नहीं है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**दूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र	पंजी. क्र	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
-----	--------------	--	---------------	--	---	--	------------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार : 4 परिवार सूची में नाम शामिल नहीं**

88 AKH-217	मुकश / भगवान / एखण्ड	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक को आबादी गणना पत्रक क्र.-343 पर मुआवजा राशि रु.37814 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।	जीआरए के प्रकरण क्र. -21550 आदेश दिनांक 02.05.09 के तहत पुनर्वास अनुदान प्रकरण अमान्य किया गया है।	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में दर्ज नहीं है।
89 AKH-216	भगवान / प्रेमचंद / एखण्ड	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदिका के पिता को आबादी गणना पत्रक क्र. -343 पर मुआवजा राशि रु. 37814 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।	--	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में दर्ज नहीं है।
90 AKH-176	सुंदरलाल / प्रताप / एखण्ड	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक के पिता को आबादी गणना पत्रक क्र.-77 पर मुआवजा राशि रु.176431 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।	जीआरए के प्रकरण क्र. -21615 आदेश दिनांक 15.06.09 / 26.10.09 के तहत पुनर्वास अनुदान प्रकरण अमान्य किया गया है।	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में दर्ज नहीं है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**दूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	---------------	--	---------------	--	---	--	------------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** **4 परिवार सूची में नाम शामिल नहीं**

91 AKH-213 महेश / केशरीलाल / ऐखंड	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक के पिता को कृषि गणना पत्रक क्र.-136 पर मुआवजा राशि रु.42684 एवं आबादी गणना पत्रक क्र.-175 पर मुआवजा राशि रु. 799 एवं विषेष पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र.-175 पर राशि रु.1766 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।	जीआरए के प्रकरण क्र. -21719 आदेश दिनांक 15.05.09 के तहत पुनर्वास अनुदान प्रकरण अमान्य किया गया है।
92 AKH-212 सीमा / केशरीलाल / ऐखंड	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक के पिता को कृषि गणना पत्रक क्र.-175 पर मुआवजा राशि रु.799 एवं आबादी गणना पत्रक क्र.-136 पर 42684 तथा विषेष पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र.-175 पर राशि रु.1766 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।	-- आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में दर्ज नहीं है।
93 AKH-126 मंगत / तोताराम / ऐखंड	परिवार सूची में शामिल करने बाबत	आवेदक के पिता को मुआवजा राशि रु.28505 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।	-- आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में दर्ज नहीं है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** **4 परिवार सूची में नाम शामिल नहीं**

94 AKH-175 संतोषबाई / झाबू / एखण्ड

परिवार सूची में शामिल करने बाबत

आवेदक के पति के नाम से आबादी गणना पत्रक क्र. -218 पर मुआवजा राशि रु. 45148 एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र.-209 पर राशि रु.43700 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।

जीआरए के प्रकरण क्र. 21868 आदेश दिनांक 06.08.08 के तहत पुनर्वास अनुदान प्रकरण अमान्य किया गया है। आवेदिका का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में परिवार क्र.-129 पर दर्ज है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**दूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	---------------	--	---------------	--	---	--	------------------------

ग्राम का नाम : एखण्ड		आवेदन पत्र का प्रकार :		7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत			
1 AKH-568	रूपबसन्त / सकाराम / एखण्ड	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लाट दिये जाने बाबत।	पुनर्वास अनुदान बीडब्ल्यूएल गणना क्र.1 राशि 62500/- का भुगतान किया गया। परिवहन राशि 5000/- विस्थापित होने पर देय होगी।	--	आवेदक को व्यवसाय अन्य मजदूरी के रूप में पुनर्वास अनुदान की भूखण्ड सहित राशि भुगतान कर दी गई। भूखण्ड की पात्रता नहीं है।		
2 AKH-574	कैलाश / लक्ष्मण / एखण्ड	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लाट दिये जाने बाबत।	पुनर्वास अनुदान गणना क्र. 300 राशि 71850/- का भुगतान किया गया। परिवहन राशि 5000/- विस्थापित होने पर देय होगी। आवेदक को भूखण्ड देना है।	--	आवेदक की भूखण्ड राशि जमा है। अतः भूखण्ड की पात्रता है।		
3 AKH-585	राजाराम / लक्ष्मण / एखण्ड	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लाट दिये जाने बाबत।	पुनर्वास अनुदान गणना क्र. 286 राशि 62500/- का भुगतान किया गया। परिवहन राशि 5000/- विस्थापित होने पर देय होगी।	--	आवेदक को पुनर्वास अनुदान के समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है भूखण्ड की नगद राशि का भुगतान भी कर दिया गया है। भूखण्ड की पात्रता नहीं है।		
4 AKH-575	घनश्याम / देवराम / एखण्ड	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लाट दिये जाने बाबत।	पुनर्वास अनुदान गणना क्र. 12 राशि 9350/- का भुगतान किया गया। परिवहन राशि 5000/- विस्थापित होने पर देय होगी। भूखण्ड की राशि 20000/-जमा। भूखण्ड देना शेष है।	--	आवेदक को भूखण्ड की पात्रता है।		

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	---------------	--	---------------	--	---	--	------------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

5 AKH-576 हरकचंद / लक्ष्मण / एखण्ड	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लाट दिये जाने बाबत।	पुनर्वास अनुदान गणना क्र. 329 .राशि 38700/- का भुगतान किया गया।	—	आवेदक को पुनर्वास अनुदान के समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है भूखण्ड की नगद राशि का भुगतान भी कर दिया गया है। भखण्ड की पात्रता नहीं है।
6 AKH-573 जगदीश / सुखराम / एखण्ड	पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत।	ग्राम एखण्ड में आबादी भूमि में भूखण्ड का मुआवजा गणना पत्रक क्र.299 की निर्धारित की गई राशि 8161/- भुगतान की गई।	—	आवेदक का भूखण्ड अर्जन किया गया है जिसका मुआवजा उसे दिया गया है। मकान अर्जन नहीं किया गया है। अतः कंडिका 7.2 की पात्रता नहीं है।
7 AKH-577 बलीराम / घिस्या / एखण्ड	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लाट दिये जाने बाबत।	पुनर्वास अनुदान गणना क्र. 58 राशि 62500/- का भुगतान किया गया। परिवहन राशि 5000/- विस्थापित होने पर देय होगी।	—	आवेदक को पुनर्वास अनुदान के समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है भूखण्ड की नगद राशि का भुगतान भी कर दिया गया है। भखण्ड की पात्रता नहीं है।
8 AKH-578 कैलाश / रेवाराम / एखण्ड	भूमिहिन के रूप में अनुदान देने बाबत।	पुनर्वास अनुदान गणना क्र. 244 राशि 71850/- का भुगतान किया गया। परिवहन राशि 5000/- विस्थापित होने पर देय होगी।	—	आवेदक को पुनर्वास अनुदान व्यवसाय अन्य मजदूरी के रूप में नियमानुसार सभी लाभ दिये जा चुके हैं। अतः पात्रता नहीं है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**दूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र	पंजी. क्र	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
-----	--------------	--	---------------	--	---	--	------------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

9 AKH-572 सुरेश / नथु / एखण्ड	पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत।	ग्राम एखण्ड में आबादी भूमि में मकान का मुआवजा गणना पत्रक क्र.325 की निर्धारित की गई राशि 11025/- भुगतान की गई।	जीआरए प्रकरण क्र. 21876 आदेश दिनांक 01.12.08 द्वारा अमान्य।	जीआरए द्वारा अमान्य किया गया।
10 AKH-580 राजाराम / लक्ष्मण / एखण्ड	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लाट दिये जाने बाबत।	पुनर्वास अनुदान गणना क्र. 286 राशि 62500/- का भुगतान किया गया। परिवहन राशि 5000/- विस्थापित होने पर देय होगी।	--	आवेदक को पुनर्वास अनुदान के समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है भूखण्ड की नगद राशि का भुगतान भी कर दिया गया है। भखण्ड की पात्रता नहीं है।
11 AKH-562 रम्मू / बाल्या / एखण्ड	परिवार सूची में पुनवास नीति की धारा 1 (अ) 1 (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	ग्राम एखण्ड में आबादी भूमि मकान का मुआवजा गणना पत्रक क्र.241 की निर्धारित की गई राशि 82263/- भुगतान की गई।	जीआरए प्रकरण क्र. 21578 आदेश दिनांक 18.08.08 व 29.10.09 द्वारा अमान्य।	जीआरए द्वारा अमान्य।
12 AKH-579 देवराम / मोतीराम / एखण्ड	भूमिहिन के रूप में अनुदान देने बाबत।	पुनर्वास अनुदान गणना क्र. 290 राशि 29350/- का भुगतान किया गया। परिवहन राशि 5000/- विस्थापित होने पर देय होगी।	--	आवेदक को पुनर्वास अनुदान व्यवसाय कृषि के रूप में नियमानुसार सभी लाभ दिये जा चुके हैं। अतः पात्रता नहीं है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

13 AKH-557	भुवानीराम / मोजीलाल / एखण्ड	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लाट दिये जाने बाबत।	पुनर्वास अनुदान गणना क्र. 200 राशि 51850/- का भुगतान किया गया। परिवहन राशि 5000/- विस्थापित होने पर देय होगी। भूखण्ड की राशि 20000/-जमा। भूखण्ड देना शेष है।	--	आवेदक को भूखण्ड की पात्रता है। आवेदन स्वीकार योग्य है।
14 AKH-581	जितेन्द्र / जोगीराम / एखण्ड	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लाट दिये जाने बाबत।	जीआरए द्वारा मान्य प्रकरण के राशि 62500/- भुगतान एवं परिवहन राशि 5000/- विस्थापन के बाद देय होगी।	जीआरए प्रकरण क्र. 21661 आदेश दिनांक 19.08.08 द्वारा मान्य।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान के समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है भूखण्ड की नगद राशि का भुगतान भी कर दिया गया है। भखण्ड की पात्रता नहीं है।
15 AKH-558	बनसिंह / श्यामलाल / एखण्ड	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लाट दिये जाने बाबत।	पुनर्वास अनुदान गणना क्र. 277 राशि 62500/- का भुगतान किया गया। परिवहन राशि 5000/- विस्थापित होने पर देय होगी।	--	आवेदक को पुनर्वास अनुदान के समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है भूखण्ड की नगद राशि का भुगतान भी कर दिया गया है। भखण्ड की पात्रता नहीं है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : एखण्ड		आवेदन पत्र का प्रकार :	7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत			
16	AKH-559 रमेश / लक्ष्मण / एखण्ड	पुनर्वास नीति की कंडिका 3.3 के अनुसार अतिक्रमण जमीन के बदले जमीन देने बाबत।	—	जीआरए प्रकरण क्र. 21665 आदेश दिनांक 19.06.09, 28.10.09 द्वारा अमान्य।	आवेदक का प्रकरण पुनर्वास अनुदान से संबंधित जीआरए द्वारा अमान्य किया गया व आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन आपूर्ण है। आवेदन आपूर्ण होकर निरस्त योग्य है।	
17	AKH-560 शांताबाई / गंगाराम / एखण्ड	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लाट दिये जाने बाबत।	आवेदिका को जीआरए द्वारा पुनर्वास अनुदान की कंडिका 6.1 की राशि 9350/- स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	जीआरए प्रकरण क्र. 28585 आदेश दिनांक 15.05.09 द्वारा कंडिका 6.1 मान्य।	आवेदिका की केवल कृषिभूमि होने से उसे जीआरए द्वारा केवल कंडिका 6.1 की राशि स्वीकृत की गई है। अतः इसे भूखण्ड की पात्रता नहीं है।	
18	AKH-171 महेन्द्र / रामकिशन / एखण्ड	भूमिहीन के रूप में अनुदान देने बाबत।	आवेदक के पिता को कृषि व्यवसाय अनुसार पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 3 पर रु. 14350/- का भुगतान किया गया है। भूखण्ड देना शेष है।	जीआरए प्रकरण क्र. 21778 आ.दि. 13.08.08 व 12.06.009 द्वारा अमान्य।	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची में दादा मोतीराम के साथ क्र. 1 पर नाती के रूप में दर्ज होकर आयु 17 वर्ष अंकित है। अवयर्स्क होने से अनुदान की पात्रता नहीं है। जीआरए द्वारा भी आवेदन अमान्य किया गया है।	

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

19	AKH-561.	देवराम / मोतीराम / एखण्ड	भूमिहिन के रूप में अनुदान देने बाबत।	पुनर्वास अनुदान गणना क्र. 290 राशि 29350/- का भुगतान किया गया। परिवहन राशि 5000/- विस्थापित होने पर देय होगी।	--	आवेदक को पुनर्वास अनुदान व्यवसाय अन्य मजदूरी के रूप में नियमानुसार सभी लाभ दिये जा चुके हैं। अतः पात्रता नहीं है।
20	AKH-571	प्रेमचंद / गोपाल / एखण्ड	पुनर्वास नीति की धारा 2.3 के अंतर्गत टापू में आने बाबत।	--	--	आवेदक की निजी भूमि का टापू बनने पर प्रस्तावित विभाग द्वारा सर्वे किया जायेगा। अगर टापू बनता है तो नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
21	AKH-563	श्याम / राजाराम / एखण्ड	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लाट दिये जाने बाबत।	जीआरए द्वारा मान्य प्रकरण की राशि 62500/- भुगतान एवं 5000/- विस्थापन होने पर देय होगी।	जीआरए प्रकरण क्र. 21557 आदेश दिनांक 05.12.08 द्वारा अमान्य।	भूखण्ड की राशि सहित पुनर्वास अनुदान का भुगतान कर दिया गया। भूखण्ड की पात्रता नहीं।
22	AKH-564	खुमसिंग / चमारिया / एखण्ड	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लाट दिये जाने बाबत।	पुनर्वास अनुदान गणना क्र. 319 राशि 71850/- का भुगतान किया गया। परिवहन राशि 5000/- विस्थापित होने पर देय होगी।	--	भूखण्ड की राशि का आवेदक को भुगतान कर दिया गया है। अतः भूखण्ड की पात्रता नहीं है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

<b>ग्राम का नाम : एखण्ड</b>			<b>आवेदन पत्र का प्रकार :</b>	<b>7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत</b>			
23	AKH-565 <sup>1</sup>	कैलाश / बावरिया / एखण्ड	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लाट दिये जाने बाबत।	पुनर्वास अनुदान गणना क्र. 215 राशि 71850/- का भुगतान किया गया। परिवहन राशि 5000/- विस्थापित होने पर देय होगी।	--	आवेदक को व्यवसाय अन्य मजदूर के रूप में भूखण्ड की राशि सहित भुगतान किया गया। अतः भूखण्ड की पात्रता नहीं है।	
24	AKH-582	जगदीश / मोतीराम / एखण्ड	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लाट दिये जाने बाबत।	पुनर्वास अनुदान गणना क्र.5 राशि 9350/- का भुगतान किया गया। परिवहन राशि 5000/- विस्थापित होने पर देय होगी।	--	आवेदक को पुनर्वास स्थल इनपुन में भूखण्ड क्र.46 सी आवंटित किया जा चुका है।	
25	AKH-567	समोताबाई / भुवानसिंह / एखण्ड	पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत।	ग्राम एखण्ड में शासकीय भूमि मुआवजा गणना पत्रक क्र. 21861, 21559 आदेश 17 की निर्धारित की गई राशि 12386/- भुगतान की गई।	जीआरए प्रकरण क्र. 21861, 21559 आदेश दिनांक 02.05.09 द्वारा राशि 12386/- भुगतान की गई।	जीआरए द्वारा अमान्य किया गया।	
26	AKH-568.	हुकुम, भगवान, जगदीश / गंगाराम / एखण्ड	पुनर्वास नीति की कंडिका 3.3 के अनुसार अतिक्रमण जमीन के बदले जमीन देने बाबत।	--	जीआरए प्रकरण क्र. 21848, 21633 आदेश दिनांक 10.11.09, 24.09. 1987 से लागतार धारा-4 08 द्वारा अमान्य।	पुनर्वास अनुदान जीआरए द्वारा अमान्य। दिनांक 13.04. 1987 से लागतार धारा-4 के प्रकाशन होने की तिथि तक आवेदक का अतिक्रमण अभिलेख से सिद्ध नहीं होने पर कंडिका 3.3 के अनुसार जमीन के बदले जमीन की पात्रता नहीं है।	

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
----	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

27 AKH-584	रामकिशन / मोतीराम / एखण्ड	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लाट दिये जाने बाबत	पुनर्वास अनुदान गणना क्र.3 राशि 9350/- का भुगतान किया गया। परिवहन राशि 5000/- विस्थापित होने पर देय होगी। भूखण्ड की राशि 20000/-जमा। भूखण्ड देना शेष है।	--	आवेदक की भूखण्ड की राशि जमा है। आवेदक को कमाण्ड क्षेत्र में भूखण्ड देने हेतु सूचना दी गई थी। पुनः पुनर्वास सिल कोठी-3 में भी सूचना दी गई लेकिन आवेदक ने सहमति प्रस्तुत नहीं की और इनपुन में भूखण्ड मांग की है। इनपुन में भूखण्ड रिक्त नहीं होने से अन्यत्र सीन पर भूखण्ड सहमति से दिया जायेगा।
------------	------------------------------	---	--	----	--

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : एखण्ड			आवेदन पत्र का प्रकार :		7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत		
28 AKH-169	नरेन्द्र / बबन / एखण्ड	घर का मुआवजा 20,000 से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धारा-7.2 के अनुसार लाभ देने बाबत।	आवेदक को एफआरएल कृषि ग.प.क्र. 207 पर मकान की मुआवजा राशि रु. 6784/- का भुगतान किया गया है।	आवेदक को एफआरएल कृषि ग.प.क्र. 207 पर मकान की मुआवजा राशि रु. 6784/- का भुगतान किया गया है।	जीआरए प्रकरण क्र. 21488, 15965 आ.दि. क्रमशः 13.05.09 व 14. 09.07 द्वारा आवेदक का आवेदन पुनर्वास अनुदान हेतु अमान्य। जीआरए प्रकरण क्र. 21487 आ.दि. 05.08.08 द्वारा आवेदक के पिता का आवेदन पुनर्वास अनुदान हेतु अमान्य तथा जीआरए प्रकरण क्र. 21818 आ.दि. 15. 06.09 द्वारा आवेदक के पिता का आवेदन कंडिका 7.2 हेतु अमान्य।	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची में दर्ज नहीं है। आवेदक एवं उसके पिता के आवेदन जीआरए द्वारा भी अमान्य किये गये हैं।	
29 AKH-295	समोताबाई / भुवानसिंह / एखण्ड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक को बीडल्यूएल ग.प. क्र. 17 पर मकान की मुआवजा राशि रु. 12386/- भुगतान की गई है।	आवेदक को बीडल्यूएल ग.प. क्र. 17 पर मकान की मुआवजा राशि रु. 12386/- भुगतान की गई है।	जीआरए प्रकरण क्र. 21861, 21859 में आ. दि. 02.05.09 द्वारा अमान्य।	आवेदक का नाम ग्राम की परिवार सूची में दर्ज नहीं है। जीआरए द्वारा भी पुनर्वास अनुदान हेतु अमान्य किया गया है। अतः अनुदान हेतु पात्र नहीं है।	

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : एखण्ड			आवेदन पत्र का प्रकार :	7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत			
30	AKH-533	ओंकार / मंशाराम / एखण्ड	भूमिहिन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	ग्राम एखण्ड में निजीभूमि मकान का मुआवजा गणना पत्रक क्र.242 की निर्धारित की गई राशि 14078/- भुगतान की गई।	जीआरए प्रकरण क्र. 21700 आदेश दिनांक 16.06.09, 27.10.09 द्वारा अमान्य।	जीआरए द्वारा अमान्य किया।	
31	AKH-530	मिश्रीलाल / आनन्दराम / एखण्ड	अनुदान राशि लेने बाबत।	पुनर्वास अनुदान गणना क्र. 255 राशि 29350/- का भुगतान किया गया। परिवहन राशि 5000/- विस्थापित होने पर देय होगी।	जीआरए प्रकरण क्र. 27431 आदेश दिनांक 01.06.09 द्वारा अमान्य।	आवेदक के पिता का प्रकरण जीआरए द्वारा अमान्य किया गया।	
32	AKH-529	सखाराम / बाबूलाल / एखण्ड	भूमिहिन के रूप में अनुदान देने बाबत।	पुनर्वास अनुदान गणना क्र. 208 राशि 38700/- का भुगतान किया गया। परिवहन राशि 5000/- विस्थापित होने पर देय होगी। जीआरए द्वारा मान्य 49300/- भुगतान।	जीआरए प्रकरण क्र. 21765 आदेश दिनांक 06.12.08 द्वारा कंडिका 9.1 मान्य।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान नियमानुसार समस्त लाभ दिया जा चुका है भूखण्ड की नगद राशि का भुगतान भी कर दिया गया है। भूखण्ड की पात्रता नहीं है।	
33	AKH-527	सलिताबाई / बाबूलाल / एखण्ड	भूमिहिन के रूप में अनुदान देने बाबत।	--	जीआरए प्रकरण क्र. 21747 आदेश दिनांक 24.09.08 द्वारा अमान्य।	आवेदिका का मकान अर्जन नहीं किया गया है। जीआरए द्वारा निरस्त किया गया है।	

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**दूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र	पंजी. क्र	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
-----	-----------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : एखण्ड		आवेदन पत्र का प्रकार :	7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत				
34	AKH-296	उदयसिंह / सुखराम / एखण्ड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत। राशि रु. 12351/- भुगतान की गई है।	आवेदक को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 304 पर मकान व भूखंड की मुआवजा	जीआरए प्रकरण क्र. 15812 आ.दि. 26.10. 06, प्रकरण क्र. 21662 आ.दि. 18.07.08, 27.10. 09 प्रकरण क्र. 21602 आ.दि. 16.06.09 द्वारा	आवेदक का नाम ग्राम की परिवार सूची में दर्ज नहीं है। जीआरए द्वारा भी पुनर्वास अनुदान हेतु अमान्य किया गया है। अतः अनुदान द्वारा हेतु पात्र नहीं है। अमान्य।	
35	AKH-191	ओमप्रकाशराव / पंडरी / एखण्ड	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) 1 (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	--	जीआरए प्रकरण क्र. 21735 आदेश दिनांक 06.12.08 द्वारा अमान्य।	ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में आवेदक का नाम नहीं है जीआरए द्वारा भी अमान्य किया।	
36	AKH-183	लक्ष्मीबाई / पंडरीराव / एखण्ड	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) 1 (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	--	जीआरए प्रकरण क्र. 27996 आदेश दिनांक 13.05.09 द्वारा अमान्य।	ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में आवेदक का नाम नहीं है जीआरए द्वारा भी अमान्य किया।	
37	AKH-180	काशीराम / जीवन / एखण्ड	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) 1 (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	--	जीआरए प्रकरण क्र. 15908 आदेश दिनांक 02.04.07, क्र.21520 दि. 16.06.09 व 27.10.09, क्र.21881 दि.16.11.09	अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में आवेदक का नाम दर्ज नहीं है। आवेदक की कोई सम्पत्ति के अर्जन नहीं किया गया है। अतः आवेदक को पात्रता नहीं है।	

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**दूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र	पंजी. क्र	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
-----	-----------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

38	AKH-158	संतोषबाई / सीताराम / एखण्ड	परिवार सूची में पुनवास नीति की धारा 1 (अ) 1 (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	ग्राम एखण्ड में निजीभूमि मुआवजा गणना पत्रक क्र.37 326649 – एवं वि.पु.अ. राशि 25777/- का भुगतान किया गया।	जीआरए प्रकरण क्र. 28566 आदेश दिनांक 20.05.09 द्वारा अमान्य।	ग्राम की प्रकाशित अंतिम परिवार सूची में आवेदिका का नाम दर्ज नहीं है जीआरए द्वारा अमान्य किया गया।
39	AKH-528	नानकराम / बाबूलाल / एखण्ड	भूमिहिन के रूप में अनुदान देने बाबत।	ग्राम एखण्ड में आबादी भूमि मकान का मुआवजा गणना पत्रक क्र.200 की निर्धारित की गई राशि 19042/- भुगतान की गई।	जीआरए प्रकरण क्र. 21809 आदेश दिनांक 28.07.08 व 21682 दि. 25.07.08 द्वारा अमान्य।	जीआरए द्वारा अमान्य।
40	AKH-153	विष्णु / सीताराम / एखण्ड	भूमिहीन के रूप में अनुदान देने बाबत	आवेदक के संलग्न दस्तावेज अनुसार आबादी मुआवजा पत्रक क्र.243 पर मुआवजा रु. 32458 का भुगतान किया गया है एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र.-238 पर राषि रु.76850 निर्धारित कर प्रदान की जा चुकी है।	जीआरए के प्रकरण क्र. -21668 / 28020 आदेश दिनांक 21.07. 08 / 18.05.09 के तहत पुनर्वास अनुदान/कंडिका 7.2 प्रकरण अमान्य किया गया है।	आवेदक के संलग्न दस्तावेज अनुसार पुनर्वास अनुदान का भुगतान किया गया है।
41	AKH-536	गेंदालाल / भोलुजी / एखण्ड	भूमिहिन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	पुनर्वास अनुदान गणना क्र. 330 राशि 42500/- का भुगतान किया गया। परिवहन राशि 5000/- विस्थापित होने पर देय होगी। खूबखण्ड क्र.201-ए इनपुन आवंटित किया गया।	--	आवेदक को पुनर्वास अनुदान व्यवसाय अन्य मजदूरी के रूप में नियमानुसार सभी लाभ दिये जा चुके हैं।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**दूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : एखण्ड			आवेदन पत्र का प्रकार :		7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत		
42	AKH-294	नानीबाई / तोताराम / एखण्ड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत।	आवेदिका के पुत्र सीताराम को पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 232 पर रु. 43700/- का भुगतान किया गया है।	जीआरए प्रकरण क्र. 17143 आ.दि. 18.05.07, प्रकरण क्र. 21722 आ.दि. 18.07.08 व 26.10.09, प्रकरण क्र. 28561 आ.दि. 18.05.09, प्रकरण क्र. 21838 आ.दि. 10.11.09 द्वारा अमान्य।	आवेदक का नाम ग्राम की परिवार सूची में क्र. 148 पर पुत्र सीताराम के साथ माता (आश्रित) के रूप में दर्ज होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया। जीआरए द्वारा भी पुनर्वास अनुदान हेतु अमान्य किया गया है। अतः अनुदान हेतु पात्र नहीं है।	
43	AKH-293/1	नवलसिंह / वेरसिंह / एखण्ड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 241 पर टप्पर की मुआवजा राषि रु. 24799/- दी गई है।	जीआरए प्रकरण क्र. 15408 आ.दि. 28.10.06 एवं प्रकरण क्र. 21455 आ.दि. 03.09.08 व 12.06.09 द्वारा अमान्य।	आवेदक का नाम ग्राम की परिवार सूची में दर्ज नहीं है। जीआरए द्वारा भी में आ.दि. 03.09.08 व 12.06.09 द्वारा अमान्य। किया गया है। अतः अनुदान हेतु पात्र नहीं है।	
44	AKH-293	सुखराम / सखाराम / एखण्ड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 323 पर भूखंड व टप्पर की राशि 19932/- का भुगतान किया गया है।	जीआरए प्रकरण क्र. 15807 आ.दि. 26.10.06 तथा प्रकरण क्र. 21486 में आ.दि. 05.08.08, 17.06.09 व 29.10.09 द्वारा अमान्य।	आवेदक का नाम ग्राम की परिवार सूची में दर्ज नहीं है। जीआरए द्वारा भी में आ.दि. 05.08.08, 17.06.09 व 29.10.09 द्वारा अमान्य। किया गया है। अतः अनुदान हेतु पात्र नहीं है।	

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

45	AKH-291 बाबू / मांगल्या / एखण्ड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक के पुत्र टंटू को पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 184 पर रु. 67500/- का भुगतान किया गया है।	जीआरए प्रकरण क्र. 21718 आ.दि. 12.06.09 व 18.07.08 द्वारा अमान्य।	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची में पुत्र टंटू के साथ क्र. 108 पर पिता (आश्रित) दर्ज होने से अनुदान नहीं दिया गया। जीआरए द्वारा भी आवेदन अमान्य किया गया है।
46	AKH-290 जगदीश / देवराम / एखण्ड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 205 पर मकान व भूखण्ड की मुआवजा राशि रु. 108990/- भुगतान की गई है।	जीआरए प्रकरण क्र. 15833, 21659 आ.दि. 21.07.08 द्वारा पुनर्वास अनुदान हेतु अमान्य।	आवेदक का नाम ग्राम की परिवार सूची में दर्ज नहीं है। जीआरए द्वारा भी पुनर्वास अनुदान हेतु अमान्य किया गया है। अतः अनुदान हेतु पात्र नहीं है।
47	AKH-289 जवानसिंह / जयमल / एखण्ड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक को एफआरएल कृषि ग.प.क्र. 231 पर टप्पर की मुआवजा राशि रु. 35130/- तथा पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 340 पर राशि रु. 43700/- स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	--	आवेदक को कृषि (पिता के नाम भूमि) के मान से पुनर्वास अनुदान की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है। अब अनुदान की कोई पात्रता नहीं है।
48	AKH-132 अनोखीबाई / नत्थू / एखण्ड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत।	-	-	आवेदक के नाम से ग्राम में किसी भी संपत्ति का अर्जन नहीं किया गया है और न ही ग्राम की अंतिम परिवार सूची में उसका नाम दर्ज है। अतः अपात्र है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क0	पंजी. क0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
----	-------------	--	---------------	--	---	--	------------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**      **आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

49 AKH-101 संजय / भुवानीराम / एखण्ड	घर का मुआवजा 20,000 से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धारा-7.2 के अनुसार लाभ देने बाबत।	आवेदक के पिता के नाम आबादी ग.प.क्र. 209 पर भूखंड एवं मकान की राशि 78984/- तथा पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 200 पर रु. 56850/- का भुगतान किया गया है तथा पुनर्वास स्थल एखण्ड पर भूखंड क्र. 103 आवंटित किया गया है।	—	—	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची में पिता के साथ क्र. 121 पर दर्ज होकर आयु 12 वर्ष दर्ज है।  अवयस्क होने से तथा आवेदक के नाम मकान का अर्जन नहीं होने से अनुदान की पात्रता नहीं है। आवेदक के पिता को भी मकान की राशि कंडिका 7.2 की निर्धारित राशि से अधिक (51056 रु.) भुगतान की गई है, अतः आवेदक के पिता को भी कंडिका 7.2 मकान के अंतर की राशि की पात्रता नहीं है।	
50 AKH-586 मनोहर / नानकिया / एखण्ड	पुनर्वास नीति की धारा 2.3 के अंतर्गत टापू में आने बाबत।	—	—	—	आवेदक की निजी भूमि का टापू बनने पर प्रस्तावित विभाग द्वारा सर्वे किया जायेगा। अगर टापू बनता है तो नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।	

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**दूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र	पंजी. क्र	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
-----	--------------	--	---------------	--	---	--	------------------------

ग्राम का नाम : एखण्ड			आवेदन पत्र का प्रकार :		7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत		
51	AKH-640	अजय / चम्पालाल / एखण्ड	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) व (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	आवेदक के पिता के नाम से ग्राम एखण्ड में आबादी मकान का मुआवजा गणना पत्रक क्र.341 की निर्धारित की गई राशि 28903/- भुगतान की गई।	जीआरए प्रकरण क्र. 27524 आदेश दिनांक 01.06.09 द्वारा अमान्य।	आवेदक के पिता का जीआरए द्वारा प्रकरण अमान्य किया जा चुका है। अतः अनुदान की पात्रता नहीं है।	
52	AKG- 639	राजेन्द्र / चम्पालाल / एखण्ड	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) व (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	आवेदक के पिता के नाम से ग्राम एखण्ड में आबादी मकान का मुआवजा गणना पत्रक क्र.341 की निर्धारित की गई राशि 28903/- भुगतान की गई।	जीआरए प्रकरण क्र. 27524 आदेश दिनांक 01.06.09 द्वारा अमान्य।	आवेदक के पिता का जीआरए द्वारा प्रकरण अमान्य किया जा चुका है। अतः अनुदान की पात्रता नहीं है।	
53	AKH-297	दयाशंकर / रामचंद / एखंड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 306 पर मकान व भूखंड की मुआवजा राशि रु. 118715/- भुगतान की गई है।	जीआरए प्रकरण क्र. 15877, 21498 आ.दि. 24.12.08 द्वारा अमान्य।	आवेदक का नाम ग्राम की परिवार सूची में दर्ज नहीं है। जीआरए द्वारा भी पुनर्वास अनुदान हेतु अमान्य किया गया है। अतः अनुदान हेतु पात्र नहीं है।	
54	AKH-554	कैलाशबाई / चम्पालाल / एखण्ड	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) 1 (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	ग्राम एखण्ड में निजीभूमि मुआवजा गणना पत्रक क्र.174 की निर्धारित की गई राशि 2256/- भुगतान की गई।	जीआरए प्रकरण क्र. 28629 आदेश दिनांक 01.06.09 द्वारा अमान्य।	जीआरए द्वारा अमान्य किया गया।	

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**दूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

55	AKH-553	मरुबाई / चम्पालाल / एखण्ड	विस्थापित परिवार के सदस्यों को मकान मुआवजा व अनुदान राशि एवं प्लाट प्रदान करने बाबत।	ग्राम एखण्ड में निजीभूमि मुआवजा गणना आवेदिका का नाम संयुक्त खाते में दर्ज है। पत्रक क्र.174 की निर्धारित की गई राशि 2256/- भुगतान की गई।	जीआरए प्रकरण क्र. 28627 आदेश दिनांक 20.05.09 द्वारा अमान्य।	जीआरए द्वारा अमान्य किया गया है।
56	AKH-552	छोटेलाल / रामलाल / एखण्ड	परिवार सूची में पुनवास नीति की धारा 1 (अ) 1 (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	ग्राम एखण्ड में निजी भूमि मकान मुआवजा गणना पत्रक क्र.257 की निर्धारित की गई राशि 73534/- भुगतान की गई।	जीआरए प्रकरण क्र. 21785 आदेश दिनांक 25.07.08 द्वारा अमान्य।	जीआरए द्वारा अमान्य किया गया।
57	AKH-551	रमेश / मगन / एखण्ड	परिवार सूची में पुनवास नीति की धारा 1 (अ) 1 (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	—	जीआरए प्रकरण क्र. 21565 आदेश दिनांक 13.06.09 व 27.10.09 द्वारा अमान्य।	जीआरए द्वारा अमान्य।
58	AKH-550	साविताबाई / गिरवर / एखण्ड	परिवार सूची में पुनवास नीति की धारा 1 (अ) 1 (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	ग्राम एखण्ड में आबादी भूमि में मकान का मुआवजा गणना पत्रक क्र.333 की निर्धारित की गई राशि 29553 – भुगतान की गई।	जीआरए प्रकरण क्र. 21532 आदेश दिनांक 13.05.09 व 26.10.09 द्वारा अमान्य।	जीआरए द्वारा अमान्य।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**दूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र	पंजी. क्र	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
-----	-----------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : एखण्ड			आवेदन पत्र का प्रकार :	7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत			
59	AKH-55	गेंदाबाई / चम्पालाल / एखण्ड	परिवार सूची में पुनवास नीति की धारा 1 (अ) 1 (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	ग्राम एखण्ड में निजीभूमि मुआवजा गणना पत्रक क्र.174 की निर्धारित की गई राशि 2256/- भुगतान की गई।	जीआरए प्रकरण क्र. 28628 आदेश दिनांक 01.06.09 द्वारा कंडिका 6.1 की राशि मान्य की गई जो 6.1 की राशि मान्य।	जीआरए द्वारा केवल कृषि भूमि होने से कंडिका 6.1 की राशि मान्य की गई जो भुगतान किया गया।	
60	AKH-549	कैलाश / रेवाराम / एखण्ड	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लाट दिये जाने बाबत।	पुनर्वास अनुदान गणना क्र. 244 राशि 71850/- का भुगतान किया गया। परिवहन राशि 5000/- विस्थापित होने पर देय होगी।	--	आवेदक को समस्त कंडिकाओं के लाभ के साथ ही भूखण्ड की राशि का भुगतान किया जा चुका है। पात्रता नहीं है।	
61	AKH-548	प्रेमलाल / रेवाराम / एखण्ड	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लाट दिये जाने बाबत।	जीआरए द्वारा मान्य प्रकरण से पुनर्वास अनुदान राशि 93000/- का भुगतान किया गया।	जीआरए प्रकरण क्र. 16277 आदेश दिनांक 18.05.07 द्वारा मान्य।	आवेदक को भूखण्ड के बदले की राशि 20000/- व अन्य समस्त राशि का भुगतान किया जा चुका है। अतः भूखण्ड की पात्रता नहीं है।	
62	AKH-547	प्रेमलाल / रेवाराम / एखण्ड	भूमिहिन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुप्ये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	जीआरए से मान्य पुनर्वास अनुदान राशि 88000/- भुगतान किया गया।	प्रकरण 16277 दि.18.05.07 मान्य।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान का नियमानुसार सभी लाभ दिये जा चुके हैं।	

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
----	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

63 AKH-44 राजेन्द्र / हीरालाल अनुदान एवं भूखंड / एखंड प्रदान करने बाबत।	आवेदक को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 311 पर मकान भूखंड की मुआवजा राषि रु. 284627/-दी गई है। जीआरए द्वारा स्वीकृत पुनर्वास अनुदान राशि 14350 व एखंड पर भूखंड क्र.11 का लाभ दिया गया है।	जीआरए प्रकरण क्र. 21677 आ.दि. 24.12.08 द्वारा मान्य।	आवेदक को जीआरए द्वारा स्वीकृत पुनर्वास अनुदान राशि व भूखंड का लाभ दिया जा चुका है। अतः आवेदन निरस्ती योग्य है।
64 AKH-152 श्यामाबाई / गेंदालाल / एखंड भूमिहीन परिवार के रूप में 2.5 लाख रु० विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदक को आबादी ग.प.क्र. 90 पर रु. 94289/-तथा पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 78 पर रु. 46500/- का भुगतान किया गया है तथा पुनर्वास सिल इनपुन पर भूखंड क्र. ए-183 आवंटित किया गया है।	--	आवेदक को अन्य मजदूर के मान से पुनर्वास अनुदान की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है। अब अनुदान की कोई पात्रता नहीं है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र	पंजी. क्र	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
-----	--------------	--	---------------	--	---	--	------------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

65 AKH-341 राजाराम / मुकुन्द / एखण्ड	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लाट दिये जाने बाबत।	आवेदक को एफआरएल कृषि ग.प.क्र. 77 पर भूमि व मकान की मुआवजा राशि रु. 107980/- जीआरए द्वारा स्वीकृत कंडिका 6.1 की राशि 9350/- चैक क्र. 42756 दि. 27.12.09 द्वारा भुगतान की गई है।	जीआरए प्रकरण क्र. 28583 आ.दि. 20.05.09 द्वारा मान्य।	आवेदक को जीआरए से पुनर्वास अनुदान की केवल कंडिका 6.1 की राशि स्वीकृत हुई है, जिसका भुगतान कर दिया गया है। आवेदक का नाम ग्राम की परिवार सूची में क्र. 45 पर पुत्र सुरेश के साथ पिता (आश्रित) के रूप में दर्ज होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया है। अतः भूखण्ड नहीं दिया जा सकता है।
66 AKH-535 शांताबाई / तुलाराम / एखण्ड	विस्थापित परिवार के सदस्यों को मकान मुआवजा व अनुदान राशि एवं प्लाट प्रदान करने बाबत।	—	जीआरए प्रकरण क्र. 21852 आदेश दिनांक 11.11.09 द्वारा अमान्य।	जीआरए द्वारा अमान्य किया गया।
67 AKH-545 रेवाराम / बाबू / एखण्ड	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लाट दिये जाने बाबत।	जीआरए द्वारा मान्य प्रकरण की राशि 43700/- भुगतान किया गया।	जीआरए प्रकरण क्र. 16277 आदेश दिनांक 18.05.07 द्वारा मान्य।	आवेदक को जीआरए द्वारा स्वीकृत पुनर्वास अनुदान की समस्त राशि व भूखण्ड की राशि का भी भुगतान कर दिया गया है। अतः भूखण्ड की पात्रता नहीं है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**दूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : एखण्ड		आवेदन पत्र का प्रकार :	7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत				
68	AKH-544 गुलाबबाई / बाबू / एखण्ड	विस्थापित परिवार के सदस्यों को मकान मुआवजा व अनुदान राशि एवं प्लाट प्रदान करने बाबत।	आवेदिका के पुत्र को पुनर्वास अनुदान गणना क्र.235 राशि 71850/- का भुगतान किया गया। परिवहन राशि 5000/- विस्थापित होने पर देय होगी।	जीआरए प्रकरण क्र. 21519 आदेश दिनांक 16.06.09 द्वारा अमान्य।	जीआरए प्रकरण क्र.21519 आदेश दिनांक 16.06.09 द्वारा अमान्य।	आवेदिका अंतिम परिवार सूची क्र.149 पर माता के रूप में आश्रित दर्ज है। जीआरए द्वारा प्रकरण अमान्य किया गया है।	
69	AKH-543 कैलाश / रेवाराम / एखण्ड	भूमिहिन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	पुनर्वास अनुदान गणना क्र. 244 राशि 71850/- का भुगतान किया गया। परिवहन राशि 5000/- विस्थापित होने पर देय होगी।	--	--	आवेदक को पुनर्वास अनुदान का नियमानुसार सभी लाभ दिये जा चुके हैं।	
70	AKH-542 सुरती / सजय / एखण्ड	वयस्क पुत्री को सुविधा मिलने बाबत।	--	--	--	आवेदन आपूर्ण है। जानकारी देना सभव नहीं है।	
71	AKH-541 जयराम / बाबू / एखण्ड	भूमिहिन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	पुनर्वास अनुदान गणना क्र. 235 राशि 71850/- का भुगतान किया गया। परिवहन राशि 5000/- विस्थापित होने पर देय होगी।	--	--	आवेदक को पुनर्वास अनुदान व्यवसाय अन्य मजदूरी के रूप में नियमानुसार सभी लाभ दिये जा चुके हैं।	
72	AKH-540 जयराम / बाबू / एखण्ड	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लाट दिये जाने बाबत।	पुनर्वास अनुदान गणना क्र. 235 राशि 71850/- का भुगतान किया गया। परिवहन राशि 5000/- विस्थापित होने पर देय होगी।	--	--	पुनर्वास नीति के तहत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है भूखण्ड की राशि भी भुगतान कर दी गई है। अतः भूखण्ड की पात्रता नहीं है।	

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**दूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

73 AKH-539	शंकरलाल / चंपालाल / एखण्ड	परिवार सूची में पुनवास नीति की धारा 1 (अ) 1 (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	ग्राम एखण्ड में निजीभूमि में मकान का मुआवजा गणना पत्रक क्र.160 की निर्धारित की गई राशि 97733/- भुगतान की गई।	जीआरए प्रकरण क्र. 16148, 21539 आदेश दिनांक 16.05.07, 03.09.	जीआरए द्वारा अमान्य किया गया।
74 AKH-538	मुकेश / किशन / एखण्ड	भूमिहिन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	पुनर्वास अनुदान गणना क्र. 305 राशि 67500/- का भुगतान किया गया। परिवहन राशि 5000/- विस्थापित होने पर देय होगी।	--	आवेदक को पुनर्वास अनुदान व्यवसाय अन्य मजदूरी के रूप में नियमानुसार सभी लाभ दिये जा चुके हैं।
75 AKH-537	ठाकुरसिंह / मांगीलाल / एखण्ड	भूमिहिन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक के पिता को मकान का मुआवजा गणना क्र.250 राशि 103545/- का भुगतान किया गया।	जीआरए प्रकरण क्र. 21628 आदेश दिनांक 16.06.09 व 28.10.09	जीआरए द्वारा अमान्य किया गया।
76 AKH-556	राजेन्द्र / हिरालाल / एखण्ड	भूमिहिन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	जीआरए द्वारा मान्य पुनर्वास अनुदान राशि 9350/- का भुगतान किया गया। परिवहन राशि 5000/- विस्थापित होने पर देय होगी। भूखण्ड की राशि 20000/-जमा। भूखण्ड देना शेष है।	जीआरए प्रकरण क्र. 21677 आदेश दिनांक 24.12.08 द्वारा मान्य।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान व्यवसाय कृषि के रूप में नियमानुसार सभी लाभ दिये जा चुके हैं। अतः पात्रता नहीं है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**      **आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

77	AKH-546	रेवाराम / बाबू / एखण्ड	भूमिहिन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	जीआरए द्वारा मान्य प्रकरण से आवेदक को 38700. /— भुगतान एवं परिवहन राशि 5000 /— विस्थापन के बाद देय होगी।	जीआरए प्रकरण क्र. 16277 आदेश दिनांक 18.05.07 द्वारा मान्य।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान का नियमानुसार सभी लाभ दिये जा चुके हैं।
78	AKH-706	सुभाषचन्द्र / सुरजमल / सनावद	मा.उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जमीन देने बाबत।	आवेदक को ग्राम एखण्ड कृषिभूमि मुआवजा गणना पत्रक क्र.161 पर भूमि का मुआवजा एवं पाईप लाइन, तारफेसिंग, फलदार वृक्ष राशि रु.1077318 /— निर्धारित कर भुगतान की गई।	--	आवेदक भूमि के बदले भूमि के लिए अपना आवेदन जीआरए में प्रस्तुत कर सकता है।
79	AKH-6	जगन्नाथ / मोतीराम / एखण्ड	अनुदान राशि एवं प्लाट दिलाने बाबत	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र.24 पर कंडिका 6.1, 7.1 एवं 6.3 की राशि 34350 /— स्वीकृत की गई है, 29,350 /— का भुगतान किया जा चुका है शेष परिवहन राशि 5000 /— का भुगतान विस्थापन होने पर किया जावेगा।	ग्राम बिराली तहसील बड़वाह में पिता के नाम 6.00 एकड़ भूमि है, जिसमें आवेदक का हिस्सा है, अतः आवेदक को कृषि व्यवसाय के मान पुनर्वास अनुदान प्रदाय किया गया।	कृषि व्यवसाय के अनुसार पुनर्वास अनुदान राशि स्वीकृत की गई। अतः आवेदन निरस्त योग्य है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**दूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

		<b>ग्राम का नाम : एखण्ड</b>		<b>आवेदन पत्र का प्रकार :</b>		<b>7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत</b>	
80	AKH-33	स्वर्णलता / रामप्रसाद / एखण्ड	जमीन, प्लाट, बालिग बच्चों को अनुदान प्लाट व रोजगार	जीआरए प्रकरण क्र.29691 आदेश दिनांक 13.05.09 द्वारा कंडिका 6.1 की राशि रु. 9350/- भुगतान की गई।	जी.आर.ए. प्रकरण क्र. 29691 आदेश दिनांक 13.05.09 द्वारा कंडिका 6.1 की राशि 9350/- मान्य।	आवेदक का ग्राम में निवास नहीं। मकान नहीं है। केवल कृषिभूमि होने से जीआरए द्वारा कंडिका 6.1 की राशि स्वीकृत कर भुगतान की गई है। भूखंड की पात्रता नहीं है, व जमीन के लिए आवेदन जीआरए में प्रस्तुत कर सकते हैं। अतः आवेदन निरस्त योग्य है।	
81	AKH-699	सतीश / श्यामसुन्दर / एखण्ड	भूखण्ड देने बाबद जमीन के बदले जमीन देने के संबंध में।	जीआरए द्वारा स्वीकृत कंडिका 6.1 की राशि 9350/- भुगतान की गई है एवं संशोधित एफआरएल गणना क्र.30 भूमि का मुआवजा एवं कुंआ की राशि 720524/- भुगतान की गई।	जीआरए प्रकरण क्र. 28636 आदेश दिनांक 01.06.09 द्वारा मान्य।	आवेदक का अंतिम परिवार सूची में नाम नहीं है। जीआरए द्वारा स्वीकृत पुनर्वास अनुदान की कंडिका 6.1 की राशि स्वीकृत की गई है जिसका भुगतान किया गया है एवं कुआ का मुआवजा शासन द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर नियमानुसार किया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	
82	AKH-700	संजय / श्यामसुन्दर / एखण्ड	जमीन के बदले जमीन देने के संबंध में।	कृषि भूमि मुआवजा गणना पत्रक क्र.189 पर राशि 1062067/- का भुगतान किया गया है।	--	आवेदक भूमि के बदले भूमि के लिए आपना आवेदन जीआरए में प्रस्तुत कर सकता है।	

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : एखण्ड			आवेदन पत्र का प्रकार :	7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत			
83 AKH-701	शैलेन्द्र / श्यामसुन्दर / एखण्ड	मा.उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार जमीन देने बाबत।	मुआवजा गणना पर भूमि मुआवजा राशि रु. 990698/- निर्धारित कर भुगतान की गई।	निजी भूमि मुआवजा गणना पर भूमि मुआवजा राशि रु.	--	आवेदक भूमि के बदले भूमि के लिए आपना आवेदन जीआरए में प्रस्तुत कर सकता है।	
84 AKH-702	श्रीमती महेश्वरी / संजय महेश्वरी / एखण्ड	खातेदार का वयस्क पुत्री होने के नाते कृषि भूमि आवंटन के संबंध में।	--	--	--	शासन के आदेशानुसार वयस्क पुत्रों को कृषिभूमि आवंटन की पात्रता नहीं है।	
85 AKH-703	संजय महेश्वरी / एखण्ड	अनुदान देने बाबत।	जीआरए द्वारा स्वीकृत पुनर्वास नीति की कांडिका 1 की स्वीकृत राशि 9350/- का भुगतान किया गया।	जीआरए प्रकरण क्र. 6. 28635 आदेश दिनांक 6.09 द्वारा कांडिका 6.09 का भुगतान किया गया।	परिवार सूची में नाम दर्ज 1. नहीं है। आवेदक का ग्राम 6. में निवास नहीं है। अतः जीआरए द्वारा कांडिका 6.1 की राशि मान्य की गई जिसका भुगतान किया जा चुका है। अन्य कोई पात्रता नहीं है आवेदन निरस्त योग्य है।	आवेदक का ग्राम की अंतिम	

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : एखण्ड			आवेदन पत्र का प्रकार :	7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत			
86	AKH-31/3	सुन्दरबाई / डोगरजी / एखण्ड	लड़कों को अनुदान नहीं मिला।	---	---	आवेदिका द्वारा केवल (1) मतदाता सूची, (2)राशनकार्ड, (3)धारा-12 का सूचनापत्र की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है। आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। मतदाता सूची पर लड़कों को अनुदान नहीं मिला है, यह लिखकर प्रस्तुत किया गया है। आवेदिका का नाम अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में अंकित नहीं है। अतः आवेदन निरस्त योग्य है।	
87	AKH-705	सुमित / सुभाषचंद्र / एखण्ड	खातेदार वयस्क पुत्र होने के नाते कृषि भूमि आवंटन के संबंध में।	आवेदक के पिता के नाम कृषिभूमि गणना क्र.161 मुआवजा राशि 1075318/- है जो भुगतान की गई है।	---	आवेदक खातेदार का वयस्क पुत्र होने के नाते कृषिभूमि आवंटन की पात्र नहीं है। आवेदन निरस्त योग्य है।	
88	AKH-31	राधेश्याम / रघुनाथ / एखण्ड	अनुदान दिलवाने बाबत	---	जी.आर.ए. प्रकरण क्र. 21507 दि. 17.06.09, 21510 दि.13.10.08 एवं 21511 दि 13.10.08 द्वारा अमान्य।	जीआरए द्वारा प्रकरण अमान्य किया गया जा चुका है। अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में नाम दर्ज नहीं होने से पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं है। अतः आवेदनपत्र निरस्त योग्य है।	

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**दूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

89	AKH-707	सुभाषचंद्र / सूरजमल / एखण्ड	पुनर्वास अनुदान देने बाबत।	ग्राम एखण्ड में निजीभूमि मुआवजा गणना पत्रक क्र.161 की निर्धारित की गई राशि 1077318/- भुगतान की गई।	जीआरए प्रकरण क्र. 27599 आदेश दिनांक 5. 1.09 द्वारा अमान्य।	आवेदक का मा.जीआरए द्वारा पुनर्वास अनुदान हेतु प्रकरण अमान्य किया जा चुका है। अतः प्रकरण निरस्त योग्य है।
90	AKH-83	मनोज / भाईराम / एखण्ड	विस्थापित परिवार के सदस्यों को मकान मुआवजा व अनुदान राशि एवं प्लाट प्रदान करने बाबत।	पिता को पुनर्वास अनुदान गणना क्र.219 राशि 29700/- का भुगतान किया गया। परिवहन राशि 5000/- विस्थापित होने पर देय होगी।	जीआरए प्रकरण क्र. 27975 आदेश दिनांक 10.06.09 द्वारा अमान्य।	अतिम परिवार सूची में आवेदक का नाम पिता के साथ दर्ज है आयु 15 वर्ष। जीआर द्वारा अमान्य किया गया।
91	AKH-34	भगवानदास / स्वरूपचंद / निवासी सनावद	जमीन, प्लाट, बालिग बच्चों को अनुदान प्लाट व रोजगार	जीआरए प्रकरण क्र.29692 आदेश दिनांक 13.05.09 द्वारा कंडिका 6.1 की राशि रु. 9350/- भुगतान की गई।	जी.आर.ए. प्रकरण क्र. 29692 दि. 13.05.09 द्वारा कंडिका 6.1 की राशि 9350/- मान्य।	आवेदक का ग्राम में निवास नहीं। मकान नहीं है। केवल कृषिभूमि होने से जीआरए द्वारा कंडिका 6.1 की राशि स्वीकृत कर भुगतान की गई है। भूखंड की पात्रता नहीं है, व जमीन के लिए आवेदन जीआरए में प्रस्तुत कर सकते हैं। अतः आवेदन निरस्त योग्य है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**दूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

92	AKH-1	कैलाशभारती / श्री पंचायत महानिर्वाणी / एखण्ड	अनुदान व भूखंड प्लाट नहीं मिला	ग्राम एखण्ड में स्थित कृषिभूमि खाता क्र.49, 67, 71, 170, 184, 185 की कुल मुआवजा राशि रु. 1,15,82,863/- एवं विशेष पुनर्वास अनुदान राशि रु. 67,184/- आबादीभूमि खाता क्र. 52, 314 की मुआवजा राशि रु. 87,76,916/- का भुगतान श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी संस्थान एखण्ड के नाम से किया गया है।	—	अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में अखाड़े से संबंधित कोई नाम नहीं होने से पुनर्वास अनुदान एवं भूखंड नहीं दिया गया। अतः आवेदन निरस्त योग्य प्रतीत होता है।
93	AKH-5	रामचन्द्र / तुकाराम अनुदान राशि देने / एखण्ड	अनुदान राशि देने बाबत्।	आवेदक का मकान अर्जन किया गया है। जिसका निर्धारित मुआवजा 4,08,540/- भुगतान किया जा चुका है।	जी.आर.ए. प्रकरण क्र. 21500 दि. 16.06.09 द्वारा अमान्य।	आवेदक का शिकायत निवारण प्राधिकरण भोपाल से आवेदन अमान्य होने के कारण प्रस्तुत आवेदन निरस्त योग्य है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : एखण्ड			आवेदन पत्र का प्रकार :	7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत			
94	AKH-3	जगदीश / देवराम / एखण्ड	अनुदान राशि मिलने हेतु	आवेदक का मकान अर्जन किया गया है। जिसका निर्धारित मुआवजा 1,08,990/- भुगतान किया जा चुका है।	जी.आर.ए. प्रकरण क्र. 15833 दि. 27.07.08 एवं 15821 आदेश दिनांक 27.10.06 द्वारा अमान्य। जीआरए के आदेश दिनांक 27.10.06 के अनुसार म.प्र. शासन न.घा.वि.विभाग के आदेश क्रं.	आवेदक का नाम ग्राम की मतदाता सूची वर्ष 2003 में क्र.585 पर दर्ज है। जीआर द्वारा आवेदक का आवेदन अमान्य किया गया है। अतः आवेदक उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। आवेदन नस्तीबद्ध योग्य है।	
95	AKH-50	ठाकुर / परसरामजी / एखंड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक के पिता को पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 224 पर रु. 43700/- का भुगतान किया गया है।	जीआरए प्रकरण क्र. 15830 आ.दि. 29.03.07 द्वारा अमान्य।	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची में पिता के साथ क्र. 141 पर दर्ज होकर आयु 17 वर्ष दर्ज है। अवयस्क होने से अनुदान की पात्रता नहीं है। जीआरए द्वारा भी आवेदन अमान्य किया गया है।	

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

96	AKH-47	लोकेन / दयाराम / एखण्ड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक के पिता को पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 142 पर रु. 14350/- का भुगतान किया गया है तथा भूखंड (इनपुन-ए. 199) भी दिया गया है।	जीआरए प्रकरण क्र. 21501 में आ.दि. 15.06. 09 व 26.10.09 द्वारा अमान्य।	आवेदक का नाम ग्राम की सूची में पिता के साथ क्र. 87 पर दर्ज होकर आयु 17 वर्ष दर्ज है। अवयस्क होने से अनुदान की पात्रता नहीं है। जीआरए द्वारा भी आवेदन अमान्य किया गया है।
97	AKH-704	संगीता / शैलेन्द्र / एखण्ड	पुनर्वास अनुदान देने बाबत।	आवेदक को ग्राम एखण्ड संशोधित एफआरएल मुआवजा गणना पत्रक क्र.32 पर भूमि की मुआवजा राशि रु. 166445/- निर्धारित कर भुगतान की गई।	--	ग्राम की अंतिम परिवार सूची में आवेदिका का नाम दर्ज नहीं है। आवेदिका का ग्राम में निवास नहीं होने से अनुदान की पात्रता नहीं है।
98	AKH-43	ठाकुर / मांगीलाल / एखण्ड	अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक के पिता को आबादी गणना पत्रक क्र.250 पर मकान की मुआवजा राशि रु. 1,03,545 भुगतान की गई।	जीआरए प्रकरण क्र. 21628 आदेश दिनांक 03.09.2008 अमान्य।	जीआरए द्वारा आवेदक का प्रकरण अमान्य किया जा चुका है, अतः प्रकरण निरस्ती योग्य है।
99	AKH-637	चम्पालाल / कालू / एखण्ड	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) व (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	ग्राम एखण्ड में आबादी मकान का मुआवजा गणना पत्रक क्र.341 की निर्धारित की गई राशि 28903/- भुगतान की गई।	जीआरए प्रकरण क्र. 27524 आदेश दिनांक 01.06.09 द्वारा अमान्य।	आवेदक का जीआरए द्वारा प्रकरण अमान्य किया जा चुका है। अतः अनुदान की पात्रता नहीं है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

100	AKH-677	दिनेश / जयराम / एखण्ड	अनुदान व प्लाट देने बाबत।	आवेदक के पिता को पुनर्वास अनुदान बीडब्ल्यूएल गणना क्र.9 राशि 62500/- का भुगतान किया गया। परिवहन राशि 5000/- विस्थापित होने पर देय होगी।	जीआरए प्रकरण क्र. 21867 आदेश दिनांक 12.06.09 द्वारा अमान्य किया गया भुगतान किया गया। परिवहन राशि 5000/- विस्थापित होने पर देय होगी।	आवेदक का प्रकरण 21867 आदेश दिनांक जीआरए द्वारा अमान्य किया गया है। अतः प्रकरण निरस्त योग्य है।
101	AKH-678	जयराम / सुखराम / एखण्ड	भूमिहिन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	पुनर्वास अनुदान बीडब्ल्यूएल गणना क्र.9 राशि 62500/- का भुगतान किया गया। परिवहन राशि 5000/- विस्थापित होने पर देय होगी।	--	आवेदक को व्यवसाय अन्य मजदूर रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है। आवेदन निरस्त योग्य है।
102	AKH-679	जयराम / सुखलाल / एखण्ड	अनुदान भूखण्ड देने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान बीडब्ल्यूएल गणना क्र. 9 राशि 62500/- का भुगतान किया गया। परिवहन राशि 5000/- विस्थापित होने पर देय होगी।	--	आवेदक को व्यवसाय अन्य मजदूर के मान से पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है एवं भूखण्ड के बदले नगद राशि भुगतान की जा चुकी है। अतः भूखण्ड की पात्रता नहीं है।
103	AKH-680	जितेन्द्र / जयराम / एखण्ड	पुनर्वास अनुदान देने बाबत।	आवेदक के पिता को पुनर्वास अनुदान बीडब्ल्यूएल गणना क्र.9 राशि 62500/- का भुगतान किया गया। परिवहन राशि 5000/- विस्थापित होने पर देय होगी।	जीआरए प्रकरण क्र. 21864 आदेश दिनांक 13.11.09 द्वारा अमान्य। से अनुदान की पात्रता नहीं है।	आवेदक का प्रकरण जीआरए द्वारा अमान्य होने से अनुदान की पात्रता नहीं है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

<b>ग्राम का नाम : एखण्ड</b>		<b>आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत</b>					
104	AKH-681 मंशाराम / कन्हैया / एखण्ड	जमीन अधिग्रहण बाबत 25 प्रतिशत से कम।	ग्राम एखण्ड में निजीभूमि मुआवजा गणना पत्रक क्र.52 की निर्धारित की गई राशि 704482/- भुगतान की गई।	—	आवेदक की अगर भूमि 25 प्रतिशत से कम बची है तो आवेदक की सहमति से अर्जन किया जा सकेगा।		
105	AKH-683 भागवतीबाई / मांगीलाल / एखण्ड अनुदान देने बाबत।	भूमिहिन के रूप में पुनर्वास अनुदान की राशि 68000/- का भुगतान किया गया। परिवहन राशि 5000/- विस्थापित होने पर देय होगी। पुनर्वास स्थल इनपुन- ।।। भूखण्ड क्र.1125 आवंटित किया गया है।	जीआरए द्वारा स्वीकृत पुनर्वास अनुदान की राशि 68000/- का भुगतान किया गया। परिवहन राशि 5000/- विस्थापित होने पर देय होगी। पुनर्वास स्थल इनपुन- ।।। भूखण्ड क्र.1125 आवंटित किया गया है।	मा.जीआरए के प्र.क्र. 21469 आदेश दि.16.06. 09 द्वारा मान्य।	21469 आदेश दि.16.06. 09 द्वारा मान्य।	आवेदिका को व्यवसाय भूमिहिन के मान से पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है। आवेदन निरस्त योग्य है।	
106	AKH-32 बबीता / गेंदालाल / एखण्ड	राशि 20000 जमा की गई है। अभी तक प्लाट नहीं मिला है।	जीआरए आदेश प्रकरण क्र. 21483 दि.19.08.08 मान्य स्वीकृत राशि रु.67,500/- भुगतान की गई राशि 65,500/- भुगतान की जा चुकी है, शेष परिवहन राशि विस्थापन होने पर भुगतान की जावेगी।	जी.आर.ए. प्रकरण क्र. 21483 दि. 19.08.08 द्वारा मान्य।	जी.आर.ए. प्रकरण क्र. 21483 दि. 19.08.08 द्वारा मान्य।	आवेदक द्वारा भूखण्ड की राशि रूपये 20,000/- डी.डी.द्वारा जमा है। आवेदन स्वीकार योग्य है।	

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
----	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

107 AKH-685	भगवान / बटुकनारायण / एखण्ड	भूखण्ड आवंटन बाबत	पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र.136 राशि 9350/- का भुगतान किया गया। परिवहन राशि 5000/- विस्थापित होने पर देय होगी। भूखण्ड की राशि 20000/-जमा। भूखण्ड देना शेष है।	--	आवेदक की भूखण्ड राशि 20000/- जमा है। आवेदक को कमाण्ड क्षेत्र में भूखण्ड आवंटित की सूचना दी गई थी लेकिन आवेदक ने पुनर्वास सिल इनपुन में भूखण्ड की मांग की है। अतः इनपुन में भूखण्ड रिक्त नहीं होने से आवेदक की सहमति के आधार पर अन्य पुनर्वास सिल पर भूखण्ड आवंटित किया जा सकेगा।
-------------	----------------------------------	----------------------	--	----	---

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**दूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

108	AKH-7	उदयसिंह / सुखराम / एखण्ड	मकान का मुआवजा कम मिलने एवं अनदान राशि नहीं मिलने बाबत	आवेदक का मकान (टप्पर) अर्जन किया जाकर निर्धारित मुआवजा राशि रु. 12,351/- भुगतान की गई है।	जी.आर.ए. प्रकरण क्र. 21602 दि. 16.06.09 द्वारा अमान्य।	आवेदक का नाम ग्राम एखण्ड की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची एवं मतदाता सूची में नाम नहीं होने के कारण अनुदान राशि स्वीकृत नहीं की गई। आवेदक का मकान कार्यपालन यंत्री न.वि.सं.क्र. 32 बड़वाह ने वर्तमान सीएसआर के आधार पर मूल्यांकन किया गया। यदि आवेदक मुआवजा राशि से असंतुष्ट था, तो उसे सक्षम न्यायालय में रिफ्रेन्स याचिका प्रस्तुत करना था। इस कार्यालय द्वारा कोई कार्यवाही शेष नहीं है। अतः आवेदन निरस्त योग्य है।
-----	-------	--------------------------	--	---	--	---

109	AKH-689	पूना / बाल्या / एखण्ड	भूमिहिन के रूप में अनुदान देने बाबत।	पुनर्वास अनुदान गणना क्र. 247 राशि 43700/- का भुगतान किया गया। ग्राम एखण्ड में निजीभूमि मुआवजा गणना पत्रक क्र.113 की निर्धारित की गई राशि 195250/- का भुगतान किया गया।	जीआरए प्रकरण क्र. 16267 एवं 16268 आदेश दिनांक 18.05.07 द्वारा आंशिक मान्य।	आवेदक को जीआरए द्वारा आंशिक मान्य अनुसार छोटे आदेश दिनांक 18.05.07 द्वारा आंशिक मान्य। दिया गया है। अतः आवेदन अस्वीकार योग्य है।
-----	---------	-----------------------	--------------------------------------	--	--	--

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

110 AKH-690	प्रेमलाल / बाल्या / एखण्ड	भूमिहिन के रूप में अनुदान देने बाबत।	आवेदक की मां के नाम निजी भूमि गणना पत्रक क्र. 113 में भूमि का मुआवजा 195250/- दिया गया है। एवं पुनर्वास अनुदान गणना क्र. 207 राशि 43700/- का भुगतान किया गया।	जीआरए प्र.क्र.16267 व 16268 आदेश दिनांक 18.05.07 द्वारा आंशिक मान्य।	आवेदक को जाआरए द्वारा स्वीकृत छोटे कृषक के रूप में अनुदान दिया गया है। अतः आवेदन निरस्त योग्य है।
-------------	---------------------------	--------------------------------------	---	--	---

111 AKH-692	मांगीबाई / चैनसिंह / एखण्ड	पुनर्वास नीति की कंडिका 3.3 के अनुसार अतिक्रमण जमीन के बदले जमीन देने बाबत।	--	--	आवेदक का मकान प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री न.वि.स.क्र.32 बड़वाह द्वारा प्रस्तुत भू-र्जन प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं किया गया था तथा मकान भू-र्जन अधिनियम की धारा 4 (1) की अधिसूचना प्रकाशन के पश्चात बना होने के कारण सम्मिलित नहीं किया गया। अतः प्रस्तुत आवेदन निरस्ती योग्य है।
-------------	----------------------------	---	----	----	---

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

112	AKH-693	खुशालीबाई / गोपाल / एखण्ड	भूमिहिन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	ग्राम एखण्ड में आबादीभूमि में मकान मुआवजा गणना पत्रक क्र.202 की निर्धारित की गई राशि 87769/- भुगतान की गई। पुनर्वास अनुदान गणना क्र.197 राशि 71850/- का भुगतान किया गया। परिवहन राशि 5000/- विस्थापित होने पर देय होगी।	--	आवेदक को पुनर्वास अनुदान नियमानुसार समस्त लाभ दिया जा चुका है।
113	AKH-694	दशरथ / चैन्या / एखण्ड	परिवार सूची में पुनवास नीति की धारा 1 (अ) 1 (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	ग्राम एखण्ड में आबादी भूमि में मकान मुआवजा गणना पत्रक क्र.266 की निर्धारित की गई राशि 23152/- भुगतान की गई।	जीआरए प्रकरण क्र. 21518 आदेश दिनांक 03.09.08 द्वारा अमान्य।	जीआरए द्वारा अमान्य।
114	AKH-25	तुलसीराम / देवचंद / एखण्ड	मकान का मुआवजा अनुदान एवं प्लाट आवटित करने बाबत	मकान का मुआवजा 52,671/- प्रदाय किया गया है।	जी.आर.ए. प्रकरण क्र. 21684 ओदश दि. 16. 06.09, 16.11.09 द्वारा अमान्य।	आवेदक का अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में नाम दर्ज नहीं हैं, नाहीं मतदाता सूची में नाम दर्ज है। आवेदक का प्रकरण जीआरए द्वारा अमान्य किया जा चुका है। अतः आवेदन निरस्त योग्य है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**दूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

115	AKH-26 रेवाराम / बाबू / एखण्ड	मकान का मुआवजा अनुदान एवं प्लाट आवंटित करने बाबत राशि रु.43700/- भुगतान की जा चुकी है।	जीआरए आदेश प्रकरण क्र. 16277 दि.18.05.07 द्वारा राशि रु.43700/- चौकीदार रेवाराम पिता बाबू को दी गई, एवं पुत्र को 93,000/- भुगतान की जा चुकी है।	जी.आर.ए. प्रकरण क्र. 16277 दि. 18.05.07 द्वारा मान्य।	आवेदक व उसके पुत्र को अनुदान राशि दी जा चुकी है। शेष पुत्र धारा-4(1) के प्रकाशन दिनांक 17.10.2003 की स्थिति में अवयस्क है। अतः जीआरए द्वारा प्रकरण होने से आवेदन निरस्त योग्य है।
116	AKH-27 महेन्द्र / विक्रम / एखण्ड	अनुदान एवं प्लाट आवंटित करने बाबत।	मकान का मुआवजा 1,23,319/- प्रदाय किया गया है।	जी.आर.ए. प्रकरण क्र. 21452 आदेश दि. 15. 06.09, 27.10.09 द्वारा अमान्य।	अंतिम प्रकाशित परिवार सूची क्र.98 पर नाम दर्ज होकर आयु 18 वर्ष अंकित है। पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र.165 पर राशि रूपये 34,350/- स्वीकृत की गई थी। बाद में उप्र कम होने के कारण राशि निरस्त की गई है। मतदाता सूची 2003 की सूची क्र.419 पर नाम दर्ज है। अतः आवेदनपत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।
117	AKH-684 खुमसिंह / चमारया / एखण्ड	भूमिहिन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुप्ये विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	पुनर्वास अनुदान गणना क्र. 319 राशि 71850/- का भुगतान किया गया। परिवहन राशि 5000/- विस्थापित होने पर देय होगी।	--	आवेदक को अन्य मजदूरी मान से पुनर्वास नीति की सभी कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : एखण्ड		आवेदन पत्र का प्रकार :		7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत			
118	AKH-19 देवराम / मोतीराम / एखण्ड	प्लाट आवंटित करने बाबत	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र.290 पर कंडिका 6.1, 7.1 एवं 6.3 की राशि 34350/- स्वीकृत की गई है, 29,350/- का भुगतान किया जा चुका है शेष परिवहन राशि 5000/- का भुगतान विस्थापन होने पर किया जावेगा।	जी.आर.ए. प्रकरण क्र. 21872 आदेश दिनांक 08.10.08 द्वारा अमान्य। ग्राम बिराली तहसील बड़वाह में पिता के नाम से 6.00 एकड़ भूमि है, जिसमें आवेदक का हिस्सा है। अतः पुनर्वास अनुदान कृषि व्यवसाय के मान से दिया गया है।	कृषि व्यवसाय के अनुसार पुनर्वास अनुदान राशि स्वीकृत की गई। अतः आवेदन निरस्त योग्य है।		
119	AKH-2 रोहित / अवधेश सक्सैना / एखण्ड	अनुदान व भूखंड प्लाट नहीं मिला	आवेदक का शासकीय भूमि में मकान अर्जन से छोड़ दिया गया। जीआरए से अमान्य होने के बाद माननीय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 जिला खण्डवा म.प्र. के व्यवहार वाद क्र. 106ए/08, निर्णय दिनांक 30.11.2009 के परिपालन में आवेदक का मकान का अर्जन कर मुआवजा राशि रु.11,733/- निर्धारित कर भुगतान की गई।	जी.आर.ए. प्रकरण क्र. 15717 दि.28.10.06 द्वारा अमान्य।	आवेदक का शासकीय भूमि के अवार्ड में मकान अर्जन से छोड़ दिया गया था। जीआरए से अमान्य होने के बाद माननीय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 जिला खण्डवा म.प्र.व्यवहारवाद क्र. 106ए/08 निर्णय दिनांक 30.11.09 के परिपालन में आवेदक के मकान का अर्जन कर मुआवजा राशि निर्धारित कर आवेदक को भुगतान किया गया। अतः आवेदन निरस्ती योग्य है।		

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

120	AKH-409	सुबेत / बुदल / एखण्ड	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	—	—	आवेदक का नाम अंतिम परिवार सूची में नहीं होने से एवं आवेदक की कोई संपत्ति का अज्ञन नहीं किये जाने पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं है।
-----	---------	----------------------	---	---	---	--

121	AKH-12	रविन्द्र / कमलचंद / एखण्ड	अनुदान राशि देने बाबत्।	आवेदक का मकान अर्जन किया जाकर निर्धारित मुआवजा राशि रु. 2,34,393/- का भुगतान किया जा चुका है।	जी.आर.ए. प्रकरण क्र. 21495 आदेश दि. 11. 08.08 द्वारा अमान्य।	आवेदक का नाम अंतिम प्रकाशित परिवार सूची क्र. 19 पर आयु 17 वर्ष दर्ज है। जीआरए द्वारा आवेदन अमान्य होने से निरस्ती योग्य है।
-----	--------	---------------------------	-------------------------	---	--	---

122	AKH-13	गंगाधर / मंशाराम / एखण्ड	अनुदान एवं प्लाट मिलने बाबत्	आवेदक का मकान अर्जन किया जाकर निर्धारित मुआवजा राशि रु. 76,596/- का भुगतान किया जा चुका है।	जी.आर.ए. प्रकरण क्र. 21781 आदेश दि. 15. 06.09 द्वारा अमान्य।	आवेदक का नाम अंतिम प्रकाशित परिवार सूची क्र. 34 पर आयु 17 वर्ष दर्ज है। पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं होने से आवेदन निरस्त योग्य है।
-----	--------	--------------------------	------------------------------	---	--	--

123	AKH-15	नरसिंग / देवराम / एखण्ड	अनुदान राशि एवं प्लाट आवंटित करने बाबत्	—	जी.आर.ए. प्रकरण क्र. 21698 दि. 18.07.08 द्वारा अमान्य।	अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में नाम दर्ज नहीं होने से पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं है। जीआरए अनुसार अमान्य होने से आवेदनपत्र निरस्त योग्य प्रतीत होता है।
-----	--------	-------------------------	---	---	--	---

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

124	AKH-16	शांताबाई / देवराम / एखण्ड	अनुदान राशि एवं प्लाट आवंटित करने बाबत	जी.आर.ए. प्रकरण क्र. 21575 आदेश दि. 12.06. 09 द्वारा अमान्य।	अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में आवेदिका का नाम दर्ज नहीं है। जीआरए द्वारा प्रकरण अमान्य होने से आवेदनपत्र निरस्त योग्य है।	
125	AKH-17	शांताबाई / मांगीलाल / एखण्ड	अनुदान राशि एवं प्लाट आवंटित करने बाबत	---	अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में आवेदिका का नाम दर्ज नहीं है। नाही मतदाता सूची में नाम दर्ज है। अतः आवेदन निरस्त योग्य है।	
126	AKH-411	जगदीश / बाबू / एखण्ड	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत	आवेदक को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 253 पर मकान व भूखंड की मुआवजा राशि रु. 60840/- भुगतान की गई है तथा पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 309 पर पुनर्वास अनुदान राशि रु. 62500 भुगतान की गई है।	---	पात्रानुसार पुनर्वास नीति की पुनर्वास अनुदान के नियमानुसार समस्त लाभ दिया गया है।
127	AKH-53	गजानंद / लक्ष्मण / एखण्ड	भूमिहीन परिवार के रूप में 2.5 लाख रु. विशेष अनुदान दिये जाने बाबत	आवेदक को पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 262 पर रु. 47500/- का भुगतान किया गया है तथा पुनर्वास स्थल छेगांवमाखन पर भूखंड क्र. 80 आवंटित किया गया है।	---	आवेदक को अन्य मजदूर के मान से पुनर्वास अनुदान की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है। अब अनुदान की कोई पात्रता नहीं है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**      **आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

128	AKH-412	सुभानसिंह / देवेसिंग / एखण्ड	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	--	जीआरए प्रकरण क्रमांक 21516 आदेश दिनांक 13.05.09 के द्वारा अमान्य किया गया।	जीआरए द्वारा अमान्य किया गया।
129	AKH-57	बाबू / लक्ष्मण / एखंड	भूमिहीन परिवार के रूप में 2.5 लाख रु0 विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदक को पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 252 पर रु. 76850/- का भुगतान किया गया है।	--	आवेदक को अन्य मजदूर के मान से पुनर्वास अनुदान की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है। अब अनुदान की कोई पात्रता नहीं है।
130	AKH-60	जगदीश / देवराम / एखंड	भूमिहीन परिवार के रूप में 2.5 लाख रु0 विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदक को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 205 पर मकान व भूखंड की मुआवजा राषि रु. 108990/-भुगतान की गई है।	जीआरए प्रकरण क्र. 15833, 21659 आ.दि. 21.07.08 द्वारा पुनर्वास अनुदान हेतु अमान्य।	आवेदक का नाम ग्राम की परिवार सूची में दर्ज नहीं है। जीआरए द्वारा भी पुनर्वास अनुदान हेतु अमान्य किया गया है। अतः अनुदान की पात्रता नहीं है।
131	AKH-62	संजय / बाबू / एखंड	भूमिहीन परिवार के रूप में 2.5 लाख रु0 विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदक को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 268 पर टप्पर भूखंड की मुआवजा राषि रु. 29609/- भुगतान की गई है।	जीआरए प्रकरण क्र. 21696 आ.दि. 18.07.08 द्वारा पुनर्वास अनुदान हेतु अमान्य।	आवेदक का नाम ग्राम की परिवार सूची में दर्ज नहीं है। जीआरए द्वारा भी पुनर्वास अनुदान हेतु अमान्य किया गया है। अतः अनुदान हेतु पात्र नहीं है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र	पंजी. क्र	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
-----	--------------	--	---------------	--	---	--	------------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :**

**7**

**पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

132 AKH-20 मेवाबाई / ऐडू / अनुदान एवं प्लाट एखण्ड मिलने बाबत	—	आवेदिका के पति का जी.आर.ए. प्रकरण क्र. 21761 दिनांक 15.06. 09, 29.10.09 द्वारा अमान्य।
133 AKH-87 सीताबाई / देवराम/सीताराम अनुदान राशि व भूखंड मिलने बाबत।	आवेदिका के पिता देवराम को पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 50 पर रु. 14350/- का भुगतान किया गया है तथा पुनर्वास स्थल इनपुन पर भूखंड क्र. सी-240 आवंटित किया गया है।	—
134 AKH-88 अनिताबाई / कालूराम / एखण्ड अनुदान राशि व भूखंड मिलनब बाबत।	आवेदिका को पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 73 पर रु. 14350/- का भुगतान किया गया है तथा पुनर्वास सिल इनपुन पर भूखंड क्र. ए-226 आवंटित किया गया है।	जीआरए प्रकरण क्र. 15914 आ.दि. 05.06.07 द्वारा आवेदिका के पिता का आवेदन अमान्य।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

135	AKH-98	दत्तात्रेय / राजाराम / एखण्ड	अनुदान राशि व भूखंड मिलने बाबत।	आवेदक को एफआरएल कृषि ग.प.क्र. 214 पर मकान की मुआवजा राशि रु. 67743/- का भुगतान किया गया है।	जीआरए प्रकरण क्र. 15910 आ.दि. 03.10.07 द्वारा अमान्य।	आवेदक का नाम ग्राम की परिवार सूची में दर्ज नहीं है। जीआरए द्वारा भी पुनर्वास अनुदान हेतु अमान्य किया गया है। अतः अनुदान हेतु पात्र नहीं है।
136	AKH-21	शंकर / तुलसीराम / एखण्ड	अनुदान एवं प्लाट मिलने बाबत	आवेदक के मकान का मुआवजा रूपये 1,23,528/- भुगतान किया जा चुका है।	जी.आर.ए. प्रकरण क्र. 17252 आदेश दिनांक 05.12.08 द्वारा अमान्य।	आवेदक का अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में नाम दर्ज नहीं है। मतदाता परिवर्धन सूची 2004 के क्रमांक 921 पर नाम दर्ज हैं। जीआरए द्वारा प्रकरण अमान्य किया जा चुका हैं, अतः आवेदन निरस्त योग्य है।
137	AKH-18	चेतराम / रमेशचंद्र / एखण्ड	अनुदान राशि एवं प्लाट आवंटित करने बाबत	जी.आर.ए. प्रकरण क्र. 15872 दि. 20.04.07 द्वारा अमान्य।	अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में आवेदक का नाम दर्ज नहीं है। मतदाता परिवर्धन सूची 2004 में क्रमांक 884 पर नाम दर्ज है। अतः आवेदन निरस्त योग्य है।	

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : एखण्ड			आवेदन पत्र का प्रकार :	7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत			
138	AKH-301	रविन्द्र / कमलचंद / एखंड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक के पिता को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 46 पर मकान व भूखंड की मुआवजा राशि रु. 234343/- भुगतान की गई है। आवेदक की माता व भाईयों को पात्रतानुसार पुनर्वास अनुदान दिया गया है।	जीआरए प्रकरण क्र. 21495 आ.दि. 11.08. 08, 16.06.09 व 27.10. 09 द्वारा अमान्य।	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची में माता कलाबाई के साथ क्र. 19 पर दर्ज होकर आयु 17 वर्ष दर्ज है। अवयस्क होने से अनुदान की पात्रता नहीं है। जीआरए द्वारा भी आवेदन अमान्य किया गया है।	
139	AKH-51	सुरेश / परसराम / एखंड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 224 पर रु. 43700/- का भुगतान किया गया है।	--	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची में पिता के साथ क्र. 141 पर दर्ज होकर आयु 13 वर्ष दर्ज है। अवयस्क होने से अनुदान की पात्रता नहीं है।	
140	AKH-8	बक्तावरसिंह / भारतसिंह / एखण्ड	अनुदान नहीं मिलने बाबत।	आवेदक के मकान का अर्जन किया जाकर निर्धारित मुआवजा राशि रुपये 53,709/- का भुगतान किया जा चुका है।	जी.आर.ए. प्रकरण क्र. 16331 दि. 16.05.07, 21537 दि. 18.08.08 द्वारा अमान्य।	अंतिम प्रकाशित परिवार सूची क्र. 179 पर आयु 17 वर्ष दर्ज होने से पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं है। आवेदन निरस्त योग्य है।	

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**दूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

141	AKH-9	पूनाजी / मोतीराम / एखण्ड	अनुदान राशि एवं प्लाट आवंटित करने बाबत	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र.289 पर कंडिका 6.1, 7.1 एवं 6.3 की राशि 34350/- स्वीकृत की गई है, 29,350/- का भुगतान किया जा चुका है शेष परिवहन राशि 5000/- का भुगतान विस्थापन होने पर किया जावेगा।	जी.आर.ए. प्रकरण क्र. 21873 आदेश दि.13.11.09 द्वारा अमान्य।	कृषि व्यवसाय के अनुसार पुनर्वास अनुदान राशि स्वीकृत की गई। भूखण्ड की राशि का भुगतान किया जा चुका है। अतः आवेदन निरस्त योग्य छें
142	AKH-11	भगवान / नानाजी / एखण्ड	मकान का मुआवजा, अनुदान एवं प्लाट दिलाने बाबत	आबादी अवार्ड में गणना क्रमांक 246 मकान का निर्धारित मुआवजा रु. 19,449/- बैंक सेवा सहकारी समिति घोगलगांव चेक क्र.406286 दिनांक 22.06.06 द्वारा भुगतान किया जा चुका है।	जी.आर.ए. प्रकरण क्र. 15827 दि. 28.10.06 द्वारा अमान्य।	अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में आवेदक का नाम नहीं होने से पुनर्वास अनुदान एवं भूखण्ड की पात्रता नहीं है। आवेदन निरस्ती योग्य है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क0	पंजी. क0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
----	-------------	--	---------------	--	---	--	------------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :**

**7**

**पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

143 AKH-309 रंगशोभाबाई / रमेशसिंह / एखण्ड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत।	—	जीआरए प्रकरण क्र. 21631 आ.दि. 14.01.09 द्वारा अमान्य।	आवेदिका को आवेदन अपूर्ण है। आवेदन के साथ कोई भी दस्तावेज संलग्न नहीं है। आवेदिका के आवेदन अनुसार अभिलेखों का अवलोकन किया गया। आवेदिका के नाम से कोई भी संपत्ति का अर्जन नहीं किया गया है। आवेदिका का नाम परिवार सूची में दर्ज नहीं है। जीआरए द्वारा भी आवेदन अमान्य किया गया है।		
144 AKH-307 कोरजी / दल्लू / एखण्ड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक के भाई सुखलाल को एफआरएल आबादी ग.प. क्र. 222 पर मकान व भूखंड की मुआवजा राशि रु. 55710/- भुगतान की गई है।	जीआरए प्रकरण क्र. 21680 आ.दि. 16.07. 08, 16.06.09 व 27.10. 09 द्वारा अमान्य।	आवेदक के नाम से ग्राम में कोई भी संपत्ति का अधिग्रहण नहीं किया गया है और न ही उसका नाम ग्राम की परिवार सूची में दर्ज नहीं है। जीआरए द्वारा भी पुनर्वास अनुदान हेतु अमान्य किया गया है। अतः अनुदान हेतु पात्र नहीं है।		

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**दूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : एखण्ड		आवेदन पत्र का प्रकार :		7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत			
145	AKH-306 धनाजी / भीकाजी / एखण्ड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक को संयुक्त खाते में एफआरएल कृषि ग.प.क्र. 135 पर मकान व भूखंड की मुआवजा राशि रु. 26873/- भुगतान की गई है। इसके अतिरिक्त जीआरए द्वारा स्वीकृत कंडिका 6.1 की राशि 9350/- चैक क्र. 42765 दि. 27.12.09 द्वारा दी गई है।	जीआरए द्वारा प्रकरण क्र. 28588 में आदेश दिनांक 01.06.09 द्वारा मान्य आदेश का पालन किया गया है।	आवेदक का नाम परिवार सूची में दर्ज नहीं है। जीआरए द्वारा स्वीकृत कंडिका 6.1 की राशि का भुगतान किया जा चुका है।		
146	AKH-410 गोविन्द / देवराम / एखण्ड	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को जीआरए प्रकरण क्रमांक 21697 आदेश दिनांक 15.06.09 के पालन में पुनर्वास अनुदान राशि रु. 68000 भुगतान की गई है। पुनर्वास स्थल एखण्ड पर भूखंड क्र. 70 आवंटित किया गया है। परिवहन राशि 5000 का भुगतान विस्थापन उपरात किया जावेंगा।	आवेदक को जीआरए प्रकरण क्रमांक 21697 आदेश दिनांक 15.06.09 के अनुसार मान्य।	पात्रतानुसार पुनर्वास नीति की पुनर्वास अनुदान के नियमानुसार समस्त लाभ दिया गया है।		
147	AKH-302 सोनू / छीतर / एखण्ड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत। राशि रु. 16897/- भुगतान की गई है।	आवेदक को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 326 पर मकान व भूखंड की मुआवजा राशि रु. 16897/- भुगतान की गई है।	जीआरए प्रकरण क्र. 21780 आ. दि. 18.08. 08 व प्रकरण क्र. 16690 आ.दि. 10.05.07 द्वारा अमान्य।	आवेदक का नाम ग्राम की परिवार सूची में दर्ज नहीं है। जीआरए द्वारा भी पुनर्वास अनुदान हेतु अमान्य किया गया है। अतः अनुदान हेतु पात्र नहीं है।		

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**दूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : एखण्ड			आवेदन पत्र का प्रकार :	7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत			
148 AKH-45	हीरालाल / तुकाराम / एखंड	अनुदान एवं भूखंड मिलने बाबत।	आवेदक को आबादी ग.प.क्र. 313 पर मकान व भूखंड की राशि 317072 तथा जीआरए द्वारा स्वीकृत पुनर्वास अनुदान मान्य आदेश का पालन राशि 14350 व इनपुन- ।।। पर भूखंड क्र.1116 का लाभ दिया गया है।	जीआरए द्वारा प्रकरण क्र. 15902 में आदेश दिनांक 24.12.08 द्वारा मान्य आदेश का पालन किया गया है।	आवेदक को जीआरए द्वारा स्वीकृत पुनर्वास अनुदान व भूखंड का लाभ दिया जा चुका है। अतः आवेदन निरस्त योग्य है।		
149 AKH-299	रेवाराम / तेजसिंह / एखंड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 193 पर मकान व भूखंड की मुआवजा राशि रु. 37443/- भुगतान की गई है।	जीआरए प्रकरण क्र. 15804 आ.दि. 27.10.06, प्रकरण क्र. 21675 आ.दि. 18.07.08 व 12.06.09 तथा प्रकरण क्र. 27516 आ.दि. 01.08.09 द्वारा अमान्य।	आवेदक का नाम ग्राम की परिवार सूची में दर्ज नहीं है। जीआरए द्वारा भी पुनर्वास अनुदान हेतु अमान्य किया गया है। अतः अनुदान हेतु पात्र नहीं है।		
150 AKH-298	माधुरीबाई / मांगीलाल/राजेश / एखंड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने तथा भूमीहीन के रूप में 2.5 लाख विशेष अनुदान देने बाबत।	आवेदिका को संयुक्त खाते में एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 250 पर मकान व भूखंड की मुआवजा राशि रु. 93662/- भुगतान की गई है।	जीआरए प्रकरण क्र. 15988 आ.दि. 18.05.07 व प्रकरण क्र. 21586 आ.दि. 03.09.08, 15.06.09 व 26.10.09 द्वारा अमान्य।	आवेदक का नाम ग्राम की परिवार सूची में दर्ज नहीं है। जीआरए द्वारा भी पुनर्वास अनुदान हेतु अमान्य किया गया है। अतः अनुदान हेतु पात्र नहीं है।		

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**दूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

151 AKH-276	तुकाराम / नत्थू / एखण्ड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत। राशि रु. 54251/- भुगतान की गई है।	आवेदक को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 67 पर मकान व भूखंड की मुआवजा राशि रु. 54251/- भुगतान की गई है।	जीआरए प्रकरण क्र. 21690 आ.दि. 21.07.08, 15.06.09 व 12.11.09 द्वारा अमान्य।	आवेदक का नाम ग्राम की परिवार सूची में दर्ज नहीं है। जीआरए द्वारा भी पुनर्वास अनुदान हेतु अमान्य किया गया है। अतः अनुदान हेतु पात्र नहीं है।
152 AKH-275	छज्जू / झाबरिया / एखण्ड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत। 15959/- भुगतान की गई है।	आवेदक को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 255 पर भूखंड की मुआवजा राशि रु. 15959/- भुगतान की गई है।	जीआरए प्रकरण क्र. 21810 आ.दि. 13.05.09 द्वारा अमान्य।	आवेदक का नाम ग्राम की परिवार सूची में दर्ज नहीं है। जीआरए द्वारा भी पुनर्वास अनुदान हेतु अमान्य किया गया है। अतः अनुदान हेतु पात्र नहीं है।
153 AKH-272	अलोकचंद / भुवानीराम / एखण्ड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक की माता को पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 137 पर रु. 14350/- का भुगतान किया गया है तथा पुनर्वास स्थल एखण्ड पर भूखंड क्र. सी-29 आवंटित किया गया है।	जीआरए प्रकरण क्र. 16142 आ.दि. 18.05.07 व प्रकरण क्र. 21476 आ.दि. 03.09.08 द्वारा अमान्य।	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची में माता के साथ क्र. 83 पर दर्ज होकर आयु 17 वर्ष दर्ज है। अवयस्क होने से अनुदान की पात्रता नहीं है। जीआरए द्वारा भी आवेदन अमान्य किया गया है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

154 AKH-416 रामेश्वर / इंदर / एखण्ड	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदक को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 329 पर मकान व भूखंड की मुआवजा राशि रु. 31419/- भुगतान की गई है तथा पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 299 पर पुनर्वास अनुदान राशि रु. 67500 भुगतान की गई है। पुनर्वास स्थल इनपुन पर भूखंड क्र. ऐ-154 आवंटित किया गया है।	—	पात्रतानुसार पुनर्वास नीति की पुनर्वास अनुदान के नियमानुसार समस्त लाभ दिया गया है।
-------------------------------------	---	---	---	--

155 AKH-415 सेवकराम / गंगाराम / एखण्ड	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदक को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 42 पर मकान व भूखंड की मुआवजा राशि रु. 107426/- भुगतान की गई है तथा जीआरए से पुनर्वास अनुदान राशि रु. 62500 भुगतान की गई है। पुनर्वास स्थल एखण्ड पर भूखंड भूखंड क्र.74 आवंटित किया गया है।	जीआरए प्रकरण क्रमांक 21608 आदेश दिनांक 15.06.09 के पालन में पुनर्वास अनुदान दिया गया।	पात्रतानुसार पुनर्वास नीति की पुनर्वास अनुदान के नियमानुसार समस्त लाभ दिया गया है।
---------------------------------------	---	--	---	--

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**दूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
----	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

156 AKH-413	नत्थू / पितु / एखण्ड	भूमिहीन परिवार के 2.5 लाख रुपयों का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदक को एफआरएल रूप में जीविका हेतु मकान व भूखंड की मुआवजा राशि रु. 28920/- भुगतान की गई है तथा पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 288 पर पुनर्वास अनुदान राशि रु. 67500 भुगतान की गई है।	—	पात्रतानुसार पुनर्वास नीति की पुनर्वास अनुदान के नियमानुसार समस्त लाभ दिया गया है।
157 AKH-305	शिवचरण / हरिकरण / एखंड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत्।	आवेदक के पिता को पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 21 पर रु. 14350/- का भुगतान किया गया है तथा पुनर्वास स्थल इनपुन पर भूखंड क्र. ऐ-234 आवंटित किया गया है।	जीआरए प्रकरण क्र. 21480 आ.दि. 06.08. 08, 16.06.09 व 27.10. 09 द्वारा अमान्य।	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची में पिता के साथ क्र. 11 पर दर्ज होकर आयु 17 वर्ष दर्ज है। अवयस्क होने से अनुदान की पात्रता नहीं है। जीआरए द्वारा भी आवेदन अमान्य किया गया है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
----	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

158 AKH-215 भगवान / गंगाराम / एखण्ड	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लाट दिये जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 229 पर रु. 23700/- का लाभ दिया गया है। भूखंड देना शेष है।	—	आवेदक को पुनर्वास नीति के अनुसार समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया गया है। आवेदक की भूखंड की राशि 20000/- जमा है। आवेदक को पूर्व में कमांड क्षेत्र में भूखंड आवंटन हेतु सूचना दी गई थी, लेकिन आवेदक द्वारा भूखंड पुनर्वास स्थल इनपुन पर चाहा है। उक्त स्थल पर भूखंड रिक्त नहीं है। अन्यत्र पुनर्वास स्थल पर सहमति के आधार पर आवेदक को भूखंड आवंटित किया जावेगा।
159 AKH-286 गजानंद / बाबूलाल / एखण्ड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक के पिता को पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 107 पर रु. 34350/- का भुगतान किया गया है।	जीआरए प्रकरण क्र. 21491 आ.दि. 16.06.09 एवं 27.10.09 द्वारा अमान्य।	आवेदक का नाम ग्राम की परिवार सूची में दर्ज नहीं है। जीआरए द्वारा भी पुनर्वास अनुदान हेतु अमान्य किया गया है। अतः अनुदान हेतु पात्र नहीं है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
----	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

160 AKH-609	दिलीप / रेवाराम / एखण्ड	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लाट दिये जाने बाबत।	जीआरए द्वारा मान्य प्रकरण से राशि 9350/- भुगतान 5000/- विस्थापन पर देय, रु.20000/-भूखण्ड जमा शेष है।	जीआरए प्रकरण क्र. 21571 आदेश दिनांक 24.12.08 द्वारा मान्य।	आवेदक की भूखण्ड की राशि जमा है। आवेदक को कमाण्ड क्षेत्र में भूखण्ड देने हेतु सूचना दी गई थी। पुनः पुनर्वास स्थल कोठी-3 में भी सूचना दी गई लेकिन आवेदक ने सहमति प्रस्तुत नहीं की और इनपुन में भूखण्ड मांग की है। इनपुन में भूखण्ड रिक्त नहीं होने से अन्यत्र स्थान पर भूखण्ड सहमति से दिया जायेगा।
161 AKH-610	राधेश्याम / जयराम / एखण्ड	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लाट दिये जाने बाबत।	पुनर्वास अनुदान गणना क्र. 95 राशि 9350/- का भुगतान किया गया। परिवहन राशि 5000/- विस्थापित होने पर देय होगी। भूखण्ड की राशि 20000/-जमा। भूखण्ड देना शेष है।	--	आवेदक की भूखण्ड की राशि जमा है। आवेदक को कमाण्ड क्षेत्र में भूखण्ड देने हेतु सूचना दी गई थी। पुनः पुनर्वास स्थल कोठी-3 में भी सूचना दी गई लेकिन आवेदक ने सहमति प्रस्तुत नहीं की और इनपुन में भूखण्ड मांग की है। इनपुन में भूखण्ड रिक्त नहीं होने से अन्यत्र स्थान पर भूखण्ड सहमति से दिया जायेगा।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : एखण्ड		आवेदन पत्र का प्रकार :	7	पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत			
162	AKH-611 राजेन्द्र / हिरालाल / एखण्ड	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लाट दिये जाने बाबत।	जीआरए द्वारा स्वीकृत पुनर्वास अनुदान राशि 9350/- का भुगतान किया गया। परिवहन राशि 5000/- विस्थापित होने पर देय होगी। भूखण्ड की राशि 20000/-जमा। भूखण्ड देना शेष है।	जीआरए प्रकरण क्र. 21677 आदेश दिनांक 24.12.08 द्वारा मान्य।	आवेदक की भूखण्ड की राशि जमा है। आवेदक को कमाण्ड क्षेत्र में भूखण्ड देने हेतु सूचना दी गई थी। पुनः पुनर्वास स्थल कोठी-3 में भी सूचना दी गई लेकिन आवेदक ने सहमति प्रस्तुत नहीं की और इनपुन में भूखण्ड मांग की है। इनपुन में भूखण्ड रिक्त नहीं होने से अन्यत्र स्थान पर भूखण्ड सहमति से दिया जायेगा।		
163	AKH-612 दिनेश / राजाराम / एखण्ड	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लाट दिये जाने बाबत।	पुनर्वास अनुदान गणना क्र. 111 राशि 38700/- का भुगतान किया गया। परिवहन राशि 5000/- विस्थापित होने पर देय होगी।	--	आवेदक को पुनर्वास अनुदान के समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है भूखण्ड की नगद राशि का भुगतान भी कर दिया गया है। भखण्ड की पात्रता नहीं है।		
164	AKH-613 विक्रम / राजाराम / एखण्ड	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लाट दिये जाने बाबत।	पुनर्वास अनुदान गणना क्र. 326 राशि 38700/- का भुगतान किया गया। परिवहन राशि 5000/- विस्थापित होने पर देय होगी।	--	आवेदक को पुनर्वास अनुदान के समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है भूखण्ड की नगद राशि का भुगतान भी कर दिया गया है। भखण्ड की पात्रता नहीं है।		

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

165 AKH-614	राधेश्याम / जयराम / एखण्ड	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लाट दिये जाने बाबत।	पुनर्वास अनुदान गणना क्र. 95 राशि 9350/- का भुगतान किया गया। परिवहन राशि 5000/- विस्थापित होने पर देय होगी। भूखण्ड की राशि 20000/-जमा। भूखण्ड देना शेष है।	आवेदक की भूखण्ड की राशि जमा है। आवेदक को कमाण्ड क्षेत्र में भूखण्ड देने हेतु सूचना दी गई थी। पुनः पुनर्वास स्थल कोठी-3 में भी सूचना दी गई लेकिन आवेदक ने सहमति प्रस्तुत नहीं की और इनपुन में भूखण्ड मांग की है। इनपुन में भूखण्ड रिक्त नहीं होने से अन्यत्र स्थान पर भूखण्ड सहमति से दिया जायेगा।	
166 AKH-607	रमेश / लक्ष्मण / एखण्ड	भूमिहिन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	पुनर्वास अनुदान गणना क्र. 228 राशि 71850/- का भुगतान किया गया। परिवहन राशि 5000/- विस्थापित होने पर देय होगी।	--	आवेदक को पुनर्वास अनुदान व्यवसाय अन्य मजदूरी के रूप में नियमानुसार सभी लाभ दिये जा चुके हैं। अतः पात्रता नहीं है।
167 AKH-616	रेवाराम / बाबू / एखण्ड	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लाट दिये जाने बाबत।	जीआरए द्वारा मान्य पुनर्वास अनुदान राशि 38700/- का भुगतान किया गया। परिवहन राशि 5000/- विस्थापित होने पर देय होगी।	जीआरए प्रकरण क्र. 16277 आदेश दिनांक 18.05.07 द्वारा मान्य।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान के समर्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है भूखण्ड की नगद राशि का भुगतान भी कर दिया गया है। भूखण्ड की पात्रता नहीं है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र	पंजी. क्र	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
-----	-----------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :**

**7**

**पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

168 AKH-606	रेवाराम / तुकाराम / एखण्ड	पुनर्वास नीति की धारा 2.3 के अंतर्गत टापू में आने बाबत।	--	--	आवेदक की निजी भूमि का टापू बनने पर प्रस्तावित विभाग द्वारा सर्वे किया जायेगा। अगर टापू बनता है तो नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
-------------	---------------------------	---	----	----	---

169 AKH-232	आनंदराम / भलाजी / एखंड	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लाट दिये जाने बाबत।	"आवेदक को संयुक्त खाते में एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 279 पर मकान व भूखंड की मुआवजा राशि रु. 214686/-तथा कृषि ग.प.क्र. 51 पर भूमि की राशि 86158/- भुगतान की गई है। जीआरए द्वारा स्वीकृत राशि कंडिका 6.1 की राशि 9350 चैक क्र. 42749 दि. 27. 12.09 के द्वारा दी गई है।	जीआरए प्रकरण क्र. 21538 आ.दि. 15.06.09 व 27.10.09 तथा प्रकरण क्र. 28571 आ.दि. 01.06.09 द्वारा कंडिका 6.1 हेतु मान्य।	आवेदक को जीआरए से केवल कंडिका 6.1 की राशि स्वीकृत हुई है, जिसका भुगतान कर दिया गया है।
-------------	------------------------	--	--	--	--

170 AKH-277	गुदाबाई / गणपत / एखंड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत।	आवेदिका के पुत्र को पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 56 पर रु. 67500/- का भुगतान किया गया है।	जीआरए प्रकरण क्र. 21122 आ.दि.06.08.08 व प्रकरण क्र. 16805, 21734 आ.दि.क्रमशः 15. 06.09 व 28.10.09	आवेदिका का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची में क्र. 33 पर पुत्र कैलाश के साथ माता (आश्रित) के रूप में दर्ज है। अतः आश्रित को पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं है। जीआरए द्वारा भी आवेदन अमान्य किया गया है।
-------------	-----------------------	---	---	---	---

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**दूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र	पंजी. क्र	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
-----	-----------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

171	AKH-278 गबरु / दौला / एखंड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक को बीडब्ल्यूएल ग.प. क्र. 14 पर मकान की मुआवजा राशि रु. 12434/- भुगतान की गई है।	जीआरए प्रकरण क्र. 21796, 21860 आ.दि. 08.10.08 द्वारा अमान्य किया गया।	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची में दर्ज नहीं है। जीआरए द्वारा भी प्रकरण अमान्य किया गया है। अतः अपात्र है।
172	AKH-279 कडवा / तुकाराम / एखंड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक के पिता को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 67 पर मकान व भूखंड की मुआवजा राशि रु. 54251/- भुगतान की गई है।	जीआरए प्रकरण क्र. 16094 आ.दि. 18.05.07 द्वारा अमान्य।	आवेदक का नाम ग्राम की परिवार सूची में दर्ज नहीं है। जीआरए द्वारा भी पुनर्वास अनुदान हेतु अमान्य किया गया है। अतः अनुदान हेतु पात्र नहीं है।
173	AKH-280 रामलाल / शोभाराम / एखंड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 173 पर मकान व भूखंड की मुआवजा राशि रु. 107800/- भुगतान की गई है।	जीआरए प्रकरण क्र. 19654, 21594, 28622 में आ.दि. क्रमशः 08.09. 06, 05.12.08 व 18.05. 09 द्वारा अमान्य।	आवेदक का नाम ग्राम की परिवार सूची में दर्ज नहीं है। जीआरए द्वारा भी पुनर्वास अनुदान हेतु अमान्य किया गया है। अतः अनुदान हेतु पात्र नहीं है।
174	AKH-281 विजेन्द्र / राधेश्याम / एखंड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक के पिता को पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 145 पर रु. 14350/- का भुगतान किया गया है तथा पुनर्वास स्थल इनपुन पर भूखंड क्र. ए-229 आवंटित किया गया है।	जीआरए प्रकरण क्र. 21784 आ.दि. 06.08. 08, 13.06.09 व 28.10. 09 द्वारा अमान्य।	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची में पिता के साथ क्र. 89 पर दर्ज होकर आयु 13 वर्ष दर्ज है। अवयर्स्क होने से अनुदान की पात्रता नहीं है। जीआरए द्वारा भी आवेदन अमान्य किया गया है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**दूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
----	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

175 AKH-282 मेवाबाई / ऐडू / एखण्ड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत।	आवेदिका के पति को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 207 पर मकान व भूखंड की मुआवजा राशि रु. 47279/- भुगतान की गई है।	जीआरए प्रकरण क्र. 21761 आ.दि. 22.07.08 व 29.10.09 द्वारा अमान्य।	आवेदिका एवं उसके पति का नाम ग्राम की परिवार सूची में दर्ज नहीं है। जीआरए द्वारा भी आवेदिका के पति का आवेदन पुनर्वास अनुदान हेतु अमान्य किया गया है। अतः अनुदान हेतु पात्र नहीं है।
-----------------------------------	---	---	--	--

176 AKH-284 कमल / राजाराम / एखण्ड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत। आवेदक को पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 213 पर रु. 71850/- का भुगतान किया गया है।	आवेदक के पिता को आबादी ग.प.क्र. 220 पर मकान भूखंड की राशि 84973/- तथा ग.प.क्र. 213 पर रु. 71850/- का भुगतान किया गया है।	जीआरए प्रकरण क्र. 28021 आ.दि. 19.05.09 द्वारा कंडिका 7.2 हेतु अमान्य।	आवेदक को अन्य मजदूर के मान से पुनर्वास अनुदान की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है। आवेदक के नाम मकान नहीं होने से जीआरए द्वारा कंडिका 7.2 हेतु अमान्य किया गया। अब अनुदान की कोई पात्रता नहीं है।
-----------------------------------	---	--	---	--

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

177 AKH-615	जयराम / टिकाराम / एखण्ड	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लाट दिये जाने बाबत।	पुनर्वास अनुदान गणना क्र.. राशि 9350/- का भुगतान किया गया। परिवहन राशि 5000/- विस्थापित होने पर देय होगी। भूखण्ड की राशि 20000/- जमा। भूखण्ड देना शेष है।	--	आवेदक की भूखण्ड की राशि जमा है। आवेदक को कमाण्ड क्षेत्र में भूखण्ड देने हेतु सूचना दी गई थी। पुनः पुनर्वास स्थल कोठी-3 में भी सूचना दी गई लेकिन आवेदक ने सहमति प्रस्तुत नहीं की और इनपुन में भूखण्ड मांग की है। इनपुन में भूखण्ड रिक्त नहीं होने से अन्यत्र स्थान पर भूखण्ड सहमति से दिया जायेगा।
178 AKH-597	धनाजी / भीकाजी / एखण्ड	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लाट दिये जाने बाबत।	ग्राम एखण्ड में निजीभूमि मुआवजा गणना पत्रक क्र.88 की निर्धारित की गई राशि 2396/- भुगतान की गई।	जीआरए प्रकरण क्र. 28588 आदेश दिनांक 01.06.09 कंडिका 6.1 मान्य।	आवेदक की केवल कृषिभूमि होने से जीआरए द्वारा पुनर्वास अनुदान की कंडिका 6.1 की राशि स्वीकृत की गई है। अतः आवेदक को भूखण्ड की पात्रता नहीं है।
179 AKH-588	शिवराम / चैन्या / एखण्ड	भूमिहिन के रूप में अनुदान देने बाबत।	पुनर्वास अनुदान गणना क्र. 238 राशि 71850/- का भुगतान किया गया। परिवहन राशि 5000/- विस्थापित होने पर देय होगी।	--	आवेदक को पुनर्वास अनुदान व्यवसाय अन्य मजदूरी के रूप में नियमानुसार सभी लाभ दिये जा चुके हैं। अतः पात्रता नहीं है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

180	AKH-589 पुनाजी / मोतीराम / एखण्ड	भूमिहिन के रूप में अनुदान देने बाबत।	पुनर्वास अनुदान गणना क्र. 289 राशि 29350/- का भुगतान किया गया। परिवहन राशि 5000/- विस्थापित होने पर देय होगी।	—	आवेदक को पुनर्वास अनुदान व्यवसाय कृषि के रूप में नियमानुसार सभी लाभ दिये जा चुके हैं।
181	AKH-590 गणेश / बावरिया / एखण्ड	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लाट एवं भूमिहिन के मान से अनुदान देने बाबत।	पुनर्वास अनुदान गणना क्र. 216 राशि 71850/- का भुगतान किया गया। परिवहन राशि 5000/- विस्थापित होने पर देय होगी।	—	पुनर्वास अनुदान के समस्त राशि का भुगतान किया जा चुका है। भूखण्ड की पात्रता नहीं है।
182	AKH-591 सेवकराम / गंगाराम / एखण्ड	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लाट दिये जाने बाबत।	जीआरए द्वारा मान्य प्रकरण की राशि 62500/- परिवहन राशि 5000/- विस्थापन होने पर देय होगी। भूखण्ड देना शेष है।	जीआरए प्रकरण क्र. 21608 आदेश दिनांक 15.09.09 द्वारा मान्य।	आवेदक को पुनर्वास स्थल एखण्ड में भूखण्ड क्र.14 आवंटित किया गया था लेकिन आवेदक ने भूखण्ड लेने से इन्कार कर इनपुन में मांग की है।
183	AKH-592 जोगीराम / शिवा / एखण्ड	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लाट दिये जाने बाबत।	पुनर्वास अनुदान बीडल्यूएल गणना क्र.7 राशि 62500/- का भुगतान किया गया। परिवहन राशि 5000/- विस्थापित होने पर देय होगी।	—	आवेदक को पुनर्वास अनुदान व्यवसाय अन्य मजदूरी के मान से भूखण्ड की राशि सहित भगतान कर दिया गया है। भूखण्ड की पात्रता नहीं है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**दूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

184	AKH-593	रामेश्वर / इन्दर / एखण्ड	भूमिहिन के रूप में अनुदान देने बाबत।	पुनर्वास अनुदान गणना क्र. 299 राशि 62500/- का भुगतान किया गया। परिवहन राशि 5000/- विस्थापित होने पर देय होगी।	--	आवेदक को पुनर्वास अनुदान व्यवसाय अन्य मजदूरी के रूप में नियमानुसार सभी लाभ दिये जा चुके हैं। अतः पात्रता नहीं है।
185	AKH-594	कडवाजी / बावरिया / एखण्ड	भूमिहिन के रूप में अनुदान देने बाबत।	पुनर्वास अनुदान गणना क्र. 214 राशि 71850/- का भुगतान किया गया। परिवहन राशि 5000/- विस्थापित होने पर देय होगी।	--	आवेदक को पुनर्वास अनुदान व्यवसाय अन्य मजदूरी के रूप में नियमानुसार सभी लाभ दिये जा चुके हैं। अतः पात्रता नहीं है।
186	AKH-608	भैयरसिंह / धनसिंह / एखण्ड	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लाट दिये जाने बाबत।	पुनर्वास अनुदान गणना क्र. 334 राशि 38700/- का भुगतान किया गया। परिवहन राशि 5000/- विस्थापित होने पर देय होगी।	--	आवेदक को पुनर्वास अनुदान के समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है भूखण्ड की नगद राशि का भुगतान भी कर दिया गया है। भखण्ड की पात्रता नहीं है।
187	AKH-596	सुमेरसिंह / इसराम / एखण्ड	भूमिहिन के रूप में अनुदान देने बाबत।	पुनर्वास अनुदान गणना क्र. 51 राशि 29350/- का भुगतान किया गया। परिवहन राशि 5000/- विस्थापित होने पर देय होगी।	--	आवेदक को पुनर्वास अनुदान व्यवसाय अन्य कृषि के रूप में नियमानुसार सभी लाभ दिये जा चुके हैं। अतः पात्रता नहीं है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

188 AKH-618 दयाशंकर / रामचन्द्र / एखण्ड परिवार सूची में पुनवास नीति की धारा 1 (अ) 1 (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।

आवेदक के पिता के नाम ग्राम एखण्ड में आबादी भूमि में मकान का मुआवजा गणना पत्रक क्र.312 की निर्धारित की गई राशि 408540/- भुगतान की गई।

जीआरए प्रकरण क्र. 21498, 15874 आदेश दिनांक 24.12.08 द्वारा अमान्य।

189 AKH-598 बालकराम / चेतराम / एखण्ड

पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लाट दिये जाने बाबत।

आवेदक के पिता को पुनर्वास अनुदान गणना क्र. 140 राशि 9350/- का भुगतान किया गया। परिवहन राशि 5000/- विस्थापित होने पर देय होगी एवं पुनर्वास सिल एखण्ड में भूखण्ड क्र.19 आवंटित है।

आवेदक ग्राम के अंतिम परिवार सूची पिता के साथ पुत्र के रूप में अव्यस्क 13 वर्ष दर्ज है। पात्रता है।

190 AKH-599 गोविन्द / देवराम / एखण्ड

पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत।

जीआरए द्वारा मान्य पुनर्वास अनुदान राशि 68000/- का भुगतान किया गया। परिवहन राशि 5000/- विस्थापित होने पर देय होगी। भूखण्ड की राशि 20000/-जमा। भूखण्ड देना शेष है। ग्राम एखण्ड में आबादी भूमि में मकान का मुआवजा गणना पत्रक क्र.261 की निर्धारित की गई राशि 13655/- भुगतान की गई।

जीआरए प्रकरण क्र. 21697 आदेश दिनांक 15.08.09 द्वारा मान्य।

आवेदक को 7.2 की अंतर की राशि की पात्रता है। आवेदन स्वीकार योग्य है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**दूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

191 AKH-600	जगन्नाथ / मोतीराम / एखण्ड	भूमिहिन के रूप में अनुदान देने बाबत।	पुनर्वास अनुदान गणना क्र. 291 राशि 29350/- का भुगतान किया गया। परिवहन राशि 5000/- विस्थापित होने पर देय होगी।	—	आवेदक कृषक होने से पुनर्वास अनुदान व्यवसाय कृषि के रूप में नियमानुसार सभी लाभ दिये जा चुके हैं। अतः पात्रता नहीं है।
192 AKH-601	संतोषबाई / रामलाल / एखण्डवा	भूमिहिन परिवार के 2.5 लाख रूपये विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदिका के पति को पुनर्वास अनुदान गणना क्र. 330 राशि 42500/- का भुगतान किया गया। पुनर्वास स्थल इनपुन में भूखण्ड क्र. 201 आवंटित किया गया।	—	आवेदिका के पति को पुनर्वास स्थल इनपुन के सभी लाभ दिये जा चुके हैं। अतः आवेदिका को पात्रता नहीं है।
193 AKH-602	धन्नालाल / धनसिंह / एखण्ड	भूमिहिन परिवार के 2.5 लाख रूपये विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	—	जीआरए प्रकरण क्र. 15903 आदेश दिनांक 15.06.07 द्वारा अमान्य किया गया।	जीआरए द्वारा अमान्य किया गया।
194 AKH-603	सुन्दरलाल / रमेश / एखण्ड	भूमिहिन के रूप में अनुदान देने बाबत।	आवेदक के पिता को पुनर्वास अनुदान गणना क्र. 228 राशि 71850/- का भुगतान किया गया। परिवहन राशि 5000/- विस्थापित होने पर देय होगी।	जीआरए प्रकरण क्र. 21540 आदेश दिनांक 05.12.08 द्वारा अमान्य।	आवेदक का प्रकरण जीआरए द्वारा अमान्य किया गया है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**दूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : एखण्ड		आवेदन पत्र का प्रकार :	7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत			
195	AKH-604	अन्तरसिंह / मंगलसिंह / एखण्ड	परिवार सूची में पुनवास नीति की धारा 1 (अ) 1 (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	आवेदक के पिता के नाम से ग्राम एखण्ड में आबादी भिन्न में मकान का मुआवजा गणना पत्रक क्र.112 की निर्धारित की गई राशि 115347/- भुगतान की गई।	जीआरए प्रकरण क्र. 21632 आदेश दिनांक 14.01.09 एवं 21633 आदेश दि.02.05.09	आवेदक अंतरसिंह व सुरेशसिंह दोनों के प्रकरण जीआरए द्वारा अमान्य किये गये।
196	AKH-605	घनश्याम / देवराम / एखण्ड	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लाट दिये जाने बाबत।	पुनर्वास अनुदान गणना क्र. 12 राशि 9350/- का भुगतान किया गया। परिवहन राशि 5000/- विस्थापित होने पर देय होगी। भूखण्ड की राशि 20000/-जमा। भूखण्ड देना शेष है।	--	आवेदक की भूखण्ड की राशि जमा है। आवेदक को कमाण्ड क्षेत्र में भूखण्ड देने हेतु सूचना दी गई थी। पुनः पुनर्वास सिल कोठी-3 में भी सूचना दी गई लेकिन आवेदक ने सहमति प्रस्तुत नहीं की और इनपुन में भूखण्ड मांग की है। इनपुन में भूखण्ड रिक्त नहीं होने से अन्यत्र सीन पर भूखण्ड सहमति से दिया जायेगा।
197	AKH-595	भलाजी / प्रेमचंद्र / एखण्ड	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लाट दिये जाने बाबत।	पुनर्वास अनुदान गणना क्र. 312 राशि 9350/- का भुगतान किया गया। परिवहन राशि 5000/- विस्थापित होने पर देय होगी। भूखण्ड की राशि 20000/-जमा। भूखण्ड देना शेष है।	--	आवेदक को भूखण्ड दिया जाना शेष है। आवेदन स्वीकार योग्य है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**दूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

198	AKH-651	अमरसिंह / भागीरथ / एखण्ड	भूखण्ड देने बाबत।	पुनर्वास अनुदान गणना क्र. 331 राशि 71850/- का भुगतान किया गया। परिवहन राशि 5000/- विस्थापित होने पर देय होगी।	--	आवेदक को पुनर्वास नीति के समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है। भूखण्ड की राशि का भुगतान हो चुका है। अतः पात्रता नहीं है।
199	AKH-285	शांताबाई / मांगीलाल / एखंड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत।	आवेदिका को संयुक्त रूप से संशोधित एफआरएल ग.प.क्र. 17 पर भूमि की राशि 596996/- तथा एफआरएल ग.प.क्र. 69 पर भूमि की मुआवजा राशि 105509/- का भुगतान किया गया है।	--	आवेदिका का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची में अंकित नहीं है। अतः अनुदान हेतु अपात्र है।
200	AKH-288	मोजीलाल / बोंदर / एखंड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक के पुत्र को पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 199 पर रु. 76850/- का भुगतान किया गया है।	जीआरए प्रकरण क्र. 21562 में आ.दि. 06.08. 08, 16.06.09 व 27.10. 09 तथा प्रकरण क्र. 21478 में आ.दि. 15.09. 08, 15.06.09 तथा 27. 10.09 द्वारा अमान्य।	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची में पुत्र नन्हे के साथ क्र. 120 पर पिता (आश्रित) के रूप में दर्ज होने से अनुदान नहीं दिया गया। जीआरए द्वारा अमान्य किया गया है।
201	AKH-644	ज्ञानेश्वर / भगवानदास / सनावद	वयस्क पुत्र के अनुदान बाबत।	आवेदक के पिता के नाम से ग्राम एखण्ड में निजीभूमि मुआवजा गणना पत्रक क्र.119 की निर्धारित की गई राशि 512367/- भुगतान की गई।	जीआरए प्रकरण क्र. 29693 आदेश दिनांक 13.05.09 द्वारा अमान्य।	जीआरए द्वारा अमान्य।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**दूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

202 AKH-645	योगेन्द्र / भगवानदास / सनावद	वयस्क पुत्र के नाते अनुदान हेतु।	आवेदक के पिता को ग्राम एखण्ड में निजीभूमि मुआवजा गणना पत्रक क्र.119 की निर्धारित की गई राशि 512367/- भुगतान की गई।	जीआरए प्रकरण क्र. 29694 आदेश दिनांक 20.05.09 द्वारा अमान्य।	जीआरए प्रकरण 29694 आदेश दिनांक 20.05.09 द्वारा अमान्य किया गया।
203 AKH-646	कृष्णराव / रेवाराम	अनुदान एवं भूखण्ड / एखण्ड देने बाबत।	ग्राम एखण्ड में आवेदक के पिता को आबादी भूमि के मकान का मुआवजा गणना पत्रक क्र.103 की निर्धारित की गई राशि 141616/- एवं पिता को ही पुनर्वास अनुदान गणना क्र.93 पर राशि 34350/-का भुगतान किया।	जीआरए प्रकरण क्र. 21707 आदेश दिनांक 1. 6.09 द्वारा अमान्य।	ग्राम के अंतिम परिवार सूची में आवेदक का नाम दर्ज नहीं है। मा.जीआरए द्वारा भी आवेदक का प्रकरण अमान्य किया गया।
204 AKH-647	प्रेमबाई / भाग्या / एखण्ड	खातेदार हिस्से अनुसार प्रभावित जमीन का मुआवजा मिलने बाबत।	ग्राम एखण्ड में निजीभूमि मुआवजा गणना पत्रक क्र.133 की निर्धारित की गई राशि 259808/- अनु.अधि.खण्डवा के खाते में चेक क्र.328797 दि.11.09.07 को जमा की गई।	--	संयुक्त खातेदारों का होकर विवादित है। अतः भुगतान अनु.अधि.कार्यालय खण्डवा से प्राप्त कर सकते हैं।
205 AKH-648	मुरार / कालू / एखण्ड	अनुदान देने बाबत।	ग्राम एखण्ड में निजीभूमि मुआवजा गणना पत्रक क्र.4 की निर्धारित की गई राशि 154500/- भुगतान की गई।	--	आवेदक का अंतिम परिवार सूची में नाम नहीं है न आवेदक के नाम से कोई मकान अर्जन किया गया है। अतः अनुदान की पात्रता नहीं है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**दूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र	पंजी. क्र	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
-----	-----------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

206	AKH-641	मंजुबाई / चम्पालाल / एखण्ड	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) व (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	आवेदिका के पिता के नाम से ग्राम एखण्ड में आबादी मकान का मुआवजा गणना पत्रक क्र.341 की निर्धारित की गई राशि 28903/- भुगतान की गई।	जीआरए प्रकरण क्र. 27524 आदेश दिनांक 01.06.09 द्वारा अमान्य।	आवेदिका के पिता का जीआरए द्वारा प्रकरण अमान्य किया जा चुका है। अतः अनुदान की पात्रता नहीं है।
207	AKH-650	शेरू / मुरार / एखण्ड	अनुदान देने बाबत।	आवेदक के पिता के नाम से ग्राम एखण्ड में निजीभूमि मुआवजा गणना पत्रक क्र.04 की निर्धारित की गई राशि 154500/- भुगतान की गई।	--	आवेदक के नाम से ग्राम में कोई मकान नहीं है न ही पिता के नाम से कोई मकान नहीं है। ग्राम में निवास नहीं होने से अनुदान की पात्रता नहीं है।
208	AKH-638	रामचन्द्र / चम्पालाल / एखण्ड	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) व (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	आवेदक के पिता के नाम से ग्राम एखण्ड में आगादी मकान का मुआवजा गणना पत्रक क्र.341 की निर्धारित की गई राशि 28903/- भुगतान की गई।	जीआरए प्रकरण क्र. 27524 आदेश दिनांक 01.06.09 द्वारा अमान्य।	आवेदक के पिता का जीआरए द्वारा प्रकरण अमान्य किया जा चुका है। अतः अनुदान की पात्रता नहीं है।
209	AKH-652	लक्ष्मण / अमरसिंह / एखण्ड	पुनर्वास अनुदान देने बाबत।	आवेदक के पिता को पुनर्वास अनुदान गणना क्र. 331 राशि 71850/- का भुगतान किया गया। परिवहन राशि 5000/- विस्थापित होने पर देय होगी।	जीआरए प्रकरण क्र. 27984 आदेश दिनांक 01.06.09 द्वारा अमान्य।	प्रकरण जीआरए द्वारा अमान्य किया गया।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र	पंजी. क्र	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
-----	-----------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : एखण्ड		आवेदन पत्र का प्रकार :	7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत			
210	AKH-653/1	अमृतलाल / गिरधारी / एखण्ड	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लाट दिये जाने बाबत।	पुनर्वास अनुदान गणना क्र. 84 राशि 9350/- का भुगतान किया गया। परिवहन राशि 5000/- विस्थापित होने पर देय होगी। भूखण्ड देना शेष है।	--	आवेदक के पूर्व से ही 20000/- जमा है उसे भूखण्ड दिया जाना शेष है। आवेदन स्वीकार योग्य है।
211	AKH-668	रघुवीर / सेवकराम / एखण्ड	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) व (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	आवेदक के पिता को ग्राम एखण्ड में आबादी मकान का मुआवजा गणना पत्रक क्र.186 की निर्धारित की गई राशि 82383/- भुगतान की गई।	जीआरए प्रकरण क्र. 21646 आदेश दिनांक 21.08.08 द्वारा अमान्य।	जीआरए द्वारा अमान्य किया गया है।
212	AKH-669	सेवकराम / नारायण / एखण्ड	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) व (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	ग्राम एखण्ड में आगादी भूमि मुआवजा गणना पत्रक क्र.186 की निर्धारित की गई राशि 82383/- भुगतान की गई।	जीआरए प्रकरण क्र. 21645 आदेश दिनांक 05.08.08 द्वारा अमान्य।	जीआरए द्वारा अमान्य।
213	AKH-670	गोविन्द / गोपाल / एखण्ड	विस्थापित परिवार के सदस्य को अनुदान राशि एवं प्लाट प्रदाय करने बाबत।	ग्राम एखण्ड में आगादी भूमि मुआवजा गणना पत्रक क्र.130 की निर्धारित की गई राशि 319065/- भुगतान की गई।	जीआरए प्रकरण क्र. 16892 आदेश दिनांक 23.11.06 द्वारा अमान्य।	आवेदक का प्रकरण जीआरए द्वारा अमान्य किया गया।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**दूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

<b>ग्राम का नाम : एखण्ड</b>		<b>आवेदन पत्र का प्रकार :</b>		<b>7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत</b>			
214	AKH-671 किशोर / गोविन्द / एखण्ड	विस्थापित परिवार के सदस्य को अनुदान राशि एवं प्लाट प्रदाय करने बाबत।	ग्राम एखण्ड में निजीभूमि मुआवजा गणना पत्रक क्र.66 की निर्धारित की गई राशि 376057/- भुगतान की गई।	जीआरए प्रकरण क्र. 15947 एवं 16002 आदेश दिनांक क्रमशः 31.05.06 व 22.05.07 द्वारा अमान्य।	आवेदक का नाम अंतिम परिवार सूची में दर्ज नहीं है। आवेदक का ग्राम में मकान नहीं है निवास नहीं है जीआरए द्वारा आवेदक का प्रकरण अमान्य किया गया है। आवेदन निरस्त योग्य है।		
215	AKH-672 महेशराव / रेवाराम / एखण्ड	विस्थापित परिवार के सदस्य को प्लाट प्रदाय करने बाबत।	आवेदक के पिता को आबादी अवार्ड गणना पत्रक क्र.103 मुआवजा राशि 141616/- एवं पुनर्वास अनुदान गणना क्र.93 राशि 9350/- का भुगतान किया गया। परिवहन राशि 5000/- विस्थापित होने पर देय होगी। पुनर्वास स्थल इनपुन में भूखण्ड क्र. 240-ए आवंटित किया गया एवं आबादी के गणना पत्रक क्र.103 मकान का मुआवजा 141616/- पिता को दिया गया।	जीआरए प्रकरण क्र. 21717 आदेश दिनांक 04.012.08 व 26.10.09 द्वारा अमान्य।	ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में आवेदक का नाम नहीं है। जीआरए द्वारा आवेदक का प्रकरण अमान्य किया गया।		

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
----	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

216 AKH-673	जगदीश / आवंटित भूखण्ड के मोतीराम / एखण्ड संशोधन के संबंध में।	पुनर्वास अनुदान गणना क्र. 5 राशि 9350/- का भुगतान किया गया। परिवहन राशि 5000/- विस्थापित होने पर देय होगी। पुनर्वास स्थल इनपुन में भूखण्ड क्र.46 सी आवंटित किया गया है।	--	आवेदक द्वारा आपने आवेदन में उल्लेख किया है कि भूखण्ड क्र.46 मुझे आवंटित है लेकिन यही भूखण्ड ग्राम इन्धावड़ी के विस्थापित को भी आवंटित किया गया है। अतः मुझे अन्य कोई भूखण्ड आवंटित किया जाय। आवेदन स्वीकार योग्य है।	
217 AKH-649	देवा / मुरार / एखण्ड	पुनर्वास अनुदान बाबत।	आवेदक के पिता के नाम से ग्राम एखण्ड में निजीभूमि मुआवजा गणना पत्रक क्र.4 की निर्धारित की गई राशि 154500/- भुगतान की गई।	--	आवेदक के नाम से कोई सम्पत्ति का अर्जन नहीं किया गया। आवेदक के पिता के नाम से केवल कृषि भूमि का अर्जन किया गया। ग्राम में मकान नहीं है। निवास नहीं है। अतः अनुदान की पात्रता नुहीं है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : एखण्ड		आवेदन पत्र का प्रकार :		7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत			
218	AKH-627 तोताराम / रतन / एखण्ड	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लाट दिये जाने बाबत।	जीआरए द्वारा मान्य प्रकरण की राशि 42500/- भुगतान की जा चुकी है। परिवहन राशि विस्थापन पर देय होगी। भूखण्ड देना शेष है।	जीआरए प्रकरण क्र. 21604 आदेश दिनांक 16.06.09 द्वारा मान्य।	जीआरए प्रकरण क्र. 21604 आदेश दिनांक 16.06.09 द्वारा मान्य।	आवेदक की भूखण्ड की राशि जमा है। आवेदक को कमाण्ड क्षेत्र में भूखण्ड देने हेतु सूचना दी गई थी। पुनः पुनर्वास स्थल कोठी-3 में भी सूचना दी गई लेकिन आवेदक ने सहमति प्रस्तुत नहीं की और इनपुन में भूखण्ड मांग की है। इनपुन में भूखण्ड रिक्त नहीं होने से अन्यत्र स्थान पर भूखण्ड सहमति से दिया जायेगा।	
219	AKH-619 शांतिलाल / दयाराम / एखण्ड	भूमिहिन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	पुनर्वास अनुदान गणना क्र. 53 राशि 29350/- का भुगतान किया गया। परिवहन राशि 5000/- विस्थापित होने पर देय होगी एवं जीआरए से स्वीकृति 9.1 की राशि 33150/- भुगतान की गई।	जीआरए प्रकरण क्र. 16146 आदेश दिनांक 18.05.07 द्वारा कंडिका राशि 5000/- विस्थापित 9.1 मान्य।	जीआरए प्रकरण क्र. 16146 आदेश दिनांक 18.05.07 द्वारा कंडिका राशि 5000/- विस्थापित 9.1 मान्य।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान व्यवसाय अन्य मजदूरी के रूप में नियमानुसार सभी लाभ दिये जा चुके हैं।	
220	AKH-287 भगवान / शिवराम / एखंड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने, अनुदान देने व भूखण्ड देने बाबत।	आवेदक को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 330 पर टप्पर व भूखंड की मुआवजा राशि रु. 21972/- भुगतान की गई है।	जीआरए प्रकरण क्र. 16689, 21489, 21439 में आ.दि. क्रमशः 10.05.07, 05.08.08 व 16.06.09 द्वारा अमान्य।	जीआरए प्रकरण क्र. 16689, 21489, 21439 में आ.दि. क्रमशः 10.05.07, 05.08.08 व 16.06.09 द्वारा अमान्य।	आवेदक का नाम ग्राम की परिवार सूची में दर्ज नहीं है। जीआरए द्वारा भी पुनर्वास अनुदान हेतु अमान्य किया गया है। अतः अनुदान हेतु पात्र नहीं है।	

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**दूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

221 AKH-621	मनोहर / रामसिंह / एखण्ड	भूमिहिन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	पुनर्वास अनुदान गणना क्र. 318 राशि 71850/- का भुगतान किया गया। परिवहन राशि 5000/- विस्थापित होने पर देय होगी।	—	आवेदक को पुनर्वास अनुदान व्यवसाय अन्य मजदूरी के रूप में नियमानुसार सभी लाभ दिये जा चुके हैं।
222 AKH-622	जगन्नाथ / मोतीराम / एखण्ड	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लाट दिये जाने बाबत।	पुनर्वास अनुदान गणना क्र. 291 राशि 29350/- का भुगतान किया गया। परिवहन राशि 5000/- विस्थापित होने पर देय होगी।	—	आवेदक को पुनर्वास अनुदान नियमानुसार समस्त लाभ दिया जा चुका है भूखण्ड की नगद राशि का भुगतान भी कर दिया गया है। भूखण्ड की पात्रता नहीं है।
223 AKH-623	देवराम / मोतीराम / एखण्ड	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लाट दिये जाने बाबत।	पुनर्वास अनुदान गणना क्र. 290 राशि 29350/- का भुगतान किया गया। परिवहन राशि 5000/- विस्थापित होने पर देय होगी।	—	आवेदक को पुनर्वास अनुदान नियमानुसार समस्त लाभ दिया जा चुका है भूखण्ड की नगद राशि का भुगतान भी कर दिया गया है। भूखण्ड की पात्रता नहीं है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

224 AKH-624	जयराम / टीकाराम / एखण्ड	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लाट दिये जाने बाबत।	पुनर्वास अनुदान गणना क्र. 94 राशि 9350/- का भुगतान किया गया। परिवहन राशि 5000/- विस्थापित होने पर देय होगी। भूखण्ड की राशि 20000/-जमा। भूखण्ड देना शेष है।	--	आवेदक की भूखण्ड की राशि जमा है। आवेदक को कमाण्ड क्षेत्र में भूखण्ड देने हेतु सूचना दी गई थी। पुनः पुनर्वास सिल कोठी-3 में भी सूचना दी गई लेकिन आवेदक ने सहमति प्रस्तुत नहीं की और इनपुन में भूखण्ड मांग की है। इनपुन में भूखण्ड रिक्त नहीं होने से अन्यत्र सीन पर भूखण्ड सहमति से दिया जायेगा।
225 AKH-642	आनंद / गेंदालाल / एखण्ड	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) व (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	आवेदक के पिता के नाम से संयुक्त खाते में ग्राम एखण्ड में निजीभूमि मुआवजा गणना पत्रक क्र.155 की निर्धारित की गई राशि 83997/- भुगतान की गई।	--	आवेदक के नाम से ग्राम की अंतिम परिवार सूची में आवेदक का नाम नहीं है। न ही आवेदक का मकान अर्जन हुआ है। ग्राम में आवेदक का निवास नहीं है। अतः पात्रता नहीं है।
226 AKH-626	चन्दु / इठला / एखण्ड	भूमिहिन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रूपये विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	जीआरए द्वारा मान्य प्रकरण में आवेदक को राशि 38700/- का भुगतान एवं परिवहन राशि 5000/- विस्थापित होने पर देय होगी।	जीआरए प्रकरण क्र. 21528 आदेश दिनांक 06.12.08 द्वारा अमान्य।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान व्यवसाय कृषि के रूप में नियमानुसार सभी लाभ दिये जा चुके हैं।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

227 AKH-587	जगन्नाथ / मोतीराम / एखण्ड	भूमिहिन के रूप में अनुदान देने बाबत।	पुनर्वास अनुदान गणना क्र. 291 राशि 29350/- का भुगतान किया गया। परिवहन राशि 5000/- विस्थापित होने पर देय होगी।	--	पुनर्वास अनुदान व्यवसाय कृषि के रूप में नियमानुसार सभी लाभ दिये जा चुके हैं। अतः पात्रता नहीं है।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान व्यवसाय कृषि के रूप में नियमानुसार सभी लाभ दिये जा चुके हैं। अतः पात्रता नहीं है।
228 AKH-629	देवकरण / भलाजी / एखण्ड	पुनर्वास नीति की धारा 2.3 के अंतर्गत टापू में आने बाबत।	--	--	आवेदक की निजी भूमि का टापू बनने पर प्रस्तावित विभाग द्वारा सर्वे किया जायेगा। अगर टापू बनता है तो नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।	आवेदक की निजी भूमि का टापू बनने पर प्रस्तावित विभाग द्वारा सर्वे किया जायेगा। अगर टापू बनता है तो नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
229 AKH-630	मौजीलाल / दल्या / एखण्ड	पुनर्वास नीति की कंडिका 3.3 के अनुसार अतिक्रमण जमीन के बदले जमीन देने बाबत।	--	जीआरए प्रकरण क्र. 21395 आदेश दिनांक 23.12.09 द्वारा अमान्य।	जीआरए द्वारा अमान्य किया। कंडिका 3.3 के अंतर्गत भूमि आवंटन की पात्रता नहीं है।	जीआरए द्वारा अमान्य किया। कंडिका 3.3 के अंतर्गत भूमि आवंटन की पात्रता नहीं है।
230 AKH-631	श्यामा / दशरथ / एखण्ड	पुनर्वास नीति की कंडिका 3.3 के अनुसार अतिक्रमण जमीन के बदले जमीन देने बाबत।	--	जीआरए प्रकरण क्र. 21401 आदेश दिनांक 23.12.09 द्वारा अमान्य।	जीआरए द्वारा अमान्य। कंडिका 3.3 के अंतर्गत भूमि आवंटन की पात्रता नहीं है।	जीआरए द्वारा अमान्य। कंडिका 3.3 के अंतर्गत भूमि आवंटन की पात्रता नहीं है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :**

**7**

**पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

231 AKH-632 रामलाल / लक्ष्मण / एखण्ड	पुनर्वास नीति की कंडिका 3.3 के अनुसार अतिक्रमण जमीन के बदले जमीन देने बाबत।	—	जीआरए प्रकरण क्र. 21398 आदेश दिनांक 23.12.09 द्वारा अमान्य।	आवेदक द्वारा अपने आवेदन के साथ पंचशाला खसरा की छायाप्रति लगाई है जो रामलाल के नाम से नहीं है व जीआरए द्वारा आवेदक की माता द्वारकीबाई बेवा लक्ष्मण का प्रकरण इस संबंध में अमान्य किया गया।
232 AKH-633 हब्बू / गंगाराम / एखण्ड	पुनर्वास नीति की कंडिका 3.3 के अनुसार अतिक्रमण जमीन के बदले जमीन देने बाबत।	—	—	आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ पंचशाला खसरा की छायाप्रति प्रस्तुत की है जिसमें केवल 1975–76 में ही आवेदक का अतिक्रमण दर्ज है। अतः नियमानुसार 13.04.1987 से लगातार अतिक्रमण नहीं होने से आवेदक को जमीन के बदले जमीन की पात्रता नहीं है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :**

**7**

**पुनर्वास संबंधी की गई**

**मांग एवं शिकायत**

233 AKH-634	रामसिंह / हिरला / एखण्ड	पुनर्वास नीति की कंडिका 3.3 के अनुसार अतिक्रमण जमीन के बदले जमीन देने बाबत।	--	--	जीआरए प्रकरण क्र. 21118 आदेश दिनांक 23.12.09 द्वारा अमान्य।	आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन के साथ पंचशाला की छायाप्रति प्रस्तुत की है जिसमें आवेदक का नाम नहीं है अतः शासन के नियमानुसार 01.04.1987 से लगातार धारा-4 दि. 17. 10.03 तक अतिक्रमण सिद्ध नहीं होने से भूमि के बदले भूमि की पात्रता नहीं।
234 AKH-635	कोरजी / दल्या / एखण्ड	पुनर्वास नीति की कंडिका 3.3 के अनुसार अतिक्रमण जमीन के बदले जमीन देने बाबत।	--	जीआरए प्रकरण क्र. 21118 आदेश दिनांक 23.12.09 द्वारा अमान्य।	जीआरए द्वारा अमान्य।	कंडिका 3.3 के अंतर्गत भूमि 23.12.09 द्वारा अमान्य। आवंटन की पात्रता नहीं है।
235 AKH-636	सखाराम / शिवा / एखण्ड	पुनर्वास नीति की कंडिका 3.3 के अनुसार अतिक्रमण जमीन के बदले जमीन देने बाबत।	--	--	शासन नियमानुसार 1987 पूर्व से धारा-+ की प्रकाशन तिथि 17.10.2003 लगातार अतिक्रमण सिद्ध नहीं होने से भूमि के बदल भूमि की पात्रता नहीं होता है।	
236 AKH-625	जयराम / बाबू / एखण्ड	भूमिहिन के रूप में अनुदान देने बाबत।	पुनर्वास अनुदान गणना क्र. 235 राशि 71850/- का भुगतान किया गया। परिवहन राशि 5000/- विस्थापित होने पर देय होगी।	--	आवेदक को पुनर्वास अनुदान अन्य मजदूर के रूप में दिया गया। अब कोई राशि शेष नहीं है।	

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

237 AKH-364	रमेश / लक्ष्मण / एखण्ड	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदक को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 235 पर मकान व भूखंड की मुआवजा राशि रु. 73227/- भुगतान की गई है तथा पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 228 पर पुनर्वास अनुदान राशि रु. 67500 भुगतान की गई है।	—	आवेदक को पात्रतानुसार पुनर्वास अनुदान का भुगतान किया जा चुका है। भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत् का वर्तमान में कार्ड प्रावधान नहीं है।
238 AKH-394	अशोक / भाईराम / एखण्ड	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदक को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 254 पर मकान व भूखंड की मुआवजा राशि रु. 52542/- भुगतान की गई है तथा पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 246 पर पुनर्वास अनुदान राशि रु. 76850 भुगतान की गई है।	—	पात्रतानुसार पुनर्वास नीति की पुनर्वास अनुदान के नियमानुसार समस्त लाभ दिया गया है। वर्तमान में विशेष पैकेज दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।
239 AKH-393	जयमल / देवीसिंग / एखण्ड	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदक को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 331 पर मकान व भूखंड की मुआवजा राशि रु. 53956/- भुगतान की गई है तथा पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 301 पर पुनर्वास अनुदान राशि रु. 67500 भुगतान की गई है।	—	पात्रतानुसार पुनर्वास नीति की पुनर्वास अनुदान के नियमानुसार समस्त लाभ दिया गया है। वर्तमान में विशेष पैकेज दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

240 AKH-365	अमरसिंग / भागीरथ / एखण्ड	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदक को एफआरएल कृषि ग.प.क्र. 205 पर मकान की मुआवजा राशि रु. 34379/- भुगतान की गई है तथा आवेदक को पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 332 पर पुनर्वास अनुदान राशि रु. 71850 भुगतान की गई है।	--	आवेदक को पात्रतानुसार पुनर्वास अनुदान दिया गया है। भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत् का वर्तमान में काई प्रावधान नहीं है।
241 AKH-366	लक्ष्मण / अमरसिंग / एखण्ड	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदक को एफआरएल कृषि ग.प.क्र. 205 पर मकान की मुआवजा राशि रु. 34379/- भुगतान की गई है तथा आवेदक को पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 332 पर पुनर्वास अनुदान राशि रु. 71850 भुगतान की गई है।	--	आवेदक को पात्रतानुसार पुनर्वास अनुदान दिया गया है। भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत् का वर्तमान में काई प्रावधान नहीं है।
242 AKH-367	शोभाराम / गेंदालाल / एखण्ड	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	--	--	आवेदक को पात्रता नहीं होने से आवेदन निरस्ती योग्य है। भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत् का वर्तमान में कोई प्रावधान नहीं।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**दूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

243 AKH-369	शंकर / सकाराम / एखण्ड	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदक को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 319 पर मकान व भूखंड की मुआवजा राशि रु. 23028/- भुगतान की गई है तथा पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 294 पर पुनर्वास अनुदान राशि रु. 67500 भुगतान की गई है।	--	आवेदक की पात्रतानुसार पुनर्वास अनुदान दिया गया है। भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत् का वर्तमान में काई प्रावधान नहीं है।
244 AKH-370	भवानीराम / मोजीलाल / एखण्ड	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदक को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 209 पर मकान व भूखंड की मुआवजा राशि रु. 78984/- भुगतान की गई है तथा पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 200 पर पुनर्वास अनुदान राशि रु. 56850 भुगतान की गई है। एवं पुनर्वास स्थल एखण्ड पर भूखण्ड प्रदाय किया गया है।	--	आवेदक को पात्रतानुसार पुनर्वास अनुदान दिया गया है। भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत् का वर्तमान में काई प्रावधान नहीं है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

245 AKH-371	ऐडू / किशन / एखण्ड	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदक को एफआरएल कृषि ग.प.क्र. 201 पर मकान की मुआवजा राशि रु.10899/- भुगतान की गई है तथा पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 306 पर पुनर्वास अनुदान राशि रु. 47500 भुगतान की गई है। पुनर्वास स्थल एखण्ड पर भूखंड क्र. 45 आवंटित किया गया है।	--	आवेदक को पात्रतानुसार प्रनुर्वास अनुदान का भुगतान किया गया है। भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत् का वर्तमान में काई प्रावधान नहीं है।
246 AKH-372	नाना / ठाकुर / एखण्ड	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदक को पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 295 पर पुनर्वास अनुदान राशि रु. 67500 भुगतान की गई है।	--	आवेदक को पात्रतानुसार पुनर्वास अनुदान दिया जा चुका है। भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत् का वर्तमान में कोई प्रावधान नहीं है।
247 AKH-363	राजाराम / सुखलाल / एखण्ड	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदक को पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 11 पर पुनर्वास अनुदान राशि रु. 67500 भुगतान की गई है।	--	आवेदक को पात्रतानुसार पुनर्वास अनुदान दिया गया है। भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत् का वर्तमान में कोई प्रावधान नहीं है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

248 AKH-374 दरियाव / रामसिंग / एखण्ड	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदक को पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 266 पर पुनर्वास अनुदान राशि रु. 67500 भुगतान की गई है।	--	आवेदक को पात्रतानुसार पुनर्वास अनुदान प्रदाय किया जा चुका है। भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत् कार्ड प्रावधान नहीं है।
249 AKH-375 नथीबाई / सुकराम / एखण्ड	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदक को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 302 पर मकान व भूखंड की मुआवजा राशि रु. 22834/- भुगतान की गई है तथा पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 284 पर पुनर्वास अनुदान राशि रु. 67500 भुगतान की गई है।	--	आवेदक को पात्रतानुसार पुनर्वास अनुदान स्वीकृत कर भुगतान किया गया है। वर्तमान में भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत् कार्ड प्रावधान नहीं है।
250 AKH-373 ददू / किशन / एखण्ड	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदक को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 80 पर मकान व भूखंड की मुआवजा राशि रु. 51643/- भुगतान की गई है तथा पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 67 पर पुनर्वास अनुदान राशि रु. 67500 भुगतान की गई है।	--	आवेदक को पात्रतानुसार पुनर्वास अनुदान दिया गया है। भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत् का वर्तमान में कोई प्रावधान नहीं है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

251 AKH-196	छायाबाई / गुलाबसिंह/टीकाराम / एखंड	पुनर्वास अनुदान एवं भूखंड प्राप्ति हेतु।	आवेदक को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 277 पर मकान व भूखंड की मुआवजा राशि रु. 89770/- भुगतान की गई है।	जीआरए प्रकरण क्र. 19573 आ.दि. 21.07. 08व 15.06.09 व 27.10. 09 व प्रकरण क्र. 27572 आ.दि. 05.01.09	आवेदक का नाम ग्राम की परिवार सूची में दर्ज नहीं है। जीआरए द्वारा भी पुनर्वास अनुदान हेतु अमान्य किया गया है। अतः अनुदान द्वारा अमान्य।
252 AKH-246	रंजनाबाई / कैलाशराव / एखंड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत।	आवेदिका के पिता को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 94 पर भूमि व अन्य की मुआवजा राशि रु. 451029/- तथा पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 130 पर पुनर्वास अनुदान का लाभ दिया गया है।	जीआरए प्रकरण क्र. 21494 आ.दि. 11.08. 08, 16.06.09 व 27.10. 09 द्वारा अमान्य।	आवेदिका के पिता का परिवार ग्राम की अंतिम परिवार सूची में क्र. 80 पर दर्ज है, जिसमें आवेदिका का नाम अंकित नहीं है। जीआरए द्वारा भी आवेदन अमान्य किया गया है। अतः अपात्र है।
253 AKH-245	गुलाबबाई / मांगीलाल / एखंड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत।	आवेदिका के पुत्र लखन को पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 86 पर रु. 34350/- का भुगतान किया गया है। आवेदिका के पति को कृषि एफआरएल ग.प.क्र. 61 पर 137358/-दी गई है।	जीआरए प्रकरण क्र. 28578 आ.दि. 01.06.09	आवेदिका का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची में क्र. 54 पर पुत्र लखन के साथ माता (आश्रित) के रूप में दर्ज होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

<b>ग्राम का नाम : एखण्ड</b>			<b>आवेदन पत्र का प्रकार :</b>	<b>7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत</b>			
254 AKH-244	जैतुनबाई / नबीबक्स / एखंड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत। 77339/-, कृषि ग.प.क्र. 86 पर राशि रु. 68175/- तथा आवेदिका के पुत्र को पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 23 पर राशि रु. 14350/- का भुगतान किया गया है तथा पुत्र को इनपुन पर भूखंड क्र. बी-249वीं दिया गया है।	आवेदक को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 30 पर मुआवजा राशि रु.	जीआरए प्रकरण क्र. 21713 आ.दि. 16.06.09 द्वारा अमान्य।	आवेदिका का नाम पुत्र गुलाब के साथ परिवार सूची क्र. 13 पर माता (आश्रित) के रूप में दर्ज होने से अनुदान नहीं दिया गया है।		
255 AKH-243	राकेश, बसंत / पन्नालाल / एखंड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक बसंत को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 126 पर मकान व भूखंड की मुआवजा राशि रु. 34416/- भुगतान की गई है।	जीआरए प्रकरण क्र. 21427 आ.दि. 02.05.09 तथा प्रकरण क्र. 21470 आ.दि. 05.08.08 व प्रकरण क्र. 16287 आ.दि. 24.04.09 व 18.05.07 द्वारा अमान्य।	आवेदक का नाम ग्राम की परिवार सूची में दर्ज नहीं है। जीआरए द्वारा भी पुनर्वास अनुदान हेतु अमान्य किया गया है। अतः अनुदान हेतु पात्र नहीं है।		
256 AKH-241	रमेश / शारदाबाई / एखंड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक के नाना मांगीलाल को कृषि एफआरएल ग.प.क्र. 61 पर भूमि व टनय की मुआवजा राशि रु. 137358/- भुगतान की गई छों	--	आवेदक का नाम ग्राम की परिवार सूची में दर्ज नहीं है। उसकी कोई संपत्ति का भी अर्जन नहीं किया गया है। अतः अनुदान हेतु पात्र नहीं है।		

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

257 AKH-239 दीपक / आत्माराम / एखंड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक को संयुक्त खाते में एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 174 पर मकान भूखंड की मुआवजा राषि रु. 170593/- दी गई है। आवेदक के भाईयों को पुनर्वास अनुदान का लाभ दिया गया है।	जीआरए प्रकरण क्र. 21555 आ.दि. 22.07.08, 16.06.09 व 26.10.09 द्वारा अमान्य।	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची में भाई कृष्णराव के साथ क्र. 100 पर भाई के रूप में दर्ज होकर आयु 16 वर्ष दर्ज है। अवयस्क होने से अनुदान की पात्रता नहीं है। जीआरए द्वारा भी आवेदन अमान्य किया गया है।
258 AKH-238 किसन / बुधन / एखंड	भूमिहीन परिवार के रूप में 2.5 लाख रु0 विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 304 पर रु. 67500/- का भुगतान किया गया है।	--	आवेदक को अन्य मजदूर (भूमिहीन) के मान से पुनर्वास अनुदान की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है। अब अनुदान की कोई पात्रता नहीं है।
259 AKH-236 खुशियाल / गोपाल / एखंड	भूमिहीन परिवार के रूप में 2.5 लाख रु0 विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 197 पर रु. 76850/- का भुगतान किया गया है।	--	आवेदक को अन्य मजदूर (भूमिहीन) के मान से पुनर्वास अनुदान की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है। अब अनुदान की कोई पात्रता नहीं है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**दूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

260	AKH-235 रामलाल / गोपाल / एखण्ड	भूमिहीन परिवार के रूप में 2.5 लाख रु0 विशेष अनुदान दिये जाने बाबत	आवेदक को पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 196 पर रु. 76850/- का भुगतान किया गया है।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 202 पर रु. 14350/- का भुगतान किया गया है तथा पुनर्वास सिल इनपुन पर भूखंड क्र. ए-194 आवंटित किया गया है।	--	आवेदक को अन्य मजदूर (भूमिहीन) के मान से पुनर्वास अनुदान की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है। अब अनुदान की कोई पात्रता नहीं है।
261	AKH-228 दिनेश / तुलसीराम / एखण्ड	भूमिहीन परिवार के रूप में 2.5 लाख रु0 विशेष अनुदान दिये जाने बाबत	आवेदक को पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 202 पर रु. 14350/- का भुगतान किया गया है तथा पुनर्वास सिल इनपुन पर भूखंड क्र. ए-194 आवंटित किया गया है।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 202 पर रु. 14350/- का भुगतान किया गया है तथा पुनर्वास सिल इनपुन पर भूखंड क्र. ए-194 आवंटित किया गया है।	--	पिता के नाम कृषि भूमि होने से आवेदक को पात्रतानुसार कृषि व्यवसाय के मान से पुनर्वास अनुदान की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है। अब अनुदान की कोई पात्रता नहीं है।
262	AKH-401 महेश / आनंदराम / एखण्ड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक के पिता को संयुक्त खाते में एफआरएल आबादी ग. 21663 आ.दि. 06.08.08 प.क्र. 279 मुआवजा राशि रु. 214686/- तथा कृषि ग.प. क्र. 51 पर राशि रु. 86158/- भुगतान की गई है। आवेदक के काका देवकरण के परिवार को परिवार सूची क्र. 167 में शामिल कर पुनर्वास अनुदान (ग.प.क्र. 260) दिया गया है।	जीआरए प्रकरण क्र. व 26.10.09 द्वारा अमान्य।	आवेदक व उसके पिता का नाम ग्राम की परिवार सूची में दर्ज नहीं है। जीआरए द्वारा भी पुनर्वास अनुदान हेतु अमान्य किया गया है। अतः अनुदान हेतु पात्र नहीं है।	

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

263 AKH-205	राधाबाई / राधेश्याम / एखंड	भूमिहीन के रूप में पुनर्वास अनुदान देने बाबत।	आवेदिका की सास सुंदरबाई डोंगरिया के नाम एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 257 पर मकान क. व भूखण्ड की मुआवजा राषि रु. 34385/-दी गई है।	जीआरए प्रकरण क्र. 27518 आ.दि. 13.05.09 के द्वारा आवेदिका की सास सुंदरबाई बेवा डोंगरिया का आवेदन पुनर्वास अनुदान हेतु अमान्य किया गया है।	आवेदिका तथा उसके परिवार के सदस्य का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची में दर्ज नहीं है। जीआरए द्वारा भी आवेदिका की सास का आवेदन अमान्य किया गया है।
264 AKH-359	जफर / इलाही / एखण्ड	भूमिहीन के रूप में अनुदान देने बाबत।	आवेदक को एफआरएल आबादी गणना पत्रक क्रमांक 32 पर आबादी भूखण्ड की मुआवजा राशि 9793 रु0 दिया गया है।	जीआरए प्रकरण क्रमांक 16513 आदेश दिनांक 18.05.07 द्वारा अमान्य किया गया।	जीआरए द्वारा अमान्य
265 AKH-107	कोमल / नादानसिंह / एखंड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक को बीडब्ल्यूएल आबादी ग.प.क्र. 4 पर मकान की मुआवजा राषि रु. 77198/-दी गई है।	जीआरए प्रकरण क्र. 21536 आ.दि. 16.06.09 व 26.10.09 द्वारा अमान्य।	पात्र नहीं है।
266 AKH-106	राकेश / नथू / एखंड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक के पिता को पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 288 पर रु. 46500/- का भुगतान किया गया है तथा पुनर्वास सिल एखंड पर भूखण्ड क्र. 76 आवंटित किया गया है।	--	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची में पिता के साथ क्र. 185 पर दर्ज होकर आयु 17 वर्ष दर्ज है। अवयस्क होने से अनुदान की पात्रता नहीं है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र	पंजी. क्र	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
-----	-----------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

267 AKH-105	सालकराम / भाईराम / एखंड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक के भाई अशोक को पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 246 पर रु. 76850/- का भुगतान किया गया है।	जीआरए प्रकरण क्र. 17027 आ.दि. 09.05.07 व प्रकरण क्र. 21768 आ.दि. 16.07.08 द्वारा अमान्य।	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची में भाई के परिवार में क्र. 157 पर भाई के रूप में दर्ज होकर आयु 17 वर्ष दर्ज है। अवयस्क होने से अनुदान की पात्रता नहीं है। जीआरए द्वारा भी आवेदन अमान्य किया गया है।
268 AKH-104	मेवाबाई / कडवाजी / एखंड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 53 पर मकान भूखंड की मुआवजा राषि रु. 32860/- दी गई है।	जीआरए प्रकरण क्र. 15866 आ.दि. 19.04.07 व प्रकरण 6. 21523 आ.दि. 19.08.08, 15.06.09 व 26.10.09 द्वारा अमान्य।	आवेदक का नाम ग्राम की परिवार सूची में दर्ज नहीं है। जीआरए द्वारा भी पुनर्वास अनुदान हेतु अमान्य किया गया है। अतः अनुदान हेतु पात्र नहीं है।
269 AKH-103	हरेराम / रेवाराम / एखंड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक के पिता को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 193 पर मकान भूखंड की मुआवजा राषि रु. 37443/- का भुगतान किया गया है।	जीआरए प्रकरण क्र. 21674 आ.दि. 21.07.08, 15.06.09 व 26.10.09 द्वारा अमान्य।	आवेदक एवं उसके पिता का नाम ग्राम की परिवार सूची में दर्ज नहीं है। जीआरए द्वारा भी पुनर्वास अनुदान हेतु अमान्य किया गया है। अतः अनुदान हेतु पात्र नहीं है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**दूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

270	AKH-102	सदाशिव / रेवाराम / एखण्ड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत   37443/-	आवेदक के पिता को आबादी एफआरएल ग.प.क्र. 193 पर भूखंड व मकान की राशि का भुगतान किया गया है।	जीआरए प्रकरण क्र. 21676 आ.दि. 16.07.08 व 15.06.09 द्वारा अमान्य।	आवेदक व उसके पिता का नाम ग्राम की परिवार सूची में दर्ज नहीं है। जीआरए द्वारा भी पुनर्वास अनुदान हेतु अमान्य किया गया है। अतः अनुदान हेतु पात्र नहीं है।
271	AKH-314	ऐचानसिंह / खुमसिंह / एखण्ड	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदक के पिता को पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 319 पर पुनर्वास अनुदान राशि रु. 43700 भुगतान की गई है।	जीआरए प्रकरण क्रमांक 15406 दिनांक 28.10.06 द्वारा अमान्य	जीआरए द्वारा अमान्य। भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत् वर्तमान में कार्ड प्रावधान ही है।
272	AKH-100	गंगाधर / मंशाराम / एखण्ड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत	आवेदक के पिता को पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 57 पर रु. 14350/- का भुगतान किया गया है तथा पुनर्वास स्थल एखण्ड पर भूखंड क्र. 62 आवंटित किया गया है।	जीआरए प्रकरण क्र. 21781 आ.दि. 06.08. 08, 15.06.09 व 27.10. 09 द्वारा अमान्य।	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची में पिता के साथ क्र. 34 पर दर्ज होकर आयु 17 वर्ष दर्ज है। अवयस्क होने से अनुदान की पात्रता नहीं है। जीआरए द्वारा भी आवेदन अमान्य किया गया है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : एखण्ड		आवेदन पत्र का प्रकार :		7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत			
273	AKH-392 तोताराम / रतन / एखण्ड	भूमिहीन परिवार के 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	भूमिहीन परिवार के 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	जीआरए प्रकरण क्रमांक 21604 आदेश दिनांक 16.06.09 के द्वारा मान्य होकर पुनर्वास अनुदान 42500 रु. एवं पुनर्वास स्थल एखण्ड पर भूखण्ड क्रमांक 72 दिया गया।	जीआरए प्रकरण क्रमांक 21604 आदेश दिनांक 16.06.09 के द्वारा मान्य	पात्रतानुसार पुनर्वास नीति की पुनर्वास अनुदान के नियमानुसार समस्त लाभ दिया गया है। वर्तमान में विषेष पैकेज देने संबंधी कोई प्रावधान नहीं है।	
274	AKH-356 मंशाराम / मोजीलाल / एखण्ड	भूमिहीन परिवार के 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	भूमिहीन परिवार के 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदक को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 210 पर मकान व भूखण्ड की मुआवजा राशि रु. 82220/- भुगतान की गई है तथा पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 201 पर पुनर्वास अनुदान राशि रु. 76850 भुगतान की गई है।	--	आवेदक को पात्रतानुसार पुनर्वास अनुदान दिया गया है। भूमिहीन परिवार के रुप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत् का वर्तमान में कोई प्रावधान नहीं है।	
275	AKH-358 रियाज / इलाही / एखण्ड	भूमिहीन के रुप में अनुदान देने बाबत्	भूमिहीन के रुप में अनुदान देने बाबत्	आवेदक को एफआरएल आबादी गणना पत्रक क्रमांक 32 पर आबादी भूखण्ड की मुआवजा राशि 9793 रु0 दिया गया है।	आवेदक के पिता का जीआरए प्रकरण क्रमांक 16513 आदेश दिनांक 18.05.07 द्वारा अमान्य किया गया।	जीआरए द्वारा अमान्य किया गया।	
276	AKH-208 रुपनारायण / सकाराम / एखण्ड	भूमिहीन परिवार के रुप में 2.5 लाख रु0 विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	भूमिहीन परिवार के रुप में 2.5 लाख रु0 विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदक को बीडब्ल्यूएल पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 1 पर रु. 46500/- एवं जीआरए द्वारा मान्य कंडिका 7.2 की राशि रु. 16506/- का लाभ दिया गया है।	जीआरए प्रकरण क्र. 21812 आ.दि.16.07.08 द्वारा कंडिका 7.2 हेतु मान्य।	आवेदक को अन्य मजदूर (भूमिहीन) के मान से पुनर्वास अनुदान की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है। अब अनुदान की कोई पात्रता नहीं है।	

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

277 AKH-342	संतोषबाई / झूबू / एखण्ड	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपयों का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदिका के पति को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 218 पर मकान व भूखंड की मुआवजा राशि रु. 45148/- भुगतान की गई है।	--	आवेदिका का नाम अंतिम परिवार सूची में पत्ति के रूप में दर्ज हाने से पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं है। भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपयों का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत् का वर्तमान में कोई प्रावधान नहीं है।
278 AKH-274	कोमल / नादानसिंह / एखण्ड	अनुदान राशि एवं भूखंड मिलने बाबत्	आवेदक को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 4 पर मकान व भूखंड की मुआवजा राशि रु. 77198/- भुगतान की गई है।	जीआरए प्रकरण क्रमांक 21536 आदेश दिनांक 16.06.09 द्वारा अमान्य	जीआरए द्वारा अमान्य किया गया।
279 AKH-348	सुकदेव / लक्ष्मण / एखण्ड	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपयों का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	--	जीआरए प्रकरण क्रमांक 28008 आदेश दिनांक 15.05.09 द्वारा अमान्य	जीआरए द्वारा अमान्य
280 AKH-247	जयमल / मोतीराम / एखण्ड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत्	आवेदक को पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 341 पर रु. 43700/- का भुगतान किया गया है।	--	आवेदक को पात्रतानुसार पुनर्वास अनुदान का लाभ दिया जा चुका है। अब पुनः पात्रता नहीं है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

281	AKH-347	धन्नालाल / केसरा / एखण्ड	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदक को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 214 पर मकान व भूखंड की मुआवजा राशि रु. 60082/- भुगतान की गई है तथा पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 206 पर पुनर्वास अनुदान राशि रु. 76850 भुगतान की गई है।	—	आवेदक को पात्रतानुसार पुनर्वास नीति अनुसार समस्त लाभ प्रदान किये जा चुके हैं। भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत् का वर्तमान में काई प्रावधान नहीं है।	
282	AKH-264	गोपाल / गंगाराम / एखंड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत्।	आवेदक को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 39 पर मकान व भूखंड की मुआवजा राशि रु. 41711/- भुगतान की गई है।	जीआरए प्रकरण क्र. 21588 आ.दि.03.09.08, 16.06.09, 17.10.09 तथा प्रकरण 15889 आ. दि. 02.04.07 द्वारा	आवेदक का नाम ग्राम की परिवार सूची में दर्ज नहीं है। जीआरए द्वारा भी तथा प्रकरण 15889 आ. पुनर्वास अनुदान हेतु अमान्य किया गया है। अतः अनुदान अमान्य।	आवेदक का नाम ग्राम की परिवार सूची में दर्ज नहीं है। जीआरए द्वारा भी तथा प्रकरण 15889 आ. पुनर्वास अनुदान हेतु अमान्य किया गया है। अतः अनुदान अमान्य।
283	AKH-346	बनसिंह / श्यामलाल / एखण्ड	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदक के पिता को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 291 पर मकान व भूखंड की मुआवजा राशि रु. 46149/- भुगतान की गई है तथा ओवेदक को पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 277 पर पुनर्वास अनुदान राशि रु. 62500 भुगतान की गई है।	—	आवेदक को पात्रतानुसार पुनर्वास नीति के अनुसार पुनर्वास अनुदान का भुगतान किया जा चुका है। भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत् का कोई प्रावधान वर्तमान में नहीं है।	आवेदक को पात्रतानुसार पुनर्वास नीति के अनुसार पुनर्वास अनुदान का भुगतान किया जा चुका है। भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत् का कोई प्रावधान वर्तमान में नहीं है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

284 AKH-345	नानीबाई / बाबू / एखण्ड	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदक को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 260 पर मकान व भूखंड की मुआवजा राशि रु. 33237/- भुगतान की गई है तथा पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 250 पर पुनर्वास अनुदान राशि रु. 76850 भुगतान की गई है।	--	आवेदक को पुनर्वास अनुदान पुर्नवास नीति के अनुसार दिया गया है। भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत् का वर्तमान में कोई प्रावधान नहीं है।
285 AKH-344	अमर / चैन्या / एखण्ड	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदक को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 255 पर मकान की मुआवजा राशि रु. 14821/- भुगतान की गई है।	आवेदिका की माता का जीआरए प्रकरण क्रमांक 21508 आदेश दिनांक 01.12.08 द्वारा अमान्य	आवेदिका की माता का जीआरए द्वारा अमान्य किये जाने से पात्रता नहीं है। भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत् का वर्तमान में काई प्रावधान नहीं है।
286 AKH-386	देवीसिंग / गंजी / एखण्ड	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	--	जीआरए प्रकरण क्रमांक 27962 आदेश दिनांक 13.05.09 द्वारा अमान्य	जीआरए द्वारा अमान्य। वर्तमान में भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत् का कोई प्रावधान नहीं है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

287	Akh-350 बलीराम / निशा / एखण्ड	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदक को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 72 पर मकान व भूखंड की मुआवजा राशि रु. 28127/- भुगतान की गई है तथा पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 58 पर पुनर्वास अनुदान राशि रु. 67500 भुगतान की गई है।	—	आवेदक को पात्रतानुसार पुनर्वास अनुदान का भुगतान किया जा चुका है। भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत् का वर्तमान में कोई प्रावधान नहीं है।
288	AKH-385 शांताबाई / देवराम / एखण्ड	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	—	जीआरए प्रकरण क्रमांक 21575 आदेश दिनांक 12.06.09 के द्वारा अमान्य	जीआरए द्वारा अमान्य। भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत् वर्तमान में काई प्रावधान नहीं है।
289	AKH-353 कड़वा / बावरियॉ / एखण्ड	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदक को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 221 पर मकान व भूखंड की मुआवजा राशि रु. 56372/- भुगतान की गई है तथा पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 214 पर पुनर्वास अनुदान राशि रु. 76850 भुगतान की गई है।	—	आवेदक का पात्रतानुसार पुनर्वास अनुदान का भुगतान किया गया है। भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत् का वर्तमान में कई प्रावधान नहीं है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

290	AKH-340	अनिल / पूनाजी / एखण्ड	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदक को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 215 पर मकान व भूखंड की मुआवजा राशि रु. 39336/- भुगतान की गई है तथा पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 248 पर पुनर्वास अनुदान राशि रु. 38700 भुगतान की गई है।	--	आवेदक को पात्रतानुसार पुनर्वास अनुदान स्वीकृत कर भुगतान किया गया है। भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत् का वर्तमान में काई प्रावधान नहीं है।
291	AKH-339	राजाराम / बावरियॉ / एखण्ड	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदक को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 220 पर मकान व भूखंड की मुआवजा राशि रु. 84973/- भुगतान की गई है तथा पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 212 पर पुनर्वास अनुदान राशि रु. 76850 भुगतान की गई है।	--	आवेदक को पुनर्वास नीति के अनुसार पुत्रतानुसार पुनर्वास अनुदान दिया गया है। भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत् का वर्तमान में काई प्रावधान नहीं है।
292	AKH-338	कंचन / तुलसीराम / एखण्ड	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	--	जीआरए प्रकरण क्रमांक 21606 आदेश दिनांक 01.06.09 द्वारा अमान्य	जीआरए द्वारा अमान्य। भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत् का वर्तमान में कोई प्रावधान नहीं है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	---------------	--	---------------	--	---	--	------------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

293 AKH-337	गंगाराम / भूमिहीन परिवार के अमरसिंह / एखण्ड रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रूपयें का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदक को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 204 पर मकान व भूखंड की मुआवजा राशि रु. 17780/- भुगतान की गई है।	जीआरए प्रकरण क्रमांक 21564 आदेश दिनांक 18.06.09, 26.06. 10 द्वारा अमान्य।	जीआरए द्वारा अमान्य। भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रूपयें का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत् का वर्तमान में कोई प्रावधान नहीं है।	
294 AKH-379	शिवराम / भूमिहीन परिवार के बावलियाँ / एखण्ड रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रूपयें का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	--	--	आवेदक की किसी संपत्ति का अज्ञन नहीं किया गया है। अतः आवेदक को पात्रता नहीं आती है।	
295 AKH-380	जयराम / बाबू / एखण्ड	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रूपयें का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदक को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 240 पर मकान व भूखंड की मुआवजा राशि रु. 55619/- भुगतान की गई है तथा पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 235 पर पुनर्वास अनुदान राशि रु. 76850 भुगतान की गई है।	--	आवेदक को पात्रतुनसार पुनर्वास अनुदान स्वीकृत कर भुगतान किया गया है। वर्तमान में भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रूपयें का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत् का कार्य प्रावधान नहीं है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : एखण्ड			आवेदन पत्र का प्रकार :	7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत			
296	AKH-381	बिहारी / किशन / एखण्ड	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदक को बीडब्ल्युएल में ग.प.क्र. 3 पर मकान की मुआवजा राशि रु. 34168/- भुगतान की गई है तथा पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 4 पर पुनर्वास अनुदान राशि रु. 67500 भुगतान की गई है।	--	आवेदक को पात्रतानुसार पुनर्वास अनुदान स्वीकृत कर भुगतान किया जा चुका है। वर्तमान में भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत् कोई प्रावधान नहीं है।	
297	AKH-382	छगन / नत्थू / एखण्ड	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	--	--	आवेदक की किसी भी सपत्ति का अर्जन नहीं किया गया है। अतः आवेदक को पात्रता नहीं आती है।	
298	AKH-383	राजाराम / लालचंद्र / एखण्ड	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदक को एफआरएल आबादी ग.प.क्र.242 पर राशि 62118 रु0 एवं पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 76850 रु0 का भुगतान किया गया है।	--	आवेदक को पात्रतानुसार पुनर्वास अनुदान स्वीकृत कर भुगतान किया जा चुका है वर्तमान में भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत् कोई प्रावधान नहीं है।	

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

299 AKH-384	मयाराम / सुकलाल / एखण्ड	भूमिहीन परिवार के 2.5 लाख रूपयों का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	—	—	आवेदक की किसी संपत्ति का अर्जन नहीं किया गया है। भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रूपयों का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत् वर्तमान में काई प्रावधान नहीं है।		
300 AKH-343	पूनम / चेना / एखण्ड	भूमिहीन परिवार के रूप में अनुदान देने बाबत्।	आवेदक को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 339 पर मकान व भूखंड की मुआवजा राशि रु. 18395/- भुगतान की गई है।	जीआरए प्रकरण क्रमांक 21803 आदेश दिनांक 16.07.08 द्वारा अमान्य	जीआरए द्वारा अमान्य किया गया।		
301 AKH-332	कड़वा / प्रताप / एखण्ड	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रूपयों का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदक को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 25 पर मकान व भूखंड की मुआवजा राशि रु. 64467/- भुगतान की गई है तथा पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 60 पर पुनर्वास अनुदान राशि रु. 67500 भुगतान की गई है।	—	आवेदक को पातत्रानुसार पुनर्वास अनुदान दिया जाचका है। भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रूपयों का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत् वर्तमान में काई प्रावधान नहीं है।		
302 AKH-390	हरेराम / रेवाराम / एखण्ड	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रूपयों का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	—	जीआरए प्रकरण क्रमांक 21674 आदेश दिनांक 21.07.08 एवं 26.10.08 द्वारा अमान्य	जीआरए द्वारा अमान्य		

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	---------------	--	---------------	--	---	--	------------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

303 AKH-248 सखुराम / दयाराम / एखण्ड	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपयों का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत	आवेदक के पिता को पुनर्वास अनुदान 43700 रु0 दिया गया है।	—	जीआरए प्रकरण क्रमांक 21725 आदेश दिनांक 06.12.08 द्वारा अमान्य	जीआरए द्वारा अमान्य
304 AKH-265 विजेन्द्र / राधेश्याम / एखंण्ड	भूमिहीन के रूप में अनुदान देने बाबत	आवेदक को पिता को पुनर्वास अनुदान 43700 रु0 दिया गया है।	—	आवेदक के पिता के नाम से कृषि भूमि होने से आवेदक के पिता को कृषि के नाम से पुनर्वास अनुदान दिया गया है। आवेदक की उम्र अंतिम परिवार सूची में 10 वर्ष दर्ज होने से पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं है।	
305 AKH-266 रमेश / देवराम / एखंण्ड	भूमिहीन के रूप में अनुदान देने बाबत	आवेदक को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 269 पर मकान व भूखंड की मुआवजा राशि रु. 49992/- भुगतान की गई है तथा पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 13 पर पुनर्वास अनुदान राशि रु. 34350 भुगतान की गई है।	—	आवेदक के पिता के नाम से कृषि भूमि होने से आवेदक को कृषि के मान से पुनर्वास अनुदान दिया गया है।	

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**दूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

306	AKH-273	महेश / केशरीलाल / एखण्ड	पुनर्वास अनुदान प्राप्ति हेतु	आवेदक को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 136 पर मकान व भूखंड की मुआवजा राशि रु. 42684/- भुगतान की गई है, कृषि अवार्ड ग.प. क्र. 175 पर कृषि भूमि की मुआवजा राशि रु. 799/- भुगतान की गई है, ।	—	आवेदक का नाम परिवार सूची में नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया है।
307	AKH-283	सीमा / केशरीलाल / एखण्ड	पुनर्वास अनुदान प्राप्ति हेतु	आवेदक को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 136 पर मकान व भूखंड की मुआवजा राशि रु. 42684/- भुगतान की गई है, कृषि अवार्ड ग.प. क्र. 175 पर कृषि भूमि की मुआवजा राशि रु. 799/- भुगतान की गई है, ।	—	आवेदक का नाम परिवार सूची में नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया है।
308	AKH-315	रुखमनी / सखाराम / एखण्ड	भूमिहीन के रूप में अनुदान देने बाबत्	आवेदक को ग.प.क्र. 15 पर मकान व भूखंड की मुआवजा राशि रु. 20898/- भुगतान की गई है । तथा पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 2 पर पुनर्वास अनुदान राशि रु. 67500 भुगतान की गई है।	—	आवेदिका की नाम अंतिम परिवार सूची में दर्ज नहीं हाने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया है। भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत् वर्तमान में काइ प्रावधान नहीं है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : एखण्ड		आवेदन पत्र का प्रकार :		7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत			
309	AKH-328 केलाश / लक्ष्मण / एखण्ड	भूमिहीन परिवार के 2.5 लाख रूपयों का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदक को एफआरएल रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रूपयों का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदक को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 332 पर मकान व भूखंड की मुआवजा राशि रु. 118923/- भुगतान की गई है तथा पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 328 पर पुनर्वास अनुदान राशि रु. 23700 भुगतान की गई है। पुनर्वास स्थल पर भूखण्ड देना शेष है।	--	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रूपयों का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत् वर्तमान में कोई प्रावधान नहीं है।	
310	AKH-329 सुन्दर / रमेश / एखण्ड	भूमिहीन परिवार के 2.5 लाख रूपयों का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदक के पिता को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 235 पर मकान व भूखंड की मुआवजा राशि रु. 73227/- भुगतान की गई है तथा पुनर्वास अनुदान राशि रु. 67500 भुगतान की गई है।	आवेदक का जीआरए प्रकरण क्रमांक 21540 दिनांक 05.12.08 द्वारा अमान्य	जीआरए द्वारा अमान्य भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रूपयों का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत् वर्तमान में कोई प्रावधान नहीं है।		
311	AKH-349 अजब / जोगीलाल / एखण्ड	भूमिहीन परिवार के 2.5 लाख रूपयों का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदक को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 307 पर मकान व भूखंड की मुआवजा राशि रु. 19069/- भुगतान की गई है तथा पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 287 पर पुनर्वास अनुदान राशि रु. 67500 भुगतान की गई है।	--	आवेदक को पात्रतानुसार पुनर्वास अनुदान का भुगतान किया जा चुका है। भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रूपयों का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत् का वर्तमान में कोई प्रावधान नहीं है।		

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

312 AKH-331	महेश / प्रताप / एखण्ड	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदक को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 77 पर मकान व भूखंड की मुआवजा राशि रु. 176431/- भुगतान की गई है तथा पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 70 पर पुनर्वास अनुदान राशि रु. 67500 भुगतान की गई है।	—	आवेदक को पातत्रानुसार पुनर्वास अनुदान दिया जा चका है। भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत् वर्तमान में काई प्रावधान नहीं है।
313 AKH-391	सदाशिव / रेवाराम / एखण्ड	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	—	जीआरए प्रकरण क्रमांक 21676 आदेश दिनांक 16.07.08 द्वारा अमान्य	जीआरए द्वारा अमान्य
314 AKH-333	अशोक / भाईराम / एखण्ड	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदक को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 254 पर मकान व भूखंड की मुआवजा राशि रु. 52542/- भुगतान की गई है तथा पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 246 पर पुनर्वास अनुदान राशि रु. 76850 भुगतान की गई है।	—	आवेदक को पातत्रानुसार पुनर्वास अनुदान दिया जा चका है। भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत् वर्तमान में काई प्रावधान नहीं है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क0	पंजी. क0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
----	-------------	--	---------------	--	---	--	------------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

315 AKH-334	कडवाजी / गंगाराम / एखण्ड	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदक को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 324 पर मकान व भूखंड की मुआवजा राशि रु. 18967/- भुगतान की गई है तथा पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 296 पर पुनर्वास अनुदान राशि रु. 67500 भुगतान की गई है।	---	आवेदक को पातत्रानुसार पुनर्वास अनुदान दिया जा चका है। भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत् वर्तमान में काई प्रावधान नहीं है।
316 AKH-335	बसन्त / सखाराम / एखण्ड	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदक को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 16 पर मकान की मुआवजा राशि रु. 14842/- भुगतान की गई है तथा पुनर्वास अनुदान ग.प. क्र. 3 पर पुनर्वास अनुदान राशि रु. 67500 भुगतान की गई है।	---	आवेदक को पातत्रानुसार पुनर्वास अनुदान दिया जा चका है। भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत् वर्तमान में काई प्रावधान नहीं है।
317 AKH-336	राधेश्याम / भाईराम / एखण्ड	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 220 पर 43700 रु. दिया गया है।	---	आवेदक को पातत्रानुसार पुनर्वास अनुदान दिया जा चका है। भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत् का वर्तमान में कोई प्रावधान नहीं है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : एखण्ड		आवेदन पत्र का प्रकार :	7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत
318	AKH-389 मुन्शी / बन्या / एखण्ड	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	-- जीआरए प्रकरण क्रमांक 21490 आदेश दिनांक 15.09.08 द्वारा अमान्य
319	AKH-388 संतोष / झाङ्कु / एखण्ड	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदिका के पति को एफआरएल आबादी के संयुक्त खाते में ग.प.क्र. 218 पर मकान व भूखंड की मुआवजा राशि रु. 45148/- भुगतान की गई है तथा पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 209 पर पुनर्वास अनुदान राशि रु. 43700 भुगतान की गई है। आवेदिका का नाम अंतिम परिवार सूची में पल्लि के रूप में दर्ज है। आवेदिका के पति को पात्रतानुसार पुनर्वास अनुदान एवं मुआवजा स्वीकृत कर भुगतान किया गया है। भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने का वर्तमान में कोई प्रावधान नहीं है।
320	AKH-387 रतन / देवीसिंग / एखण्ड	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	-- जीआरए प्रकरण क्रमांक 21648 आदेश दिनांक 24.04.09 द्वारा अमान्य

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

321 AKH-376 श्रीराम / धिसाजी / एखण्ड	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदक को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 22 पर मकान व भूखंड की मुआवजा राशि रु. 56693/- भुगतान की गई है तथा पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 17 पर पुनर्वास अनुदान राशि रु. 34350 भुगतान की गई है।	—	आवेदक को पात्रतानुसार पुनर्वास अनुदान स्वीकृत कर भुगतान किया गया है। भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत् वर्तमान में इस संबंध कोई प्रावधान नहीं है।
--------------------------------------	---	---	---	---

322 AKH-355 गंगाराम / शिव / एखण्ड	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदक को एफआरएल कृषि ग.प.क्र. 224 पर मकान की मुआवजा राशि रु. 23862/- भुगतान की गई है तथा पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 307 पर पुनर्वास अनुदान राशि रु. 47500 भुगतान की गई है। पुनर्वास स्थल एखण्ड पर भूखंड क्र. ए-75 आवंटित किया गया है।	—	आवेदक को पात्रतानुसार पुनर्वास अनुदान दिया जाचुका है। भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत् का वर्तमान में काई प्रावधान नहीं है।
-----------------------------------	---	---	---	--

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

323 AKH-354 नन्हु / मोजीलाल / एखण्ड	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रूपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदक को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 208 पर मकान व भूखंड की मुआवजा राशि रु. 58914/- भुगतान की गई है तथा पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 199 पर पुनर्वास अनुदान राशि रु. 76850 भुगतान की गई है।	—	आवेदक को पात्रतानुसार पुनवास अनुदान का भुगतान किया गया है। भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रूपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत् का वर्तमान कर्मों कार्ड प्रावधान नहीं है।
324 AKH-330 चक्रपतीबाई / तोताराम / एखण्ड	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रूपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदिका के पिता को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 300 पर मकान व भूखंड की मुआवजा राशि रु. 28505/- भुगतान की गई है तथा जीआरए प्रकरण क्रमांक 21604 दिनांक 15.06.09 के द्वारा पुनर्वास अनुदान राशि रु. 42500 भुगतान की गई है। पुनर्वास स्थल एखण्ड पर भूखंड क्र.72 आवंटित किया गया है।	आवेदिका के पिता को जीआरए प्रकरण क्रमांक 21604 दिनांक 15.06.09	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रूपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत् वर्तमान में कोई प्रावधान नहीं है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**दूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**      **आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

325 AKH-249	कुमारी नर्मदा / रामचंद्र / एखंड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत।	आवेदिका के पिता को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 312 पर मकान व भूखंड की मुआवजा राशि रु. 408540/- भुगतान की गई है।	जीआरए प्रकरण क्र. 21573 आ.दि. 01.06.09	जीआरए प्रकरण क्र. 21573 आ.दि. 01.06.09 द्वारा अमान्य।	आवेदिका व उसके पिता का नाम ग्राम की परिवार सूची में दर्ज नहीं है। जीआरए द्वारा भी पुनर्वास अनुदान हेतु अमान्य किया गया है। अतः अनुदान हेतु पात्र नहीं है।
-------------	---------------------------------	---	---	--	---	---

326 AKH-426	जितेन्द्र / कमलचंद्र / एखंड	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदक के पिता को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 46 पर मकान व भूखंड की मुआवजा राशि रु. 234393/- भुगतान की गई है तथा एवं आवेदक को पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 37 पर पुनर्वास अनुदान राशि रु. 67500 भुगतान की गई है।	--	आवेदक को पात्रतानुसार पुनर्वास स्वीकृत कर भुगतान किया गया है।
-------------	-----------------------------	---	---	----	---

327 AKH-425	सुरेश / इशराम / एखंड	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदक के पिता को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 293 पर मकान व भूखंड की मुआवजा राशि रु. 37008/- भुगतान की गई है तथा आवेदक को पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 280 पर पुनर्वास अनुदान राशि रु. 62500 भुगतान की गई है।	--	आवेदक को पात्रतानुसार पुनर्वास अनुदान स्वीकृत कर भुगतान किया गया।
-------------	----------------------	---	--	----	---

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**दूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : एखण्ड		आवेदन पत्र का प्रकार :	7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत
328	AKH-424 पूनाजी / बाल्या / एखण्ड	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपयों का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदक को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 258 पर मकान व भूखंड की मुआवजा राशि रु. 119380/- भुगतान की गई है तथा पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 247 पर पुनर्वास अनुदान राशि रु. 43700 भुगतान की गई है।
329	AKH-423 सूनील / जगदीश / एखण्ड	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपयों का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदक के पिता को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 299 पर मकान व भूखंड की मुआवजा राशि रु. 8161/- भुगतान की गई है तथा पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 112 पर पुनर्वास अनुदान राशि रु. 62500 भुगतान की गई है।
330	AKH-422 प्रेमलाल / रेवाराम / एखण्ड	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपयों का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	जीआरए प्रकरण क्रमांक 16277 आदेश दिनांक 18.05.07 के पालन में पुनर्वास अनुदान 88000 स्वीकृत कर भुगतान एवं 5000 रु. विस्थापन उपरात भुगतान किये जावेंगे।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

331 AKH-421	दिलीप / कमलचंद / एखण्ड	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदक के पिता को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 46 पर मकान व भूखंड की मुआवजा राशि रु. 234393/- भुगतान की गई है तथा एवं आवेदक को पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 37 पर पुनर्वास अनुदान राशि रु. 67500 भुगतान की गई है।	—	आवेदक को पात्रतानुसार पुनर्वास स्वीकृत कर भुगतान किया गया है।
332 AKH-420	प्रेमलाल / बाल्या / एखण्ड	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	जीआरए प्रकरण क्रमांक 16277 आदेश दिनांक 18.05.07 के पालन में पुनर्वास अनुदान 88000 स्वीकृत कर भुगतान एवं 5000 रु. विस्थापन उपरात भुगतान किये जावेंगे।	जीआरए प्रकरण क्रमांक 16277 आदेश दिनांक 18.05.07 द्वारा मान्य किया जाकर पालन किया	पात्रतानुसार पुनर्वास नीति की पुनर्वास अनुदान के नियमानुसार समस्त लाभ दिया गया है।
333 AKH-419	सुन्दरबाई / इशराम / एखण्ड	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदिका के पति को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 293 पर मकान व भूखंड की मुआवजा राशि रु. 37008/- भुगतान की गई है तथा आवेदिका के पति को पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 279 पर पुनर्वास अनुदान राशि रु. 62500 भुगतान की गई है।	—	आवेदिका के नाम अंतिम परिवार सूची में पति के रूप में दर्ज हाने से पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**दूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

334	AKH-418	विक्रम / हरप्रसाद / एखण्ड	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपयों का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदक को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 78 पर मकान व भूखंड की मुआवजा राशि रु. 68890/- भुगतान की गई है तथा पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 64 पर पुनर्वास अनुदान राशि रु. 67500 भुगतान की गई है।	--	आवेदक को पात्रतानुसार पुनर्वास अनुदान स्वीकृत कर भुगतान किया गया।
335	AKH-417	ताराचंद्र / चेन्या / एखण्ड	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपयों का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदक को जीआरए प्रकरण क्रमांक 21664 दिनांक 16.06.07 के पालन में पुनर्वास अनुदान स्वीकृत कर 68000 रु0 भुगतान किया गया है।	आवेदक को जीआरए प्रकरण क्रमांक 21664 दिनांक 16.06.07 द्वारा पालन किया गया	पुनर्वास नीति के नियमानुसार पात्रतानुसार पुनर्वास अनुदान का दिया जा चुका छें
336	AKH-361	फिरोजा / हुसैन / एखण्ड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत्।	आवेदक के पिता को पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 24 पर रु. 34350/- का भुगतान किया गया है।	जीआरए प्रकरण क्र. 15894 आ.दि. 20.08.07 द्वारा आवेदक के पिता का आवेदन अमान्य।	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची में पिता के साथ क्र. 14 पर दर्ज होकर आयु 13 वर्ष दर्ज है। अवयस्क होने से अनुदान की पात्रता नहीं है। जीआरए द्वारा भी आवेदक के पिता का आवेदन अमान्य किया गया है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र	पंजी. क्र	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
-----	-----------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : एखण्ड		आवेदन पत्र का प्रकार :		7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत			
337	AKH-83/1	शांताबाई / देवराम / एखण्ड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत। राशि रु. 63260/-दी गई है।	आवेदक को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 206 पर मकान भूखंड की मुआवजा गया है तथा पुनर्वास सिल एखण्ड पर भूखंड क्र. 47 आवंटित किया गया है।	जीआरए प्रकरण क्र. 15821 आ.दि. 27.10.06 व प्रकरण क्र. 21575 आ.दि. 12.06.09 व 03.09.08 द्वारा अमान्य है। जीआरए द्वारा भी पुनर्वास अनुदान हेतु अमान्य किया गया है। अतः अनुदान हेतु पात्र नहीं है।	आवेदक का नाम ग्राम की परिवार सूची में दर्ज नहीं है। जीआरए द्वारा भी पुनर्वास अनुदान हेतु अमान्य किया गया है। अतः अनुदान हेतु पात्र नहीं है।	
338	AKH-310	पांडुराव / लक्ष्मण / एखण्ड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक के पिता को पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 113 पर रु. 14350/- का भुगतान किया गया है तथा पुनर्वास सिल एखण्ड पर भूखंड क्र. 47 आवंटित किया गया है।	जीआरए प्रकरण क्र. 21596 आ.दि. 06.08.08 द्वारा अमान्य।	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची में पिता के साथ क्र. 69 पर दर्ज होकर आयु 17 वर्ष दर्ज है। अवयस्क होने से अनुदान की पात्रता नहीं है। जीआरए द्वारा भी आवेदन अमान्य किया गया है।	
339	AKH-429	अमान / नत्थु / एखण्ड	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रूपयें का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 197 पर मकान व भूखंड की मुआवजा राशि रु. 61797/- भुगतान की गई है तथा पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 193 पर पुनर्वास अनुदान राशि रु. 47500 भुगतान की गई है। पुनर्वास स्थल एखण्ड पर भूखंड क्र. ए-74 आवंटित किया गया है।	--	आवेदक को पात्रतानुसार पुनर्वास अनुदान स्वीकृत कर भुगतान किया गया है।	

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

340 AKH-407 महेशराव / रेवाराम / एखण्ड विस्थापित परिवार के सदस्यों को अनुदान राशि एवं प्लाट दिये जाने बाबत् आवेदक के पिता को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 103 पर मकान व भूखंड की मुआवजा राशि रु. 141616/- भुगतान की गई है।

जीआरए प्रकरण क्रमांक 21717 दिनांक 16.06.09 के अनुसार अमान्य

341 AKH-406 कृष्णराव / रेवाराम / एखण्ड विस्थापित परिवार के सदस्यों को अनुदान राशि एवं प्लाट दिये जाने बाबत् आवेदक के पिता को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 103 पर मकान व भूखंड की मुआवजा राशि रु. 141616/- एवं कृषि भूमि की 120562/- रु भुगतान की गई है।

जीआरए प्रकरण क्रमांक 21707 आदेश दिनांक 01.06.09 द्वारा अमान्य

342 AKH-74 बालकराम / देवचंद / एखण्ड पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत् — जीआरए प्रकरण क्र. 21685 आ.दि. 03.09. 08, 16.06.09, 27.10. 09 व 29.10.09 के द्वारा अमान्य। आवेदक का नाम ग्राम की परिवार सूची में दर्ज नहीं है। जीआरए द्वारा भी पुनर्वास अनुदान हेतु अमान्य किया गया है। अतः अनुदान हेतु पात्र नहीं है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

343	AKH-75 रेखाबाई / बबनराव / एखण्ड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत।	आवेदिका के पति को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 153 पर भूमि एवं अन्य की मुआवजा राषि रु. 317958/-दी गई है।	जीआरए प्रकरण क्र. 27565 आ.दि. 05.01.09	आवेदिका का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची क्र. 207 द्वारा अमान्य।	आवेदिका का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची के साथ माता (आश्रित) के रूप में दर्ज होने से अनुदान की पात्रता नहीं है। जीआरए द्वारा भी आवेदिका का आवेदन अमान्य किया गया है।
344	AKH-76 छीतर / कडवा / एखंड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक के पिता को पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 214 पर रु. 56850/- का भुगतान किया गया है तथा पुनर्वास स्थल इनपुन पर भूखंड क्र. सी-192 आवंटित किया गया है।	जीआरए प्रकरण क्र. 21831 में आ.दि. 21.07. 08 तथा 18.06.09 द्वारा अमान्य।	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची में पिता के साथ क्र. 132 पर दर्ज होकर आयु 13 वर्ष दर्ज है। अवयस्क होने से अनुदान की पात्रता नहीं है। जीआरए द्वारा भी आवेदन अमान्य किया गया है।	
345	AKH-77 नानीबाई / बाबू / एखंड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 250 पर रु. 76850/- का भुगतान किया गया है।	--	आवेदिका का नाम अंतिम परिवार सूची में दर्ज कर अन्य भूमिहीन मजदूर के मान से पुनर्वास अनुदान की समर्त कंडिकाओं का लाभ दिया गया है। अतः आवेदन निरस्ती योग्य है।	

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

346	AKH-78	चंपाबाई / मयालाल / एखंड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत।	आवेदिका को संयुक्त खाते में एफआरएल कृषि ग.प.क्र. 180 पर भूमि व मकान की मुआवजा राषि रु. 45082/-दी गई है।	जीआरए प्रकरण क्र. 28630 आ.दि. 11.06.09 व द्वारा अमान्य।	आवेदक का नाम ग्राम की परिवार सूची में दर्ज नहीं है। जीआरए द्वारा भी पुनर्वास अनुदान हेतु अमान्य किया गया है। अतः अनुदान हेतु पात्र नहीं है।
347	AKH-79	प्रहलाद / गणपत / एखंड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक के भाई को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 68 पर मकान भूखंड की मुआवजा राषि रु. 67119/- तथा पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 56 पर राषि रु. 67500/- स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक के भाई के परिवार का नाम परिवार सूची क्र. 33 पर अंकित है। आवेदक का नाम परिवार सूची में दर्ज नहीं है और नहीं उसके नाम से कोई संपत्ति अर्जित नहीं की गई है।
348	AKH-80	ननू / सखाराम / एखंड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 322 पर मकान भूखंड की मुआवजा राषि रु. 32332/-दी गई है।	जीआरए प्रकरण क्र. 21623 आ.दि 03.09.08 व 12.06.09 द्वारा अमान्य।	आवेदक का नाम ग्राम की परिवार सूची में दर्ज नहीं है। जीआरए द्वारा भी पुनर्वास अनुदान हेतु अमान्य किया गया है। अतः अनुदान हेतु पात्र नहीं है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र	पंजी. क्र	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
-----	-----------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

349	AKH-81	जितेन्द्र / राजाराम / एखण्ड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक के पिता को पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 212 पर रु. 56850/- का भुगतान किया गया है तथा पुनर्वास सिल इनपुन पर भूखंड क्र. सी-288 आवंटित किया गया है।	जीआरए प्रकरण क्र. 21762 आ.दि. 06.08.08 व 18.06.09 द्वारा अमान्य।	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची में पिता के साथ क्र. 131 पर दर्ज होकर आयु 13 वर्ष दर्ज है। अवयस्क होने से अनुदान की पात्रता नहीं है। जीआरए द्वारा भी आवेदन अमान्य किया गया है।
350	AKH-82	हुकुम / चुन्नीलाल / एखण्ड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 203 पर मकान भूखंड की मुआवजा राषि रु. 38918/-	जीआरए प्रकरण क्र. 21468 व 17673 में आ.दि. 13.08.08 व प्रकरण क्र. 21763 में आ.दि. 02.09.09 द्वारा अमान्य।	आवेदक का नाम ग्राम की परिवार सूची में दर्ज नहीं है। जीआरए द्वारा भी पुनर्वास अनुदान हेतु अमान्य किया गया है। अतः अनुदान हेतु पात्र नहीं है।
351	AKH-262	दिनेश / डोंगर / एखण्ड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक की माता सुंदरबाई को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 257 पर मकान व भूखंड की मुआवजा राषि रु. 34385/- भुगतान की गई है।	जीआरए प्रकरण क्र. 27518 आ.दि. 13.05.09 द्वारा आवेदक की माता का आवेदन अमान्य।	आवेदक व उसकी माता का नाम ग्राम की परिवार सूची में दर्ज नहीं है। जीआरए द्वारा भी पुनर्वास अनुदान आवेदक की माता का आवेदन हेतु अमान्य किया गया है। अतः अनुदान हेतु पात्र नहीं है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

352 AKH-628 सुकिया / कालू / भूमिहीन के रूप में आवेदक को ग्राम बिलाया के अनुदान देने बाबत। पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र.8 पर अन्य मजदूर के रूप में 75129 का लाभ दिया गया है।

—

आवेदक को भूमिहीन मजदूर के रूप में ही ग्राम बिलाया से पुनर्वास अनुदान दिया गया है। ग्राम एखण्ड में आवेदक की कोई संपत्ति झूब प्रभावित नहीं हुई है।

353 AKH-517 नवलसिंह / ऐरसिंह / एखण्ड भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्

आवेदक को एफआरएल निजी ग.प.क्र. 241 पर मकान की मुआवजा राशि रु. 24799/- भुगतान की गई है।

जीआरए प्रकरण क्रमांक 21455 आदेश दिनांक 03.09.08 द्वारा अमान्य किया गया।

354 AKH-378 दिनेश / रेवाराम / एखण्ड पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लाट दिये जाने बाबत।

आवेदक को संयुक्त खाते में एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 309 पर मकान भूखंड की मुआवजा राशि रु. 297527/- तथा आवेदक को जीआरए द्वारा स्वीकृत राशि रु. 14350 चैक क्र. 42073 दि. 04.06.09 द्वारा भुगतान की गई है।

जीआरए द्वारा प्रकरण क्र. 21672 में आदेश दिनांक 04.05.09 द्वारा मान्य आदेश का पालन किया गया है।

आवेदक की भूखंड की राशि 20000/- जमा है। आवेदक को पुनर्वास स्थल कोठी पर भूखंड प्रस्तावित किया है। आवेदक द्वारा भूखंड अभी नहीं लिया गया है। उसकी मांग है कि उक्त पुनर्वास स्थल पर सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जायें तो वह भूखंड लेने हेतु सहमत है। अतः आवेदन स्वीकार योग्य है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : एखण्ड		आवेदन पत्र का प्रकार :		7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत			
355 AKH-377	दिलीप / रेवाराम / एखण्ड	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लाट दिये जाने बाबत।	आवेदक को जीआरए द्वारा स्वीकृत पुनर्वास अनुदान की राशि रु. 14350 चैक क्र. 42075 दि. 04.06.09 द्वारा भुगतान की गई है।	जीआरए द्वारा प्रकरण क्र. 21571 में आदेश दिनांक 24.12.08 द्वारा मान्य आदेश का पालन किया गया है।	आवेदक की भूखंड की राशि 20000/- जमा है। आवेदक को पुनर्वास स्थल कोठी पर भूखंड प्रस्तावित किया है। आवेदक द्वारा भूखंड अभी नहीं लिया गया है। उसकी मांग है कि उक्त पुनर्वास स्थल पर सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाये तो वह भूखंड लेने हेतु सहमत है। अतः आवेदन स्वीकार योग्य है।		
356 AKH-368	राजेश / छज्जू / एखण्ड	विस्थापित परिवार को मकान का मुआवजा, अनुदान राशि व प्लाट प्रदाय करने बाबत।	आवेदक के पिता को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 255 पर केवल भूखंड की मुआवजा राशि रु. 15959/- भुगतान की गई है।	जीआरए प्रकरण क्र. 21694 आ.दि. 13.05.09 द्वारा अमान्य।	आवेदक के पिता के नाम ग्राम में केवल भूखंड अर्जित किया गया है। आवेदक का नाम ग्राम की परिवार सूची में दर्ज नहीं है। जीआरए द्वारा भी पुनर्वास अनुदान हेतु अमान्य किया गया है। अतः अन्य कोई भी लाभ हेतु पात्र नहीं है।		

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र	पंजी. क्र	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
-----	-----------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

357	AKH-73	मुकेश / सेवकराम / एखण्ड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत। राषि रु. 107426/- दी गई है।	आवेदक के पिता को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 42 पर मकान की मुआवजा है।	जीआरए प्रकरण क्र. 21621 आ.दि. 03.09.08 व 15.06.09 द्वारा अमान्य।	आवेदक व उसके पिता का नाम ग्राम की परिवार सूची में दर्ज नहीं है। जीआरए द्वारा भी पुनर्वास अनुदान हेतु अमान्य किया गया है। अतः अनुदान हेतु पात्र नहीं है।
358	AKH-72	श्रीराम / डोंगर / एखण्ड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत। मुआवजा राषि रु. 34385/- दी गई है।	आवेदक की माता के नाम एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 257 पर मकान भूखंड की 257 पर मकान भूखंड की माता का आवेदन पुनर्वास अनुदान हेतु अमान्य किया गया है।	जीआरए प्रकरण क्र. 27518 आ.दि. 13.05.09 के द्वारा आवेदक की माता का आवेदन पुनर्वास अनुदान हेतु अमान्य किया गया है।	आवेदक का नाम ग्राम की परिवार सूची में दर्ज नहीं है। जीआरए द्वारा भी उसकी माता का आवेदन पुनर्वास अनुदान हेतु अमान्य किया गया है। अतः अनुदान हेतु पात्र नहीं है।
359	AKH-71	चक्रवतीबाई / तोताराम / एखण्ड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत। राषि रु. 28505/- दी गई है।	आवेदक को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 300 पर मकान भूखंड की मुआवजा 300 पर मकान भूखंड की मुआवजा दी गई है।	जीआरए प्रकरण क्र. 21736 व 27994 में आ.दि. क्रमशः 21.07.08 व 13.05.09 द्वारा अमान्य।	आवेदक का नाम ग्राम की परिवार सूची में दर्ज नहीं है। जीआरए द्वारा भी पुनर्वास अनुदान हेतु अमान्य किया गया है। अतः अनुदान हेतु पात्र नहीं है।
360	AKH-70	कोमल / देवचंद / एखण्ड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक को संयुक्त खाते में एफआरएल कृषि ग.प.क्र. 187 पर भूमि की मुआवजा राषि रु. 2488/- दी गई है।	जीआरए प्रकरण क्र. 21686 आ.दि. 16.07.08 व 17.06.09 द्वारा अमान्य।	आवेदक का नाम ग्राम की परिवार सूची में दर्ज नहीं है। जीआरए द्वारा भी पुनर्वास अनुदान हेतु अमान्य किया गया है। अतः अनुदान हेतु पात्र नहीं है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**दूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र	पंजी. क्र	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
-----	-----------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

361	AKH-69	राजेन्द्र / आनंदराम / एखंड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 273 पर मकान भूखंड की मुआवजा राषि रु. 227911/-	जीआरए प्रकरण क्र. 15895 व 21673 में आ. दि. क्रमशः 18.12.06 व 13.08.08 द्वारा अमान्य	आवेदक का नाम ग्राम की परिवार सूची में दर्ज नहीं है। जीआरए द्वारा भी पुनर्वास अनुदान हेतु अमान्य किया गया है। अतः अनुदान हेतु पात्र नहीं है।
362	AKH-68	नरेन्द्र / बबनराव / एखंड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक को एफआरएल कृषि ग.प.क्र. 207 पर मकान की मुआवजा राषि रु. 6784/-दी गई है।	जीआरए प्रकरण क्र. 15968 आ.दि.14.09.07 व प्रकरण क्र. 21488 आ.दि. 13.05.09 द्वारा अमान्य।	आवेदक का नाम ग्राम की परिवार सूची में दर्ज नहीं है। जीआरए द्वारा भी पुनर्वास अनुदान हेतु अमान्य किया गया है। अतः अनुदान हेतु पात्र नहीं है।
363	AKH-67	सुकुलबाई / मयाराम / एखंड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत।	आवेदिका के पिता को पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 192 पर रु. 23700/- का भुगतान किया गया है तथा पुनर्वास सिल एखंड पर भूखंड क्र. 67 आवंटित किया गया है।	--	आवेदिका के पिता का परिवार अंतिम परिवार सूची क्र. 113 पर दर्ज है, परन्तु आवेदिका का नाम अंकित नहीं है। अतः अनुदान हेतु पात्र नहीं है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

364	AKH-427 रामलाल / लक्ष्मण / एखण्ड	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपयों का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदक को एफआरएल आबादी ग.प.क्र.137 पर मकान व भूखंड की मुआवजा राशि रु. 50659/- भुगतान की गई है तथा पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 120 पर पुनर्वास अनुदान राशि रु. 76850 भुगतान की गई है।	—	आवेदक को पात्रतानुसार पुनर्वास अनुदान स्वीकृत कर भुगतान किया गया।
365	AKH-65 रोहित / अवधेश / एखंड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत्।	आवेदक को एफआरएल से बीडब्ल्यूएल के मध्य शासकीय भूमि प्रकरण ग.प.क्र. 1 पर मकान की राशि रु. 11733/-दी गई है।	जीआरए प्रकरण क्र. 15717 आ.दि.28.10.06 व प्रकरण क्र. 21689 आ.दि. 18.07.10, 15.06. पुनर्वास अनुदान हेतु अमान्य 09 व 26.10.09 द्वारा किया गया है। अतः अनुदान अमान्य।	आवेदक का नाम ग्राम की परिवार सूची में दर्ज नहीं है। जीआरए द्वारा भी किया गया है। अतः अनुदान हेतु पात्र नहीं है।
366	AKH-428 जितेन्द्र / कमलचंद्र / एखण्ड	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपयों का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदक के पिता को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 46 पर मकान व भूखंड की मुआवजा राशि रु. 234393/- भुगतान की गई है तथा एवं आवेदक को पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 37 पर पुनर्वास अनुदान राशि रु. 67500 भुगतान की गई है।	—	आवेदक को पात्रतानुसार पुनर्वास स्वीकृत कर भुगतान किया गया है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**दूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : एखण्ड		आवेदन पत्र का प्रकार :		7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत			
367	AKH-61	सुन्दरबाई / ईसराम / एखण्ड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने तथा भूमिहीन के रूप में 2.5 लाख देने बाबत।	आवेदिका के पति को पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 279 पर रु. 67500/- का भुगतान किया गया है।	--	आवेदिका का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची में पति के साथ क्र. 178 पर पत्नी के रूप में दर्ज होने से अनुदान की पात्रता नहीं है।	
368	AKH-59	राजाराम / लालचंद / एखण्ड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक को अन्य मजदूर के मान से पुनर्वास अनुदान ग.प. क्र. 236 पर रु. 76850/- का भुगतान किया गया है।	--	आवेदक को परिवार सूची में शामिल कर अन्य मजदूर (भूमिहीन) के मान से पुनर्वास अनुदान की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है। अब अनुदान की कोई पात्रता नहीं है।	
369	AKH-58	दशरथ / चैन्या / एखण्ड	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लाट दिये जाने बाबत।	आवेदक को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 266 पर मकान व भूखंड की मुआवजा राशि रु. 23152/- भुगतान की गई है।	जीआरए प्रकरण क्र. 15823 आ.दि. 29.03.07 व प्रकरण क्र. 21518 आ.दि. 03.09.08 द्वारा अमान्य।	आवेदक का नाम ग्राम की परिवार सूची में दर्ज नहीं होने से पुनर्वास अनुदान का लाभ नहीं दिया गया है। जीआरए द्वारा भी पुनर्वास अनुदान हेतु अमान्य किया गया है। अतः भूखंड हेतु पात्र नहीं है।	

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**दूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

370	AKH-54	राजेश / श्रीराम / एखण्ड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक के पिता को पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 122 पर रु. 14350/- का भुगतान किया गया है तथा पुनर्वास सिल इनपुन पर भूखंड क्र. ऐ-236 आवंटित किया गया है।	जीआरए प्रकरण क्र. 15820 आ.दि.2710.06 व प्रकरण क्र. 21497 आ.दि. 03.09.08, 15.06.2009 व 29.10.09 द्वारा अमान्य।	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची में पिता के साथ क्र. 74 पर दर्ज होकर आयु 17 वर्ष दर्ज है। अवयस्क होने से अनुदान की पात्रता नहीं है। जीआरए द्वारा भी आवेदन अमान्य किया गया है।
371	AKH-524	सालकराम / भाईराम / एखण्ड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक के भाई अशोक को पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 246 पर रु. 76850/- का भुगतान किया गया है।	जीआरए प्रकरण क्र. 17027 आ.दि. 09.05.07 व प्रकरण क्र. 21768 आ.दि. 16.07.08 द्वारा अमान्य।	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची में भाई के परिवार में क्र. 157 पर भाई के रूप में दर्ज होकर आयु 17 वर्ष दर्ज है। अवयस्क होने से अनुदान की पात्रता नहीं है। जीआरए द्वारा भी आवेदन अमान्य किया गया है।
372	AKH-52	अंगूरबाई / मांगीलाल / एखण्ड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत।	आवेदिका के पुत्रों को संयुक्त खाते में एफआरएल कृषि ग.प. क्र. 106 पर भूमि व अन्य की मुआवजा राषि रु. 724571/-दी गई है।	जीआरए प्रकरण क्र. 21728 आ.दि. 25.07.08 व 16.06.09 द्वारा अमान्य।	आवेदक का नाम ग्राम की परिवार सूची में दर्ज नहीं है। जीआरए द्वारा भी पुनर्वास अनुदान हेतु अमान्य किया गया है। अतः अनुदान हेतु पात्र नहीं है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**दूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

373 AKH-49	बसंतीबाई / मांगीलाल / एखंड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत।	आवेदिका के पिता को कृषि एफआरएल ग.प.क्र. 61 पर भूमि व अन्य की मुआवजा राशि रु. 137358/-भुगतान की गई है।	—	आवेदिका का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची में अंकित नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया।
374 AKH-48	शारदाबाई / मांगीलाल / एखंड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत।	आवेदिका के पिता को कृषि एफआरएल ग.प.क्र. 61 पर भूमि व अन्य की मुआवजा राशि रु. 137358/-भुगतान की गई है।	—	आवेदिका का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची में दज नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया है।
375 AKH-465	शिवा / रेवाराम / एखंड	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	पुनर्वास अनुदान गणनापत्रक क्र.191 पर राशि रु. 67,500/- स्वीकृत कर भुगतान किया गया।	—	आवेदक को शासन की निर्धारित दर अनुसार मुआवजा एवं पुनर्वास नीति के तहत दी जाने वाली भूमिहीन अन्य मजदूर के रूप में समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है। विशेष अनुदान 2.5 लाख का कोई प्रावधान नहीं है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र	पंजी. क्र	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
-----	-----------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

376	AKH-431.	सहेतुलबाई / रामकरण / एखण्ड	भूमिहीन परिवार के 2.5 लाख रुपयों का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदक को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 82 पर मकान व भूखंड की मुआवजा राशि रु. 54291/- भुगतान की गई है तथा पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 68 पर पुनर्वास अनुदान राशि रु. 67500 भुगतान की गई है।	—	आवेदिका को पात्रतानुसार पुनवास अनुदान स्वीकृत कर भुगतान किया गया।
377	AKH-430	बाधसिंह / सुखराम / एखण्ड	भूमिहीन परिवार के 2.5 लाख रुपयों का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	—	जीआरए प्रकरण क्रमांक 21560 आदेश दिनांक 16.06.09 एवं 27.10.09 द्वारा अमान्य	जीआरए द्वारा अमान्य
378	AKH-408	गणेश / बावरियो / एखण्ड	भूमिहीन परिवार के 2.5 लाख रुपयों का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 216 पर राशि 76850 रु. स्वीकृत कर भुगतान किया गया।	—	पात्रतानुसार पुनर्वास नीति की पुनर्वास अनुदान के नियमानुसार समस्त लाभ दिया गया है।
379	AKH-66	रामचंद / तुकाराम / एखण्ड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत्।	आवेदक को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 312 पर मकान व अन्य की मुआवजा राशि रु. 408540/-दी गई है।	जीआरए प्रकरण क्र. 15874 व 21500 में आ. परिवार सूची में दर्ज नहीं दि. 16.06.09 द्वारा अमान्य।	आवेदक का नाम ग्राम की परिवार सूची में दर्ज नहीं है। जीआरए द्वारा भी पुनर्वास अनुदान हेतु अमान्य किया गया है। अतः अनुदान हेतु पात्र नहीं है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

380 AKH-84	दिनेश / जयराम / एखण्ड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत। तथा पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 9 पर रु. 67500/- का भुगतान किया गया है।	आवेदक के पिता को बीडब्ल्यूएल ग.प.क्र. 10 पर मकान की राशि रु. 28806	जीआरए प्रकरण क्र. 21867 आ.दि. 22.07.08 व 12.06.09 द्वारा अमान्य।	आवेदक का नाम ग्राम की बीडब्ल्यूएल अंतिम परिवार सूची में पिता के साथ क्र. 8 पर दर्ज होकर आयु 17 वर्ष दर्ज है। अवयस्क होने से अनुदान की पात्रता नहीं है। जीआरए द्वारा भी आवेदन अमान्य किया गया है।
381 AKH-400	केलाश / लक्ष्मण / एखण्ड	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 332 पर मकान व भूखंड की मुआवजा राशि रु. 118923/- भुगतान की गई है तथा पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 300 पर पुनर्वास अनुदान राशि रु. 76850 भुगतान की गई है।	--	पात्रतानुसार पुनर्वास नीति की पुनर्वास अनुदान के नियमानुसार समस्त लाभ दिया गया है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क0	पंजी. क0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
----	----------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

382 AKH-399 मनोहर / नानाजी भूमिहीन परिवार के / एखण्ड रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपयों का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्

आवेदक को संयुक्त खाते में एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 219 पर मकान व भूखंड की मुआवजा राशि रु.

71491 / – भुगतान की गई है तथा पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 211 पर पुनर्वास अनुदान राशि रु. 71850 भुगतान की गई है। 5000 रु0 परिवहन राशि विस्थापन उपरात प्रदान की जावेगी।

383 AKH-255 लिमड़ा / दशरथ / एखण्ड पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत्।

आवेदक को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 55 पर मुआवजा राशि रु. 51217 / – व कृषि ग.प.क्र. 181 पर मुआवजा राशि रु. 237976 / – भुगतान की गई है।

जीआरए प्रकरण क्र. 21654 आ.दि. 11.08.08 व प्रकरण क्र. 28631 आ.दि. 01.06.09 द्वारा अमान्य।

आवेदक का नाम ग्राम की परिवार सूची में दर्ज नहीं है। जीआरए द्वारा भी पुनर्वास अनुदान हेतु अमान्य किया गया है। अतः अनुदान हेतु पात्र नहीं है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :**

**7**

**पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

384 AKH-397 रामसिंह / धनसिंह / एखण्ड	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	—	—	आवेदक के नाम किसी भी संपत्ति का अज्ञन नहीं किया गया है ओर ना ही आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची में दर्ज है। इसलिए आवेदक को पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं आती है। वर्तमान में विशेष अनुदान दिये जाने का काई प्रावधान नहीं है।
385 AKH-258 पप्पू / अशोक / एखंड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत्।	—	—	आवेदक द्वारा अपूर्ण आवेदन प्रस्तुत किया गया। आवेदन में दर्ज नाम अनुसार अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अंतिम परिवार सूची में आवेदक का नाम दर्ज नहीं है और न ही आवेदक के नाम से कोई भी संपत्ति का अधिग्रहण किया गया है। अतः अपात्र है।
386 AKH-259 तारईबाई / बाल्या / एखंड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत्।	आवेदक को संयुक्त खाते में एफआरएल कृषि ग.प.क्र. 113 पर भूमि व अन्य की मुआवजा पर भूमि व अन्य की मुआवजा जीआरए प्रकरण क्र. 28597 आ.दि. 01.06.09 द्वारा अमान्य। राशि रु. 195250/- भुगतान की गई है।	जीआरए प्रकरण क्र. 28597 आ.दि. 01.06.09 द्वारा अमान्य।	आवेदक व पिता का नाम ग्राम की परिवार सूची में दर्ज नहीं है। जीआरए द्वारा भी पुनर्वास अनुदान हेतु अमान्य किया गया है। अतः अनुदान हेतु पात्र नहीं है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

387 AKH-260	पूनाजी / छगन / एखण्ड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 260 पर मकान व भूखंड की मुआवजा राशि रु. 119380/- भुगतान की गई है।	जीआरए प्रकरण क्र. 18492 आ.दि. 08.10.08 द्वारा अमान्य।	आवेदक का नाम ग्राम की परिवार सूची में दर्ज नहीं है। जीआरए द्वारा भी पुनर्वास अनुदान हेतु अमान्य किया गया है। अतः अनुदान हेतु पात्र नहीं है।
-------------	----------------------	---	---	---	---

388 AKH-261	कोमल / चुन्नीलाल / एखण्ड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक के पिता को पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 198 पर रु. 43700/- का भुगतान किया गया है।	जीआरए प्रकरण क्र. 28005 आ.दि. 19.05.09 द्वारा अमान्य।	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची में पिता के साथ क्र. 119 पर दर्ज होकर आयु 17 वर्ष दर्ज है। अवयस्क होने से अनुदान की पात्रता नहीं है। जीआरए द्वारा भी आवेदन अमान्य किया गया है।
-------------	--------------------------	---	---	---	--

389 AKH-402	उत्तम / धिसाजी / एखण्ड	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रूपयें का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 122 पर मकान व भूखंड की मुआवजा राशि रु. 92653/- भुगतान की गई है तथा पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 106 पर पुनर्वास अनुदान राशि रु. 67500 भुगतान की गई है। परिवहन राशि 5000 रु0 विस्थापन उपरात दी जावेगी।	--	पात्रतानुसार पुनर्वास नीति की पुनर्वास अनुदान के नियमानुसार समस्त लाभ दिया गया है।
-------------	------------------------	--	--	----	--

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**दूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : एखण्ड		आवेदन पत्र का प्रकार :		7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत			
390	AKH-267	ओमप्रकाश / ग्यारसीलाल / एखंड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 76 पर मकान व भूखंड की मुआवजा राशि रु. 33993/- भुगतान की गई है।	जीआरए प्रकरण क्र. 15855 आ.दि. 17.04.07, प्रकरण क्र. 21699 आ.दि. 16.07.08 द्वारा अमान्य।	आवेदक का नाम ग्राम की परिवार सूची में दर्ज नहीं है। जीआरए द्वारा भी पुनर्वास अनुदान हेतु अमान्य किया गया है। अतः अनुदान हेतु पात्र नहीं है।	
391	AKH-256	लीलाबाई / राधाकिशन / एखंड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक को संयुक्त खाते में एफआरएल कृषि ग.प.क्र. 163 पर भूमि, मकान व अन्य की मुआवजा राशि रु. 752232/- भुगतान की गई है।	जीआरए प्रकरण क्र. 28620 आ.दि. 11.06.09 व प्रकरण क्र. 21732 आ.दि. 15.06.09 आ.दि. 08.10.08 द्वारा अमान्य।	आवेदक का नाम ग्राम की परिवार सूची में दर्ज नहीं है। जीआरए द्वारा भी पुनर्वास अनुदान हेतु अमान्य किया गया है। अतः अनुदान हेतु पात्र नहीं है।	
392	AKH-360	इमरान / हुसैन / एखंड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक के पिता को पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 24 पर रु. 34350/- का भुगतान किया गया है।	जीआरए प्रकरण क्र. 15894 आ.दि. 20.08.07 द्वारा आवेदक के पिता का आवेदन अमान्य।	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची में पिता के साथ क्र. 14 पर दर्ज होकर आयु 13 वर्ष दर्ज है। अवयस्क होने से अनुदान की पात्रता नहीं है। जीआरए द्वारा भी आवेदक के पिता का आवेदन अमान्य किया गया है।	

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जांच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

393 AKH-271	धन्नालाल / धनसिंह / एखंड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत। राशि रु. 30309/- भुगतान की गई है।	आवेदक को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 276 पर मकान व भूखंड की मुआवजा राशि रु. 30309/- भुगतान की गई है।	जीआरए प्रकरण क्र. 15903 आ.दि. 15.06.07 व प्रकरण 6. 21737 आ. दि. 18.08.08 द्वारा अमान्य।	आवेदक का नाम ग्राम की परिवार सूची में दर्ज नहीं है। जीआरए द्वारा भी पुनर्वास अनुदान हेतु अमान्य किया गया है। अतः अनुदान हेतु पात्र नहीं है।
-------------	--------------------------	---	--	---	---

394 AKH-270	जितेन्द्र / रामलाल / एखंड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 173 पर मकान व भूखंड की मुआवजा राशि रु. 107800/- भुगतान की गई है।	जीआरए प्रकरण क्र. 21669 आ.दि. 11.08.08 द्वारा अमान्य।	आवेदक का नाम ग्राम की परिवार सूची में दर्ज नहीं है। जीआरए द्वारा भी पुनर्वास अनुदान हेतु अमान्य किया गया है। अतः अनुदान हेतु पात्र नहीं है।
-------------	---------------------------	---	---	---	---

395 AKH-269	कालीबाई / गमरसिंह / एखंड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत।	आवेदिका के पति को पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 320 पर रु. 23700/- का भुगतान किया गया है तथा पुनर्वास स्थल इनपुन पर भूखंड क्र. सी-238 आवंटित किया गया है।	--	आवेदिका का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची में पति मुखिया के साथ क्र. 211 पर पत्नी के रूप में दर्ज होने से अनुदान की पात्रता नहीं है।
-------------	--------------------------	---	--	----	--

396 AKH-96	मोहन / सकाराम / एखंड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक के पिता को जीआरए द्वारा स्वीकृत राशि 23700 तथा पुनर्वास स्थल इनपुन- 1103 पर भूखंड क्र. 1103 आवंटित किया गया है।	जीआरए प्रकरण क्र. 21610 आ.दि. 17.06.09 द्वारा आवेदक के पिता का आवेदन मान्य।	जीआरए द्वारा आवेदक के पिता के परिवार को स्थानीय जांच उपरांत पुनर्वास अनुदान हेतु मान्य किया है। आवेदक के बाहर निवास करने से अनुदान नहीं दिया गया।
------------	----------------------	---	---	---	---

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

397	AKH-97	सेवकराम / नहारू / एखण्ड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक को एफआरएल कृषि ग.प.क्र. 256 पर मकान की मुआवजा राषि रु. 18604/- दी गई है।	जीआरए प्रकरण क्र. 21712 आ.दि. 22.07. 08, 16.06.09 व 27.10. 09 तथा प्रकरण क्र. 21815 आ.दि. 16.06.09	आवेदक का नाम ग्राम की परिवार सूची में दर्ज नहीं है। जीआरए द्वारा भी पुनर्वास अनुदान हेतु अमान्य किया गया है। अतः अनुदान द्वारा अमान्य।
398	AKH-99	सुखलाल / बल्लू / एखण्ड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत। राषि रु. 55710/-दी गई है।	आवेदक को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 222 पर मकान भूखंड की मुआवजा राषि रु. 55710/-दी गई है।	जीआरए प्रकरण क्र. 15809 आ.दि. 26.10. 06, तथा प्रकरण 6. 21460 आ.दि. 05.08. 08, 16.06.09 व 27.10. 09 द्वारा अमान्य।	आवेदक का नाम ग्राम की परिवार सूची में दर्ज नहीं है। जीआरए द्वारा भी पुनर्वास अनुदान हेतु अमान्य किया गया है। अतः अनुदान द्वारा अमान्य।
399	AKH-268	बालकराम / चेतराम / एखण्ड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक के पिता को पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 140 पर रु. 14350/- का भुगतान किया गया है तथा पुनर्वास स्थल एखण्ड पर भूखंड क्र. 19 आवंटित किया गया है।	जीआरए प्रकरण क्र. 21484 आ.दि. 06.08.08 व 15.06.09 द्वारा अमान्य।	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची में पिता के साथ क्र. 85 पर दर्ज होकर आयु 13 वर्ष दर्ज है। अवयस्क होने से अनुदान की पात्रता नहीं है। जीआरए द्वारा भी आवेदन अमान्य किया गया है।
400	AKH-263	दुर्गाराम / सुखलाल / एखण्ड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक के पिता को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 222 पर मकान व भूखंड की मुआवजा राषि रु. 55710/- भुगतान की गई है।	जीआरए प्रकरण क्र. 21462 आ.दि. 03.09.08 द्वारा अमान्य।	आवेदक का नाम ग्राम की परिवार सूची में दर्ज नहीं है। जीआरए द्वारा भी पुनर्वास अनुदान हेतु अमान्य किया गया है। अतः अनुदान हेतु पात्र नहीं है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

401	AKH-404	रेवाराम / -- / एखण्ड	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपयों का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	--	--	आवेदन अपूर्ण होने से उक्त आवेदन का निराकरण नहीं किया जा सकता है।
402	AKH-93	नारायण / शोभाराम / एखण्ड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत्। राषि रु. 77125/-दी गई है।	आवेदक को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 181 पर मकान भूखंड की मुआवजा	जीआरए प्रकरण क्र. 21760, 21746 आ.दि. 13.05.09 तथा प्रकरण क्र. 21621 आ.दि. 18.	आवेदक का नाम ग्राम की परिवार सूची में दर्ज नहीं है। जीआरए द्वारा भी पुनर्वास अनुदान हेतु अमान्य किया गया है। अतः अनुदान हेतु पात्र नहीं है।
403	AKH-92	कंचन / सकाराम / एखण्ड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत्। स्थल इनपुन- ॥। पर भूखंड क्र. 1103 आवंटित किया गया	आवेदिका के पिता सखाराम को जीआरए द्वारा स्वीकृत राषि 23700 तथा पुनर्वास द्वारा आवेदिका के पिता का आवेदन मान्य।	जीआरए प्रकरण क्र. 21610 आ.दि. 17.06.09	जीआरए द्वारा आवेदिका के पिता सखाराम के परिवार को पुनर्वास अनुदान हेतु मान्य किया गया है। आवेदिका विवाहित होने से अन्यत्र निवास करने के कारण पुनर्वास नीति अनुसार पुनर्वास अनुदान हेतु पात्र नहीं है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

404	AKH-91	दीपक / तेजवंतराव / एखंड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक के पिता को पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 150 पर रु. 14350/- का भुगतान किया गया है तथा पुनर्वास सिल इनपुन पर भूखंड क्र. बी-134 आवंटित किया गया है।	जीआरए प्रकरण क्र. 21592 आ.दि. 01.06.09 द्वारा अमान्य।	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची में पिता के साथ क्र. 91 पर दर्ज होकर आयु 17 वर्ष दर्ज है। अवयस्क होने से अनुदान की पात्रता नहीं है। जीआरए द्वारा भी आवेदन अमान्य किया गया है।
405	AKH-90	मदुबाई / ग्वालियरसिंह / एखंड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत।	—	जीआरए प्रकरण क्र. 17046 आ.दि. 22.05.07 द्वारा पति ग्वालियर का आवेदन अमान्य।	आवेदक व उसके पति का नाम ग्राम की परिवार सूची में दर्ज नहीं है। जीआरए द्वारा भी पुनर्वास अनुदान हेतु अमान्य किया गया है। अतः अनुदान हेतु पात्र नहीं है।
406	AKH-403	अंजुन / श्यामा / एखंड	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक के पिता को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 291 पर मकान व भूखंड की मुआवजा राशि रु. 46149/- भुगतान की गई है तथा आवेदक को पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 275 पर पुनर्वास अनुदान राशि रु. 62000 भुगतान की गई है। 5000 रु0 विस्थापन उपरात प्रदाय किया जावेगा।	—	पात्रतानुसार पुनर्वास नीति की पुनर्वास अनुदान के नियमानुसार समस्त लाभ दिया गया है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र	पंजी. क्र	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
-----	-----------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : एखण्ड			आवेदन पत्र का प्रकार :	7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत			
407	AKH-95	ऊंकार / मंशाराम / एखण्ड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक को एफआरएल कृषि ग.प.क्र. 242 पर मकान की मुआवजा राषि रु. 14078/-दी गई है।	जीआरए प्रकरण क्र. 15407 आ.दि. 27.10.06, प्रकरण क्र. 21700 आ.दि. 18.07.08, 16.06.09 व 27.10.09 द्वारा भी अमान्य।	आवेदक का नाम ग्राम की परिवार सूची में दर्ज नहीं है। जीआरए द्वारा भी पुनर्वास अनुदान हेतु अमान्य किया गया है। अतः अनुदान हेतु पात्र नहीं है।	
408	AKH-94	भगू / राजाराम / एखण्ड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 301 पर मकान भूखंड की मुआवजा राषि रु. 25843/-दी गई है।	जीआरए प्रकरण क्र. 21598 व 21793 में आ.दि. 06.08.08 व 16.06.09 द्वारा अमान्य।	पात्र नहीं है।	
409	AKH-89	सुनील / जगदीश/बाबू / एखण्ड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक के पिता जगदीश को पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 245 पर रु. 76850/- का भुगतान किया गया है।	जीआरए प्रकरण क्र. 16747 आ.दि. 18.05.07, प्रकरण क्र. 27968 आ.दि. 11.06.09 व प्रकरण क्र. 21559 आ.दि. 03.09.08 व 17.06.09 द्वारा अमान्य।	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची में पिता के साथ क्र. 156 पर दर्ज होकर आयु 13 वर्ष दर्ज है। अवयस्क होने से अनुदान की पात्रता नहीं है। जीआरए द्वारा भी आवेदन अमान्य किया गया है।	

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**दूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र	पंजी. क्र	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
-----	-----------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

410	AKH-86	कृष्णराव / रेवाराम / एखण्ड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक के पिता को पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 93 पर रु. 14350/- का भुगतान किया इनपुन पर भूखंड क्र. ऐ-240 आवंटित किया गया है।	जीआरए प्रकरण क्र. 21717 में आ.दि. 04.12. परिवार अंतिम परिवार सूची 08, 16.06.09 व 26.10. क्र. 59 पर दर्ज है। आवेदक 09 द्वारा अमान्य।	आवेदक के पिता का जीआरए प्रकरण क्र. 21717 में आ.दि. 04.12. परिवार अंतिम परिवार सूची 08, 16.06.09 व 26.10. क्र. 59 पर दर्ज है। आवेदक 09 द्वारा अमान्य।	का नाम ग्राम की परिवार सूची में दर्ज नहीं है। जीआरए द्वारा भी पुनर्वास अनुदान हेतु अमान्य किया गया है। अतः अनुदान हेतु पात्र नहीं है।
411	AKH-85	महेश / रेवाराम / एखण्ड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक के पिता को पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 93 पर रु. 14350/- का भुगतान किया इनपुन पर भूखंड क्र. ऐ-240 आवंटित किया गया है।	जीआरए प्रकरण क्र. 21717 में आ.दि. 04.12. परिवार अंतिम परिवार सूची 08, 16.06.09 व 26.10. क्र. 59 पर दर्ज है। आवेदक 09 द्वारा अमान्य।	आवेदक के पिता का जीआरए प्रकरण क्र. 21717 में आ.दि. 04.12. परिवार अंतिम परिवार सूची 08, 16.06.09 व 26.10. क्र. 59 पर दर्ज है। आवेदक 09 द्वारा अमान्य।	का नाम ग्राम की परिवार सूची में दर्ज नहीं है। जीआरए द्वारा भी पुनर्वास अनुदान हेतु अमान्य किया गया है। अतः अनुदान हेतु पात्र नहीं है।
412	AKH-250	सुनीताबाई / रामचंद्र / एखण्ड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत।	आवेदिका के पिता को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 312 पर मकान व भूखंड की मुआवजा राशि रु. 408540/- भुगतान की गई है।	जीआरए प्रकरण क्र. 21569 आ.दि. 01.06.09 द्वारा अमान्य।	आवेदिका व उसके पिता का नाम ग्राम की परिवार सूची में दर्ज नहीं है। जीआरए द्वारा भी पुनर्वास अनुदान हेतु अमान्य किया गया है। अतः अनुदान हेतु पात्र नहीं है।	आवेदिका व उसके पिता का नाम ग्राम की परिवार सूची में दर्ज नहीं है। जीआरए द्वारा भी पुनर्वास अनुदान हेतु अमान्य किया गया है। अतः अनुदान हेतु पात्र नहीं है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**दूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र	पंजी. क्र	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
-----	-----------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

413 AKH-251	नर्मदाबाई / मोतीराम / एखंड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत।	आवेदिका को संयुक्त खाते में एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 158 पर मकान व भूखंड की मुआवजा राशि रु. 199285/- भुगतान की गई है।	जीआरए प्रकरण क्र. 21745 आ.दि. 15.06.09 व 26.10.09 द्वारा अमान्य।	आवेदिका का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची में क्र. 86 पर पुत्र सीताराम के साथ माता (आश्रित) के रूप में दर्ज होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया।
-------------	-------------------------------	--	--	--	--

414 AKH-252	ऊंकार / मंशाराम / एखंड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक को एफआरएल कृषि ग.प.क्र. 242 पर मकान की मुआवजा राशि रु. 14078/-दी गई है।	जीआरए प्रकरण क्र. 15407 आ.दि. 27.10.06, प्रकरण क्र. 21700 आ.दि. 18.07.08, 16.06.09 व 27.10.09 द्वारा अमान्य।	आवेदक का नाम ग्राम की परिवार सूची में दर्ज नहीं है। जीआरए द्वारा भी पुनर्वास अनुदान हेतु अमान्य किया गया है। अतः अनुदान हेतु पात्र नहीं है।
-------------	------------------------	--	---	--	---

415 AKH-253	हजारसिंह / रुमालसिंह / एखंड	पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 254 पर मकान व भूखंड की मुआवजा राशि रु. 12803/- भुगतान की गई है।	जीआरए प्रकरण क्र. 21626 आ.दि. 12.01.09 द्वारा अमान्य।	आवेदक का नाम ग्राम की परिवार सूची में दर्ज नहीं है। जीआरए द्वारा भी पुनर्वास अनुदान हेतु अमान्य किया गया है। अतः अनुदान हेतु पात्र नहीं है।
-------------	--------------------------------	--	--	---	---

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
----	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

416 AKH-254 सखाराम / बाबू / एखण्ड

पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत। तथा पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 208 पर राष्ट्र रु. 43700/- स्वीकृत कर भुगतान की गई है तथा जीआरए द्वारा स्वीकृत कंडिका 9.1 की राशि 49300 चैक क्र. 42070 दि. 04. 06.09 व कंडिका 7.2 की राशि रु. 14001 चैक क्र. 42440 दि. 18.06.09 द्वारा भुगतान की गई है।

जीआरए द्वारा प्रकरण क्र. 21765 आ.दि. 06.

12.08 व प्रकरण क्र. 21798 में आदेश

दिनांक 16.07.08 द्वारा

मान्य आदेश का पालन किया गया है।

आवेदक को कृषि मजदूर के मान से पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया गया है। जीआरए द्वारा स्वीकृत राशि का भी भुगतान किया गया है। अब कोई पात्रता नहीं है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	---------------	--	---------------	--	---	--	------------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** **8 झूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग**

1 AKH-42	शैलेन्द्र / श्यामसुन्दर / सनावद	जमीन के बदले जमीन	कृषिभूमि अवार्ड गणना पत्रक क्र.188 निर्धारित मुआवजा राशि रु. 990698/- है।	—	आवेदक का ग्राम में निवास नहीं है। सनावद में निवासरत् है। जमीन के बदले जमीन के लिए आवेदक अपना आवेदन माननीय जीआरए में प्रस्तुत कर सकता है।		
2 AKH-661	कैलाश / लक्ष्मण / एखण्ड	पुनर्वास नीति की कंडिका 3.3 के अनुसार अतिक्रमण जमीन के बदले जमीन देने बाबत।	—	जीआरए प्रकरण क्र. 31398 आदेश दिनांक 23.12.09 द्वारा अमान्य।	पुनर्वास नीति की कंडिका 3. 3 के अंतर्गत भूमि के बदले भूमि आवंटन की पात्रता नहीं है। आवेदक के माता द्वारा जीआरए में प्रकरण प्रस्तुत किया गया था जो जीआरए द्वारा प्रकरण अमान्य किया गया।		
3 AKH-666	भारत नवलसिंह / बैरसिंह / एखण्ड	अतिक्रमण जमीन के बदले जमीन देने बाबत।	—	प्र.क्र.21455 एवं 15408 आदेश दिनांक क्रमशः 12.06.09 व 28.10.06 अमान्य। प्रकरण क्र. 21115 दि.23.12.09	दि.13.04.87 से आवेदक का लगातार अतिक्रमण सिद्ध नहीं होने व जीआरए द्वारा आवेदक की माता गजरीबाई का भी प्रकरण अमान्य किया गया।		

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** **8 झूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग**

4 AKH-583	मोहन / मोतीराम / एखण्ड	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लाट दिये जाने बाबत।	पुनर्वास अनुदान गणना क्र.4 राशि 29350/- का भुगतान किया गया। परिवहन राशि 5000/- विस्थापित होने पर देय होगी।	—	आवेदक को पुनर्वास अनुदान के समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है भूखण्ड की नगद राशि का भुगतान भी कर दिया गया है। भखण्ड की पात्रता नहीं है।
5 AKH-39	संगीता / शैलेन्द्र / सनावद	जमीन के बदले जमीन।	कृषिभूमि अवार्ड संशोधित एफआरएल गणना पत्रक क्र. 32 मुआवजा राशि रु. 166445/- का भुगतान किया गया है।	—	आवेदिका ग्राम में निवास नहीं करती है। तहसील सनावद में निवासरत है। अतः अपना आवेदन जीआरए में प्रस्तुत कर सकती है। अतः आवेदन पंजीबद्ध है।
6 AKH-697	मिश्रीलाल / आनन्दराम / एखण्ड बदले जमीन मिलने बाबत	खले की जमीन के बदले जमीन मिलने के बाबत	भूमि का मुआवजा 2716/- भुगतान किया गया। वि.पु.अ. 6004/- भुगतान किया गया।	—	आवेदक जमीन के बदले जमीन के लिए जी.आ.ए. में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।
7 AKH-696	मिश्रीलाल / आनन्दराम / एखण्ड राशि कम मिलने के विषय में	मकान का मआवजा	मकान का मुआवजा 165200/- का भुगतान किया गया।	—	आवेदक को शासन द्वारा निर्धारित दर नियमानुसार भुगतान किया गया। आवेदन निरस्त योग्य

## ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा उच्च स्तरीय जॉच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

## ग्राम का नाम : एखण्ड

आवेदन पत्र का प्रकार : 8 डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग

8	AKH-695	सतीष / श्यामसुन्दर / एखण्ड	जमीन के बदले जमीन देने के संबंध में।	आवेदक के नाम से कृपि मुआवजा गणना पत्रक क्र.30 पर मुआवजा राशि 720524/- वि.पु.अनु. राशि रु.142542/- का भुगतान किया गया।	--	जमीन के बदले जमीन के लिए आवेदक अपना आवेदन जीआरए में प्रस्तुत कर सकता है।
9	AKH-692.	मांगीबाई / चैनसिंह / एखण्ड	मकान का मुआवजा नहीं मिला।	--	--	आवेदक का मकान प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री न.वि.स.क्र.32 बड़वाह द्वारा प्रस्तुत भू-र्जन प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं किया गया था तथा मकान भू-र्जन अधिनियम की धारा 4 (1) की अधिसूचना प्रकाशन के पश्चात बना होने के कारण सम्मिलित नहीं किया गया। अतः प्रस्तुत आवेदन निरस्ती योग्य है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार : 8 झूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग**

10	AKH-691 संतोषबाई / झाबू / एखण्ड	भूमिहिन के रूप में अनुदान देने बाबत।	आवेदिका के पति को पुनर्वास अनुदान गणना क्र. 209 राशि 38700/- का भुगतान किया गया। परिवहन राशि 5000/- विस्थापित होने पर देय होगी।	जीआरए प्रकरण क्र. 21868 आदेश दिनांक 06.08.08 द्वारा अमान्य।	आवेदिका के पति को पुनर्वास अनुदान कृषि व्यवसाय के रूप में दिया गया है। पति को अनुदान मिलने पर पत्नि को पात्रता नहीं है। जीआरए द्वारा भी प्रकरण अमान्य किया जा चुका है।
11	AKH-688 जगदीश / देवराम / एखण्ड	ग्राम कोटवार की कृषिभूमि का मुआवजा राशि देने बाबत।	--	--	सेवा भूमि के मुआवजे का नियमानुसार भुगतान नहीं किया जा सकता है।
12	AKH-687 रेवाराम / बाबू / एखण्ड	ग्राम कोटवार की कृषि भूमि का मुआवजा देने बाबत। 43700/- का भुगतान किया गया।	मा.जीआरए द्वारा स्वीकृत पुनर्वास अनुदान की राशि 43700/- का भुगतान किया गया।	जीआरए प्रकरण क्र. 16277 आदेश दिनांक 18.5.07 द्वारा मान्य।	सेवा भूमि के मुआवजे का नियमानुसार भुगतान नहीं किया जा सकता है।
13	AKH-682 श्यामसिंह / रेवाजी / बिलाया	अतिक्रमण भूमि के बदले जमीन देने बाबत।	--	--	अतिक्रमण भूमि के संबंध में नियमानुसार 01.04.87 से लगातार भूमि पर कब्जा होने पर ही जमीन के बदले मुआवजा आदि दिया जाता है जबकि आवेदक द्वारा कब्जे के प्रमाण में कोई भी प्रमाण अपने आवेदन के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदन निरस्त योग्य है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	---------------	--	---------------	--	---	--	------------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार : 8 झूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग**

14 AKH-676	दिपकराव / आत्माराम / एखण्ड	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) व (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	आवेदिका के पुत्र कृष्णराव को पुनर्वास अनुदान गणना क्र.167 राशि 9350/- का भुगतान किया गया। परिवहन राशि 5000/- विस्थापित होने पर देय होगी। भूखण्ड क्र.40 पुनर्वास स्थल एखण्ड में आवंटित है।	---	आवेदक अंतिम परिवार सूची क्र.100 में आवेदक का नाम आयु 16 वर्ष दर्ज है आवेदक द्वारा आपने जन्म के प्रमाण के संबंध में न्यायालय तहसीलदार खण्डवा का रजिस्ट्रार का जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार आवेदक की आयु 10.01. 1985 दर्ज है। अतः धारा-4 दि.17.10.03 की स्थिति में उसकी आयु 18 वर्ष होती है। आवेदन मान्य किया जाना उचित प्रतीत होता है।
15 AKH-675	शारदाबाई / आत्माराम / एखण्ड	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) व (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	आवेदिका के पुत्र कृष्णराव को पुनर्वास अनुदान गणना क्र.167 राशि 9350/- का भुगतान किया गया। परिवहन राशि 5000/- विस्थापित होने पर देय होगी। भूखण्ड क्र.40 पुनर्वास स्थल एखण्ड में आवंटित है।	---	आवेदिका का नाम अंतिम परिवार सूची क्र.100 पर पुत्र के साथ दो माता हैं जो आश्रित के रूप में दर्ज होने के कारण अनुदान नहीं दिया गया।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 8 **झूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग**

16	AKH-674/1	कलाबाई / आत्माराम / एखण्ड	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) व (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	आवेदिका के पुत्र कृष्णराव को पुनर्वास अनुदान गणना क्र.167 राशि 9350/- का भुगतान किया गया। परिवहन राशि 5000/- विस्थापित होने पर देय होगी। भूखण्ड क्र.40 पुनर्वास स्थल एखण्ड में आवंटित है।	--	आवेदिका का नाम अंतिम परिवार सूची क्र.100 पर पुत्र के साथ दो माता हैं जो आश्रित के रूप में दर्ज होने के कारण अनुदान नहीं दिया गया।
17	AKH-41	संजय / श्यामसुन्दर / सनावद	जमीन के बदले जमीन	कंडिका 6.1 की राशि 9350/- एवं कृषिभूमि अवार्ड गणना पत्रक क्र.189 निर्धारित मुआवजा राशि रु. 10,62,067/- है।	जीआरए प्रकरण क्र. 28635 आदेश दिनांक 01.06.09 मान्य, के अनुसार कंडिका 6.1 की राशि स्वीकृत।	आवेदक का ग्राम में निवास नहीं है। तहसील सनावद में निवासरत है। जमीन के बदले जमीन के लिए आवेदक जीआरए में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।
18	AKH-658	जोगीराम / शिवा / एखण्ड	पुनर्वास नीति की कंडिका 3.3 के अनुसार अतिक्रमण जमीन के बदले जमीन देने बाबत।	--	--	1987 से लगातार अतिक्रमण नहीं होने से पुनर्वास नीति की कंडिका 3.3 के अंतर्गत भूमि के बदले भूमि आवंटन की पात्रता नहीं है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :**

**8 झूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग**

19 AKH-617 अन्नपूर्णाबाई /  
गोविन्द / एखण्ड मेरे घर का  
भ-अर्जन करने  
बाबत |

--

जीआरए प्रकरण क्र.  
21714 आदेश दिनांक  
01.06.09 के अनुसार  
प्रकरण श्रीमान  
कलेक्टर खण्डवा की  
ओर निराकरण हेतु  
भेजा गया। श्रीमान  
कलेक्टर महोदय  
खण्डवा के पत्र क्र.  
286 / १९एलए / 11039  
खडवा दि. 21.08.09  
द्वारा निराकरण किया  
गया कि धारा-4 की  
अधिसूचना प्रकाशन  
दिनांक को अस्तित्व  
नहीं था। प्रस्तावक  
विभाग से प्राप्त प्रस्ताव  
के आधार पर दि. 18.02.  
06 को अवार्ड पारित  
किया गया। अवार्ड  
पारित के पश्चात  
अवार्ड अंतिम हो जाता  
है। इससे किसी व्यक्ति  
को पीड़ित होने पर  
उसके द्वारा सक्षम  
न्यायालय में रिफरेन्स  
आवेदन प्रस्तुत किया

आवेदक का मकान  
प्रस्तावक विभाग कार्यपालन  
यंत्री न.वि.स.क्र.32 बड़वाह  
द्वारा प्रस्तुत भू-र्जन प्रस्ताव  
में सम्मिलित नहीं किया  
गया था तथा मकान  
भू-अर्जन अधिनियम की  
धारा 4 (1) की अधिसूचना  
प्रकाशन के पश्चात बना  
होने के कारण सम्मिलित  
नहीं किया गया। अतः  
प्रस्तुत आवेदन निरस्ती  
योग्य है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
----	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : एखण्ड

आवेदन पत्र का प्रकार : 8 झूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग

जा सकता है।  
न्यायालय में रिफरेन्स  
लगाना या नहीं लगाना  
आवेदक के विवेक पर  
निर्भर करता है। अवार्ड  
पारित हो जाने के  
पश्चात प्रकरण  
पुनर्विलोकन अथवा  
कतिपय संशोधन भी  
अधोहस्ताक्षर द्वारा नहीं  
किया जा सकता है।

20 AKH-357	खूमसिंह / चमारिया / एखण्ड	मेरे घर का भू अर्जन करने बाबत।	आवेदक को कृषि एफआरएल मुआवजा ग.प.क्र. 226 पर मकान की मुआवजा राष्ट्रि रु. 57697/- का भुगतान किया गया है।	—	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री न.वि.सं.क्र.32 बड़वाह द्वारा प्रस्तुत भू-अर्जन प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं होने से अर्जन नहीं किया गया।
21 AKH-643	विकलेश / भगवानदास / सनावद	पुत्र होने के नाते राजगोर हेतु	आवेदक के पिता को निजी भूमि गणना क्र.119 भूमि का मुआवजा 512367/- दिया गया है।	—	आवेदक द्वारा पुनवा
22 AKH-659	खुमसिंह / चमारिया / एखण्ड	पुनर्वास नीति की कंडिका 3.3 के अनुसार अतिक्रमण जमीन के बदले जमीन देने बाबत।	—	जीआरए प्रकरण क्र. 21897 आदेश दिनांक 23.12.09 द्वारा अमान्य।	पुनर्वास नीति की कंडिका 3.3 के अंतर्गत भूमि के बदले भूमि आवंटन की पात्रता नहीं है। जीआरए द्वारा प्रकरण अमान्य किया गया।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :**

**8 झूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग**

23 AKH-655 अमन / नथु / एखण्ड	पुनर्वास नीति की कंडिका 3.3 के अनुसार अतिक्रमण जमीन के बदले जमीन देने बाबत।	—	—	1987 से लगातार अतिक्रमण नहीं होने से पुनर्वास नीति की कंडिका 3.3 के अंतर्गत भूमि के बदले भूमि आवंटन की पात्रता नहीं है।
24 AKH-667 गुन्दाबाई / गणपत	अतिक्रमण जमीन के / एखण्ड बदले जमीन देने बाबत।	—	जीआरए प्र.क्र.21122 आदेश दिनांक 06.12. 09 द्वारा अमान्य।	पुनर्वास नीति की कंडिका 3.3 के अंतर्गत भूमि आवंटन की पात्रता नहीं है। जीआरए द्वारा प्रकरण अमान्य किया गया है।
25 AKH-657 टुकड़िया / केसरा / एखण्ड	पुनर्वास नीति की कंडिका 3.3 के अनुसार अतिक्रमण जमीन के बदले जमीन देने बाबत।	—	—	1987 से लगातार अतिक्रमण नहीं होने से पुनर्वास नीति की कंडिका 3.3 के अंतर्गत भूमि के बदले भूमि आवंटन की पात्रता नहीं है।
26 AKH-698 मोहन / मिश्रीलाल / एखण्ड	मकान की मुआवजा राशि कम मिलने के विषय में	आबादी गणना क्र.274 मकान का मुआवजा राशि 149065/- का भुगतान किया गया।	—	आवेदक को शासन की निर्धारित दर के आधार पर मुआवजा दिया जा चुका है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :**

**8 झूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग**

27	AKH-660	प्रताप / हरप्रसाद / एखण्ड	पुनर्वास नीति की कंडिका 3.3 के अनुसार अतिक्रमण जमीन के बदले जमीन देने बाबत।	--	जीआरए प्रकरण क्र. 21447 आदेश दिनांक 23.12.09 द्वारा अमान्य।	पुनर्वास नीति की कंडिका 3.3 के अंतर्गत भूमि के बदले भूमि आवंटन की पात्रता नहीं है। आवेदक के पिता द्वारा जीआरए में प्रकरण प्रस्तुत किया गया था जो जीआरए द्वारा प्रकरण अमान्य किया गया।
28	AKH-662	राजाराम, जयराम, मयाराम / सुखलाल / एखण्ड	पुनर्वास नीति की कंडिका 3.3 के अनुसार अतिक्रमण जमीन के बदले जमीन देने बाबत।	--	जीआरए प्रकरण क्र. 21119 आदेश दिनांक 23.12.09 द्वारा अमान्य।	पुनर्वास नीति की कंडिका 3.3 के अंतर्गत भूमि के बदले भूमि आवंटन की पात्रता नहीं है। आवेदक के पिता द्वारा जीआरए में प्रकरण प्रस्तुत किया गया था जो अमान्य किया गया।
29	AKH-663	शंकर / सखाराम / एखण्ड	अतिक्रमण जमीन के बदले जमीन देने बाबत।	--	--	अतिक्रमण भूमि के संबंध में दि. 13.04.87 से लगातार अतिक्रमण सिद्ध नहीं होने से आवेदक को भूमि की पात्रता नहीं है। आवेदन अस्वीकार योग्य है।
30	AKH-664	सुखलाल / दल्लू / एखण्ड	पुनर्वास नीति की कंडिका 3.3 के अनुसार अतिक्रमण जमीन के बदले जमीन देने बाबत।	--	जीआरए प्रकरण क्र. 21119 आदेश दिनांक 23.12.09 द्वारा अमान्य।	पुनर्वास नीति की कंडिका 3.3 के अंतर्गत भूमि के बदले भूमि आवंटन की पात्रता नहीं है। जीआरए द्वारा प्रकरण अमान्य किया गया।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :**

**8 झूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग**

31	AKH-665 प्रेमबाई / दयाराम / एखण्ड	पुनर्वास नीति की कंडिका 3.3 के अनुसार अतिक्रमण जमीन के बदले जमीन देने बाबत।	पुनर्वास नीति की कंडिका 3.3 के अनुसार अतिक्रमण जमीन के बदले जमीन देने बाबत।	--	जीआरए प्रकरण क्र. 21393 आदेश दि.23.12. 09 द्वारा अमान्य।	पुनर्वास नीति की कंडिका 3.3 के अंतर्गत भूमि के बदले भूमि आवंटन की पात्रता नहीं है। जीआरए द्वारा प्रकरण अमान्य किया गया।
32	AKH-63 कमल / आत्माराम / एखण्ड	मेरे घर का भू अर्जन करने बाबत।	आवेदक के पिता लोभीलाल को आबादी मुआवजा ग.प.क्र. 278 पर मकान व भूखंड की राशि रु. 344775/- का भुगतान किया गया है।	आवेदक के पिता लोभीलाल को आबादी मुआवजा ग.प.क्र. 278 पर मकान व भूखंड की राशि रु. 344775/- का भुगतान किया गया है।	--	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री न.वि.सं.क्र.32 बड़वाह द्वारा प्रस्तुत भू-अर्जन प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं होने से अर्जन नहीं किया गया।
33	AKH-656 बलिराम, शिवराम / धिस्या / एखण्ड	पुनर्वास नीति की कंडिका 3.3 के अनुसार अतिक्रमण जमीन के बदले जमीन देने बाबत।	पुनर्वास नीति की कंडिका 3.3 के अनुसार अतिक्रमण जमीन के बदले जमीन देने बाबत।	--	--	1987 से लगातार अतिक्रमण नहीं होने से पुनर्वास नीति की कंडिका 3.3 के अंतर्गत भूमि के बदले भूमि आवंटन की पात्रता नहीं है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
----	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :**

**8 झूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग**

34 AKH-508	सुरेशसिंह / इसराम / एखण्ड	मेरे घर का भू अर्जन करने बाबत।	--	जीआरए प्रकरण क्र. 21714 आदेश दिनांक 17.04.2009 द्वारा पुनर्वास अनुदान अमान्य।	जी.आर.ए. प्रकरण क्र.21845 आदेश दि. 20.04.09 के अनुसार प्रकरण श्रीमान कलेक्टर खण्डवा की ओर निराकरण हेतु भेजा गया। श्रीमान कलेक्टर महोदय खण्डवा के पत्र क्र. 286 / 09 / एलए / 11039 खण्डवा दिनांक 21.08.09 द्वारा निराकरण किया गया, कि धारा-4 की अधिसूचना प्रकाशन दिनांक को अस्तित्व में नहीं था। प्रस्तावक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर दि.18. 02.06 को अवार्ड पारित किया जा चुका है। अवार्ड पारित किये जाने के पश्चात अवार्ड अंतिम हो जाता है। इससे किसी व्यक्ति के पीड़ित होने पर उसके द्वारा सक्षम न्यायालय में रिफ्रेन्स आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। न्यायालय में रिफ्रेन्स आवेदन लगाना या नहीं लगाना आवेदक के विवेक पर निर्भर करता है।
------------	------------------------------	-----------------------------------	----	---	--

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
----	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : एखण्ड

आवेदन पत्र का प्रकार : 8 झूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग

अवार्ड पारित हो जाने के पश्चात प्रकरण पुनर्विलोकन अथवा कतिपय संशोधन भी अधोहस्ताक्षर द्वारा नहीं किया जा सकता है।

35 AKH-210 कमलचंद / किशन भूखंड आवंटन हेतु आवेदक को पुनर्वास अनुदन  
/ एखंड ग.प.क्र. 177 पर राशि रु.  
9350 का लाभ दिया गया है।

--

आवेदक की भूखंड की राशि 20000/- जमा है।  
आवेदक को पुनर्वास स्थल कोठी पर भूखंड प्रस्तावित किया है। आवेदक द्वारा भूखंड अभी नहीं लिया गया है। उसकी मांग है कि उक्त पुनर्वास स्थल पर सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाये तो वह भूखंड लेने हेतु सहमत है।  
अतः आवेदन स्वीकार योग्य है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
----	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :**

**8 झूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग**

36 AKH-493 हीरालाल / बालू / एखण्ड	मेरे घर का भू अर्जन करने बाबत।	—	जीआरए प्रकरण क्र. 21826 21826 आदेश दिनांक 17.04.2009 17.04.2009 द्वारा पुनर्वास अनुदान अमान्य।	जी.आर.ए. प्रकरण क्र.21826 आदेश दिनांक 17.04.2009 के अनुसार प्रकरण श्रीमान कलेक्टर खण्डवा की ओर निराकरण हेतु भेजा गया। श्रीमान कलेक्टर महोदय खण्डवा के पत्र क्र. 286 / 09 / एलए / 11039 खण्डवा दिनांक 21.08.09 द्वारा निराकरण किया गया, कि धारा-4 की अधिसूचना प्रकाशन दिनांक को अस्तित्व में नहीं था। प्रस्तावक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर दि.18. 02.06 को अवार्ड पारित किया जा चुका है। अवार्ड पारित किये जाने के प्छात अवार्ड अंतिम हो जाता है। इससे किसी व्यक्ति के पीड़ित होने पर उसके द्वारा सक्षम न्यायालय में रिफ्रेन्स आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। न्यायालय में रिफ्रेन्स आवेदन लगाना या नहीं लगाना आवेदक के विवेक पर निर्भर करता है।
-----------------------------------	--------------------------------	---	--	--

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
----	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : एखण्ड

आवेदन पत्र का प्रकार : 8 झूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग

अवार्ड पारित हो जाने के पश्चात प्रकरण पुनर्विलोकन अथवा कतिपय संशोधन भी अधोहस्ताक्षर द्वारा नहीं किया जा सकता है।

37 AKH-494	कमलाबाई / राजाराम / एखंड	मेरे घर का भू अर्जन करने बाबत।	आवेदक को कृषि एफआरएल मुआवजा ग.प.क्र. 191 पर भूमि की मुआवजा राषि रु. 6635/- का भुगतान किया गया है।	—	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री न.वि.सं.क्र.32 बड़वाह द्वारा प्रस्तुत भू-अर्जन प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं होने से अर्जन नहीं किया गया।
------------	-----------------------------	-----------------------------------	---	---	--

38 AKH-495	धनसिंह / श्यामलाल / एखंड	मेरे घर का भू अर्जन करने बाबत।	—	—	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री न.वि.सं.क्र.32 बड़वाह द्वारा प्रस्तुत भू-अर्जन प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं होने से अर्जन नहीं किया गया।
------------	-----------------------------	-----------------------------------	---	---	--

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
----	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :**

**8 झूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग**

39 AKH-496	शांताबाई / तुलाराम / एखंड	मेरे घर का भू अर्जन करने बाबत।	--	जीआरए प्रकरण क्र. 21852 आदेश दिनांक 20.04.2009 द्वारा पुनर्वास अनुदान अमान्य।	जी.आर.ए. प्रकरण क्र.21852 आदेश दिनांक 20.04.2009 के अनुसार प्रकरण श्रीमान कलेक्टर खण्डवा की ओर निराकरण हेतु भेजा गया। श्रीमान कलेक्टर महोदय खंडवा के पत्र क्र. 286 / 09 / एलए / 11039 खंडवा दिनांक 21.08.09 द्वारा निराकरण किया गया, कि धारा-4 की अधिसूचना प्रकाशन दिनांक को अस्तित्व में नहीं था। प्रस्तावक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर दि.18. 02.06 को अवार्ड पारित किया जा चुका है। अवार्ड पारित किये जाने के प्छात अवार्ड अंतिम हो जाता है। इससे किसी व्यक्ति के पीड़ित होने पर उसके द्वारा सक्षम न्यायालय में रिफ्रेन्स आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। न्यायालय में रिफ्रेन्स आवेदन लगाना या नहीं लगाना आवेदक के विवेक पर निर्भर करता है।
------------	------------------------------	-----------------------------------	----	---	--

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
----	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : एखण्ड

आवेदन पत्र का प्रकार : 8 झूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग

अवार्ड पारित हो जाने के पश्चात प्रकरण पुनर्विलोकन अथवा कतिपय संशोधन भी अधोहस्ताक्षर द्वारा नहीं किया जा सकता है।

40 AKH-497 दिनेश / जयमल / एखंड	मेरे घर का भू अर्जन करने बाबत।	आवेदक को कृषि एफआरएल मुआवजा ग.प.क्र. 228 पर भूमि की मुआवजा राषि रु. 18806/- का भुगतान किया गया है।	—	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री न.वि.सं.क्र.32 बड़वाह द्वारा प्रस्तुत भू-अर्जन प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं होने से अर्जन नहीं किया गया।
--------------------------------	--------------------------------	--	---	---

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
----	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :**

**8 झूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग**

41 AKH-498 लक्ष्मण / शोभाराम  
/ एखंड मेरे घर का भू  
अर्जन करने बाबत। ---

जीआरए प्रकरण क्र.  
21827 आदेश दिनांक  
20.04.2009 द्वारा  
पुनर्वास अनुदान  
अमान्य।

जी.आर.ए. प्रकरण क्र.21827  
आदेश दिनांक 20.04.2009  
के अनुसार प्रकरण श्रीमान  
कलेक्टर खण्डवा की ओर  
निराकरण हेतु भेजा गया।

श्रीमान कलेक्टर महोदय  
खण्डवा के पत्र क्र.  
286 / 09 / एलए / 11039  
खण्डवा दिनांक 21.08.09  
द्वारा निराकरण किया गया,  
कि धारा-4 की अधिसूचना  
प्रकाशन दिनांक को

अस्तित्व में नहीं था।  
प्रस्तावक विभाग से प्राप्त  
प्रस्ताव के आधार पर दि.18.

02.06 को अवार्ड पारित  
किया जा चुका है। अवार्ड  
पारित किये जाने के प्छात  
अवार्ड अंतिम हो जाता है।

इससे किसी व्यक्ति के  
पीड़ित होने पर उसके द्वारा  
सक्षम न्यायालय में रिफ्रेन्स  
आवेदन प्रस्तुत किया जा  
सकता है। न्यायालय में  
रिफ्रेन्स आवेदन लगाना या  
नहीं लगाना आवेदक के  
विवेक पर निर्भर करता है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क0	पंजी. क0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
----	-------------	--	---------------	--	---	--	------------------------

ग्राम का नाम : एखण्ड

आवेदन पत्र का प्रकार : 8 झूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग

अवार्ड पारित हो जाने के  
प्रचात प्रकरण पुनर्विलोकन  
अथवा कतिपय संशोधन भी  
अधोहस्ताक्षर द्वारा नहीं  
किया जा सकता है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
----	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :**

**8 झूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग**

42 AKH-499	सुभानसिंह / देवेसिंह / एखण्ड	मेरे घर का भू अर्जन करने बाबत।	--	जीआरए प्रकरण क्र. 21884 आदेश दिनांक 20.04.2009 द्वारा पुनर्वास अनुदान अमान्य।	जी.आर.ए. प्रकरण क्र.21884 आदेश दिनांक 20.04.2009 के अनुसार प्रकरण श्रीमान कलेक्टर खण्डवा की ओर निराकरण हेतु भेजा गया। श्रीमान कलेक्टर महोदय खण्डवा के पत्र क्र. 286 / 09 / एलए / 11039 खण्डवा दिनांक 21.08.09 द्वारा निराकरण किया गया, कि धारा-4 की अधिसूचना प्रकाशन दिनांक को अस्तित्व में नहीं था। प्रस्तावक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर दि.18. 02.06 को अवार्ड पारित किया जा चुका है। अवार्ड पारित किये जाने के पश्चात अवार्ड अंतिम हो जाता है। इससे किसी व्यक्ति के पीड़ित होने पर उसके द्वारा सक्षम न्यायालय में रिफ्रेन्स आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। न्यायालय में रिफ्रेन्स आवेदन लगाना या नहीं लगाना आवेदक के विवेक पर निर्भर करता है।
------------	---------------------------------	-----------------------------------	----	---	---

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
----	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : एखण्ड

आवेदन पत्र का प्रकार : 8 झूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग

अवार्ड पारित हो जाने के पश्चात प्रकरण पुनर्विलोकन अथवा कतिपय संशोधन भी अधोहस्ताक्षर द्वारा नहीं किया जा सकता है।

43 AKH-500 देवेसिंह / मंजी / एखंड	मेरे घर का भू अर्जन करने बाबत।	आवेदक के पुत्र को आबादी एफआरएल मुआवजा ग.प.क्र. 331 पर मकान की मुआवजा राषि रु. 53956/- का भुगतान किया गया है।	—	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री न.वि.सं.क्र.32 बड़वाह द्वारा प्रस्तुत भू-अर्जन प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं होने से अर्जन नहीं किया गयज्ञः
-----------------------------------	--------------------------------	--	---	---

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
----	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 8 **झूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग**

44 AKH-501 गुल्या / श्रवण / एखण्ड	मेरे घर का भू अर्जन करने बाबत।	आवेदक को आबादी एफआरएल मुआवजा ग.प.क्र. 66 पर मकान की मुआवजा राषि रु. 74865/- का भुगतान किया गया है।	जीआरए प्रकरण क्र. 21855 आदेश दिनांक 20.04.2009 20.04.2009 द्वारा पुनर्वास अनुदान अमान्य।	जी.आर.ए. प्रकरण क्र.21855 आदेश दिनांक 20.04.2009 के अनुसार प्रकरण श्रीमान कलेक्टर खण्डवा की ओर निराकरण हेतु भेजा गया। श्रीमान कलेक्टर महोदय खण्डवा के पत्र क्र. 286 / 09 / एलए / 11039 खंडवा दिनांक 21.08.09 द्वारा निराकरण किया गया, कि धारा-4 की अधिसूचना प्रकाशन दिनांक को अस्तित्व में नहीं था। प्रस्तावक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर दि.18. 02.06 को अवार्ड पारित किया जा चुका है। अवार्ड पारित किये जाने के प्लान अवार्ड अंतिम हो जाता है। इससे किसी व्यक्ति के पीड़ित होने पर उसके द्वारा सक्षम न्यायालय में रिफ्रेन्स आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। न्यायालय में रिफ्रेन्स आवेदन लगाना या नहीं लगाना आवेदक के विवेक पर निर्भर करता है।
-----------------------------------	--------------------------------	--	--	---

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
----	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : एखण्ड

आवेदन पत्र का प्रकार : 8 झूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग

अवार्ड पारित हो जाने के पश्चात प्रकरण पुनर्विलोकन अथवा कतिपय संशोधन भी अधोहस्ताक्षर द्वारा नहीं किया जा सकता है।

45 AKH-502 भारत / हरेसिंह / एखंड	मेरे घर का भू अर्जन करने बाबत।	—	—	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री न.वि.सं.क्र.32 बड़वाह द्वारा प्रस्तुत भू-अर्जन प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं होने से अर्जन नहीं किया गया।
----------------------------------	--------------------------------	---	---	---

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 8 **झूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग**

46 AKH-503 खुशियाल / हिम्मत / एखण्ड

मेरे घर का भू अर्जन करने बाबत।

आवेदक को आबादी एफआरएल मुआवजा ग.प.क्र. 230 पर मकान की मुआवजा राषि रु. 120732/- का भुगतान किया गया है।

जीआरए प्रकरण क्र. 21849 आदेश दिनांक 20.04.2009 के अनुसार प्रकरण श्रीमान कलेक्टर खण्डवा की ओर निराकरण हेतु भेजा गया। अमान्य।

जी.आर.ए. प्रकरण क्र.21849 आदेश दिनांक 20.04.2009 के अनुसार प्रकरण श्रीमान कलेक्टर खण्डवा की ओर निराकरण हेतु भेजा गया। श्रीमान कलेक्टर महोदय खण्डवा के पत्र क्र. 286 / 09 / एलए / 11039 खंडवा दिनांक 21.08.09 द्वारा निराकरण किया गया, कि धारा-4 की अधिसूचना प्रकाशन दिनांक को अस्तित्व में नहीं था। प्रस्तावक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर दि.18. 02.06 को अवार्ड पारित किया जा चुका है। अवार्ड पारित किये जाने के प्लान अवार्ड अंतिम हो जाता है। इससे किसी व्यक्ति के पीड़ित होने पर उसके द्वारा सक्षम न्यायालय में रिफ्रेन्स आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। न्यायालय में रिफ्रेन्स आवेदन लगाना या नहीं लगाना आवेदक के विवेक पर निर्भर करता है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
----	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : एखण्ड

आवेदन पत्र का प्रकार : 8 झूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग

अवार्ड पारित हो जाने के पश्चात प्रकरण पुनर्विलोकन अथवा कटिपय संशोधन भी अधोहस्ताक्षर द्वारा नहीं किया जा सकता है।

47 AKH-504	हीरालाल / तुकाराम / एखंड	मेरे घर का भू अर्जन करने बाबत।	आवेदक को आबादी एफआरएल मुआवजा ग.प.क्र. 313 पर मकान की मुआवजा राषि रु. 317072/- का भुगतान किया गया है।	—	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री न.वि.सं.क्र.32 बड़वाह द्वारा प्रस्तुत भू-अर्जन प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं होने से अर्जन नहीं किया गया।
48 AKH-40	सुभाष / सूरजमल / सनावद	जमीन के बदले जमीन	कंडिका 6.1 की राशि 9350/- जीआरए द्वारा स्वीकृत है, एवं कृषिभूमि अवार्ड गणना पत्रक क्र.161 मुआवजा राशि रु. 1077318/- एवं वि.पु.अनु. राशि निर्धारित राशि रु. 10798/- है।	जीआरए प्रकरण क्र. 28634 आदेश दिनांक 01.06.09 मान्य, के अनुसार कंडिका 6.1 की राशि स्वीकृत है।	आवेदक ग्राम में निवास नहीं, तहसील सनावद में निवासरत है। जमीन के बदले जमीन के लिए जीआरए में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। अतः आवेदन पंजीबद्ध किये जाने योग्य है।
49 AKH-515	भल्लाजी / प्रेमचंद / एखंड	पुनर्वास नीति की धारा 2.3 के अंतर्गत ठापू में आने बाबत।	आवेदक को कृषि एफआरएल मुआवजा ग.प.क्र. 244 पर मकान की मुआवजा राषि रु. 125060/- का भुगतान किया गया है।	—	ठापू बनने पर पुनः प्रस्तावक विभाग से प्रस्ताव लिया जाकर सर्वे उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
----	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :**

**8 झूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग**

50 AKH-56 अन्नपूर्णा / गोविंद  
/ एखण्ड मेरे घर का भू  
अर्जन करने बाबत।

—

जीआरए प्रकरण क्र.  
21714 आदेश दिनांक  
01.06.2009 द्वारा  
पुनर्वास अनुदान  
अमान्य।

जी.आर.ए. प्रकरण क्र.21714  
आदेश दिनांक 01.06.2009  
के अनुसार प्रकरण श्रीमान  
कलेक्टर खण्डवा की ओर  
निराकरण हेतु भेजा गया।  
श्रीमान कलेक्टर महोदय  
खण्डवा के पत्र क्र.  
286 / 09 / एलए / 11039  
खण्डवा दिनांक 21.08.09  
द्वारा निराकरण किया गया,  
कि धारा-4 की अधिसूचना  
प्रकाशन दिनांक को  
अस्तित्व में नहीं था।  
प्रस्तावक विभाग से प्राप्त  
प्रस्ताव के आधार पर दि.18.  
02.06 को अवार्ड पारित  
किया जा चुका है। अवार्ड  
पारित किये जाने के प्छात  
अवार्ड अंतिम हो जाता है।  
इससे किसी व्यक्ति के  
पीड़ित होने पर उसके द्वारा  
सक्षम न्यायालय में रिफ्रेन्स  
आवेदन प्रस्तुत किया जा  
सकता है। न्यायालय में  
रिफ्रेन्स आवेदन लगाना या  
नहीं लगाना आवेदक के  
विवेक पर निर्भर करता है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क0	पंजी. क0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
----	-------------	--	---------------	--	---	--	------------------------

ग्राम का नाम : एखण्ड

आवेदन पत्र का प्रकार : 8 झूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग

अवार्ड पारित हो जाने के  
पश्चात प्रकरण पुनर्विलोकन  
अथवा कतिपय संशोधन भी  
अधोहस्ताक्षर द्वारा नहीं  
किया जा सकता है।

51 AKH-522	रामकिशन / मोतीराम / एखंड धारा 2.3 के अंतर्गत टापू में आने बाबत।	पुनर्वास नीति की एफआरएल मुआवजा ग.प.क्र. 226 पर मकान की मुआवजा राषि रु. 57697/- का भुगतान किया गया है।	—	—	टापू बनने पर पुनः प्रस्तावक विभाग से प्रस्ताव लिया जाकर सर्वे उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
52 AKH-521	ऐचानसिंह / खुमसिंह / एखंड	मेरे घर का भू अर्जन करने बाबत।	आवेदक के पिता को कृषि एफआरएल मुआवजा ग.प.क्र. 226 पर मकान की मुआवजा राषि रु. 57697/- का भुगतान किया गया है।	—	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री न.वि.सं.क्र.32 बड़वाह द्वारा प्रस्तुत भू-अर्जन प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं होने से अर्जन नहीं किया गया।
53 AKH-520	गोपाल / जोगीलाल / एखंड	पुनर्वास नीति की टापू में आने बाबत।	आवेदक को आबादी एफआरएल मुआवजा ग.प.क्र. 40 पर मकान 2 की मुआवजा राषि रु. 152724/- का भुगतान किया गया है।	—	टापू बनने पर पुनः प्रस्तावक विभाग से प्रस्ताव लिया जाकर सर्वे उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
----	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : एखण्ड

आवेदन पत्र का प्रकार : 8 झूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग

54 AKH-519 ओमप्रकाश / प्रेमचंद / एखण्ड	पुनर्वास नीति की धारा 2.3 के अंतर्गत टापू में आने बाबत।	आवेदक को आबादी एफआरएल मुआवजा ग.प.क्र. 14 पर मकान की मुआवजा राषि रु. 43161/- का भुगतान किया गया है।	-	टापू बनने पर पुनः प्रस्तावक विभाग से प्रस्ताव लिया जाकर सर्वे उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
--	---	--	---	---

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :**

**8 झूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग**

55 AKH-505 कंचनबाई / मेरे घर का भू  
तुलसीराम / एखंड अर्जन करने बाबत। ---

जीआरए प्रकरण क्र. 21656 आदेश दिनांक 20.04.2009 के अनुसार प्रकरण श्रीमान कलेक्टर खण्डवा की ओर निराकरण हेतु भेजा गया। श्रीमान कलेक्टर महोदय खंडवा के पत्र क्र. 286 / 09 / एलए / 11039 खंडवा दिनांक 21.08.09 द्वारा निराकरण किया गया, कि धारा-4 की अधिसूचना प्रकाशन दिनांक को अस्तित्व में नहीं था। प्रस्तावक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर दि. 18. 02.06 को अवार्ड पारित किया जा चुका है। अवार्ड पारित किये जाने के प्लान अवार्ड अंतिम हो जाता है। इससे किसी व्यक्ति के पीड़ित होने पर उसके द्वारा सक्षम न्यायालय में रिफ्रेन्स आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। न्यायालय में रिफ्रेन्स आवेदन लगाना या नहीं लगाना आवेदक के विवेक पर निर्भर करता है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
----	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : एखण्ड

आवेदन पत्र का प्रकार : 8 झूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग

अवार्ड पारित हो जाने के पश्चात प्रकरण पुनर्विलोकन अथवा कतिपय संशोधन भी अधोहस्ताक्षर द्वारा नहीं किया जा सकता है।

56 AKH-516 लच्छू / कन्हैया / एखंड	पुनर्वास नीति की धारा 2.3 के अंतर्गत टापू में आने बाबत।	आवेदक को कृषि एफआरएल मुआवजा ग.प.क्र. 96 पर भूमि व अन्य की मुआवजा रापि रु. 25418/- का भुगतान किया गया है।	—	—	टापू बनने पर पुनः प्रस्तावक विभाग से प्रस्ताव लिया जाकर सर्वे उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
57 AKH-507 सकुबाई / बावरिया / एखंड	मेरे घर का भू अर्जन करने बाबत एवं परिवार सूची मे शामिल करने बाबत।	—	—	—	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री न.वि.सं.क्र.32 बड़वाह द्वारा प्रस्तुत भू-अर्जन प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं होने से अर्जन नहीं किया गया।
58 AKH-514 दिलीप / रेवाराम / एखंड	पुनर्वास नीति की धारा 2.3 के अंतर्गत टापू में आने बाबत।	—	—	—	टापू बनने पर पुनः प्रस्तावक विभाग से प्रस्ताव लिया जाकर सर्वे उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क0	पंजी. क0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
----	-------------	--	---------------	--	---	--	------------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** **8 झूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग**

59 AKH-513	दिनेश / राजारामजी /	पुनर्वास नीति की मुआवजा ग.प.क्र. 221 पर	आवेदक को कृषि एफआरएल मकान की मुआवजा राषि रु. 74020/- का भुगतान किया गया है।	—	टापू बनने पर पुनः प्रस्तावक विभाग से प्रस्ताव लिया जाकर सर्वे उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
60 AKH-512	दिलीप / एखंड	पुनर्वास नीति की धारा 2.3 के अंतर्गत	—	—	टापू बनने पर पुनः प्रस्तावक विभाग से प्रस्ताव लिया जाकर सर्वे उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
61 AKH-510	छगन / एखंड	मेरे घर का भू अर्जन करने बाबत।	—	—	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री न.वि.सं.क्र.32 बड़वाह द्वारा प्रस्तुत भू—अर्जन प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं होने से अर्जन नहीं किया गया।
62 AKH-509	राजेन्द्र / एखंड	मेरे घर का भू अर्जन करने बाबत।	—	—	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री न.वि.सं.क्र.32 बड़वाह द्वारा प्रस्तुत भू—अर्जन प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं होने से अर्जन नहीं किया गया।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
----	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार : 8 झूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग**

63 AKH-620 रविन्द्र / बिहारी / एखण्ड	मेरे घर का भू-अर्जन करने बाबत	आवेदक के पिता को मकान का मुआवजा गणना पत्रक क्र. 134 राशि 126380/- भुगतान व पुनर्वास अनुदान गणना क्र.119 राशि 9350/- का भुगतान किया गया। परिवहन राशि 5000/- विस्थापित होने पर देय होगी। पुनवास स्थल एखण्ड में भूखण्ड क्र.17 आवटित किया गया है।	—	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची क्र.71 पर पिता के साथ अवयस्क के रूप में 17 वर्ष दर्ज है। आवेदक का मकार प्रस्तावित विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में नहीं होने से अर्जन नहीं किया गया।
64 AKH-518 कमलचंद / प्रेमचंद / एखण्ड	पुनर्वास नीति की धारा 2.3 के अंतर्गत टापू में आने बाबत	—	—सर्वेक्षण उपरांत प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री, —	टापू बनने पर पुनः प्रस्तावक विभाग से प्रस्ताव लिया जाकर सर्वे उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
65 AKH-654 रेवाराम / बाबू / एखण्ड	चौकीदारी सेवा भूमि का मुआवजा देने बाबत	जीआरए द्वारा स्वीकृत पुनर्वास अनुदान की राशि 43700/- का भुगतान किया गया।	जीआरए प्रकरण क्र. 16277 आदेश दिनांक 18.5.07 द्वारा पालन किया।	सेवा भूमि के मुआवजे का नियमानुसार भुगतान नहीं किया जा सकता है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
----	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :**

**8 झूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग**

66 AKH-561 कडवा / प्रताप /  
एखण्ड

मेरे घर का  
भू-अर्जन करने  
बाबत।

--

जीआरए प्रकरण क्र.  
21821 आदेश दिनांक  
17.04.09 के अनुसार  
प्रकरण श्रीमान  
कलेक्टर खण्डवा की  
ओर निराकरण हेतु  
भेजा गया। श्रीमान  
कलेक्टर महोदय  
खण्डवा के पत्र क्र.  
286 / १९एलए / 11039  
खडवा दि. 21.08.09  
द्वारा निराकरण किया  
गया कि धारा-4 की  
अधिसूचना प्रकाशन  
दिनांक को अस्तित्व  
नहीं था। प्रस्तावक  
विभाग से प्राप्त प्रस्ताव  
के आधार पर दि. 18.02.  
06 को अवार्ड पारित  
किया गया। अवार्ड  
पारित के पश्चात अवार्ड  
अंतिम हो जाता है।  
इससे किसी व्यक्ति को  
पीड़ित होने पर उसके  
द्वारा सक्षम न्यायालय  
में रिफरेन्स आवेदन  
प्रस्तुत किया जा

आवेदक का मकान  
प्रस्तावक विभाग कार्यपालन  
यंत्री न.वि.स.क्र.32 बड़वाह  
द्वारा प्रस्तुत भू-र्जन प्रस्ताव  
में सम्मिलित नहीं किया  
गया था तथा मकान  
भू-अर्जन अधिनियम की  
धारा 4 (1) की अधिसूचना  
प्रकाशन के पश्चात बना  
होने के कारण सम्मिलित  
नहीं किया गया। अतः  
प्रस्तुत आवेदन निरस्ती  
योग्य है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
----	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : एखण्ड

आवेदन पत्र का प्रकार : 8 झूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग

सकता है। न्यायालय में रिफरेन्स लगाना या नहीं लगाना आवेदक के विवेक पर निर्भर करता है। अवार्ड पारित हो जाने के पश्चात प्रकरण पुनर्विलोकन अथवा कतिपय संशोधन भी अधोहस्ताक्षर द्वारा नहीं किया जा सकता है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :**

**8 झूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग**

67 AKH-534 हिरालाल / बालू / एखण्ड	मकान का मुआवजा एवं अनुदान नहीं मिलने बाबत।	—	जीआरए प्रकरण क्र. 21826 आदेश दिनांक 17.04.09 के अनुसार प्रकरण श्रीमान कलेक्टर खंडवा की ओर निराकरण हेतु भेजा गया। श्रीमान कलेक्टर महोदय खंडवा के पत्र क्र. 286 / १९एलए / 11039 खडवा दि. 21.08.09 द्वारा निराकरण किया गया कि धारा-4 की अधिसूचना प्रकाशन दिनांक को अस्तित्व नहीं था। प्रस्तावक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर दि. 18.02.06 को अवार्ड पारित किया गया। अवार्ड पारित के पश्चात अवार्ड अंतिम हो जाता है। इससे किसी व्यक्ति को पीड़ित होने पर उसके द्वारा सक्षम न्यायालय में रिफरेन्स आवेदन प्रस्तुत किया जा	आवेदक का मकान प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री न.वि.स.क्र.32 बड़वाह द्वारा प्रस्तुत भू-र्जन प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं किया गया था तथा मकान भू-र्जन अधिनियम की धारा 4 (1) की अधिसूचना प्रकाशन के पश्चात बना होने के कारण सम्मिलित नहीं किया गया। अतः प्रस्तुत आवेदन निरस्ती योग्य है।
-----------------------------------	--	---	--	---

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
----	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : एखण्ड

आवेदन पत्र का प्रकार :

**8 झूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग**

सकता है। न्यायालय में रिफरेन्स लगाना या नहीं लगाना आवेदक के विवेक पर निर्भर करता है। अवार्ड पारित हो जाने के पश्चात प्रकरण पुनर्विलोकन अथवा कतिपय संशोधन भी अधोहस्ताक्षर द्वारा नहीं किया जा सकता है।

68 AKH-532 सुशोभित / शैलेन्द्र / एखण्ड	जमीन के बदले जमीन देने बाबत।	आवेदक की माता को ग्राम एखण्ड में निजीभूमि मुआवजा गणना पत्रक क्र.32 की निर्धारित की गई राशि 166445/- भुगतान की गई।	जीआरए में प्रकरण क्र. 27603 विचाराधीन है।	वयस्क पुत्र को भूमि के बदले भूमि की पात्रता नहीं है।
--	------------------------------	---	---	--

69 AKH-531 सुमिल / सुभाषचन्द्र / एखण्ड	वयस्क पुत्र को जमीन के बदले जमीन देने बाबत।	पिता को ग्राम एखण्ड में निजीभूमि मुआवजा गणना पत्रक क्र.161 की निर्धारित की गई राशि 1077318/- भुगतान की गई।	--	वयस्क पुत्र को भूमि के बदले भूमि की पात्रता नहीं है।
--	---	--	----	--

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार : 8 झूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग**

70 AKH-352 रविन्द्र / बिहारी / घोगलगांव	मेरे घर का भू अर्जन करने बाबत। पुनर्वास नीति अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक के पिता को आबादी एफआरएल मुआवजा ग.प.क्र. 134 पर मकान की मुआवजा राषि रु. 126380/- का भुगतान किया गया है।	जीआरए प्रकरण क्र. 21843 आदेश दिनांक 17.04.2009 द्वारा पुनर्वास अनुदान अमान्य।	जी.आर.ए. प्रकरण क्र.21843 आदेश दिनांक 17.04.2009 द्वारा निराकरण किया गया, कि धारा-4 की अधिसूचना प्रकाशन दिनांक को अस्तित्व में नहीं था। प्रस्तावक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर दि.18. 02.06 को अवार्ड पारित किया जा चुका है। अवार्ड पारित किये जाने के प्लान अवार्ड अंतिम हो जाता है। इससे किसी व्यक्ति के पीड़ित होने पर उसके द्वारा सक्षम न्यायालय में रिफ्रेन्स आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। न्यायालय में रिफ्रेन्स आवेदन लगाना या नहीं लगाना आवेदक के विवेक पर निर्भर करता है। अवार्ड पारित हो जाने के प्लान प्रकरण पुनर्विलोकन अथवा कतिपय संशोधन भी अधोहस्ताक्षर द्वारा नहीं किया जा सकता है।
---	--	--	---	---

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
----	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 8 **झूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग**

71 AKH-570 संतोष / विक्रम / एखण्ड	मेरे घर का भू-अर्जन करने बाबत।	पुनर्वास अनुदान गणना क्र. 65 राशि 62500/- का भुगतान किया गया।	--	आवेदक का मकान प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री न.वि.स.क्र.32 बड़वाह द्वारा प्रस्तुत भू-र्जन प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं किया गया था तथा मकान भू-अर्जन अधिनियम की धारा 4 (1) की अधिसूचना प्रकाशन के पश्चात बना होने के कारण सम्मिलित नहीं किया गया। अतः प्रस्तुत आवेदन निरस्ती योग्य है।
-----------------------------------	--------------------------------	---	----	--

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
----	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार :**

**8 झूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग**

72 AKH-458 सुखराम / दयाराम / एखण्ड	मेरे घर का भू-अर्जन करने बाबत।	—	जीआरए प्रकरण क्र. 21725 21725 आदेश दिनांक 06.12.2008 06.12.2008 द्वारा पुनर्वास अनुदान अमान्य।	जी.आर.ए. प्रकरण क्र.21725 आदेश दिनांक 06.12.2008 के अनुसार प्रकरण श्रीमान कलेक्टर खण्डवा की ओर निराकरण हेतु भेजा गया। श्रीमान कलेक्टर महोदय खण्डवा के पत्र क्र. 286 / 09 / एलए / 11039 खंडवा दिनांक 21.08.09 द्वारा निराकरण किया गया, कि धारा-4 की अधिसूचना प्रकाशन दिनांक को अस्तित्व में नहीं था। प्रस्तावक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर दि.18. 02.06 को अवार्ड पारित किया जा चुका है। अवार्ड पारित किये जाने के प्छात अवार्ड अंतिम हो जाता है। इससे किसी व्यक्ति के पीड़ित होने पर उसके द्वारा सक्षम न्यायालय में रिफ्रेन्स आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। न्यायालय में रिफ्रेन्स आवेदन लगाना या नहीं लगाना आवेदक के विवेक पर निर्भर करता है।
------------------------------------	--------------------------------	---	--	---

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
----	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : एखण्ड

आवेदन पत्र का प्रकार : 8 झूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग

अवार्ड पारित हो जाने के पश्चात प्रकरण पुनर्विलोकन अथवा कतिपय संशोधन भी अधोहस्ताक्षर द्वारा नहीं किया जा सकता है।

73	AKH- 465.	शिवा / रेवाराम / एखण्ड	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदक के पिता को एफआरएल आबादी ग.प.क्र. 103 पर मकान व भूखंड की मुआवजा राशि रु. 141616/- भुगतान की गई है।	जीआरए प्रकरण क्रमांक 21676 आदेश दिनांक 15.06.09 के द्वारा अमान्य	जीआरए द्वारा अमान्य
----	-----------	------------------------	---	---	--	---------------------

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
----	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : एखण्ड**

**आवेदन पत्र का प्रकार : 9 अन्य**

1 AKH-708	कैलाशभारती, श्रीपंचायती महानिर्वाणी / / एखण्ड	अनुदान व भूखंड प्लाट नहीं मिला।	ग्राम एखण्ड में स्थित कृषि भूमि खाता क्र. 49, 67, 71, 170, 184 व 185 की कुल मुआवजा राशि 1,15,82,863 एवं विशेष पुनर्वास अनुदान राशि रु. 67,184 तथा आबादी खाता क्र. 52 व 314 की मुआवजा राशि रु. 87,76,916 का भुगतान श्रीपंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी संस्थान के नाम से किया गया है।	—	अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में अखाड़े से संबंधित नाम दर्ज नहीं होने से पुनर्वास अनुदान एवं भूखंड नहीं दिया गया।
-----------	--	------------------------------------	---	---	---